इरशादाते
आला हज़रत
नाशिर

786
92

मुजद्दिद दीन -ओ- मिल्लत शाह इमाम अह्मद रज़ा ख़ाँ रद्दियल्लाहु तआला अन्हु के इरशादात का मजमूआ

इरशादाते आलाहज़रत

हिस्सा अव्वल

मुरत्तबा
हज़रत मौलाना अब्दुल मोबीन नौमानी क़ादिरी

हिन्दी तर्जमा
मुहम्मद अहमद उर्फ़ मुहम्मद महताब अली
(M.Sc. , CAIIB)

नाशिर
आलाहज़रत दारुल कुतुब
28, इस्लामिया मार्केट
बरेली शरीफ़

नाम किताब	इरशादाते आलाहज़रत
मुसन्निफ़	आलाहज़रत मुजद्दिद दीन –ओ– मिल्लत शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ाँ रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु
मुरत्तबा	हज़रत मौलाना अब्दुल मोबीन साहब नौमानी क़ादिरी
हिन्दी तर्जमा	मुह़म्मद अह़मद उर्फ़ मुह़म्मद महताब अली (**M.Sc. , CAIIB**)
मिलने का पता	आलाहज़रत दारुल कुतुब 28 इस्लामिया मार्केट बरेली
	जीलानी बुक डिपो 523, मटिया महल दिल्ली
	फ़ारूक़या बुक डिपो 422, मटिया महल दिल्ली

फेहरिस्त

क्र.	मज़मून	सफ़ा न.
1.	अर्ज़े हाल	6
2.	पेश लफ़्ज़	7
3.	ईमाने कामिल	9
4.	ईमान की क़द्र व क़ीमत	10
5.	अक़ीदे की पुख़्तगी	12
6.	अहले क़िब्ला की तकफ़ीर मना है	13
7.	निन्नानवे बातें कुफ़्र की एक इस्लाम की	16
8.	तक़दीर क्या है	17
9.	वुज़ू के .ज़ुरूरी मसाइल	22
10.	इसितन्शाक़ (यानी नाक में पानी देना)	24
11.	मज़मज़ा (यानी कुल्ली करना)	24
12.	इसालतुल माऐ (यानी पानी बहाना)	25
13.	सतर देखने से वुज़ू नहीं टूटता	27
14.	क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का तरीक़ा	27
15.	नमाज़ के बाज़ .ज़ुरूरी अहकाम	29
16.	सफ़े अव्वल की फ़ज़ीलत	31
17.	नमाज़े बाजमाअत की फ़ज़ीलत	32
18.	जमाअत को तर्क करने के शरई उज़्र	33
19.	वुज़ू .ग़ुस्ल सजदे में अवाम की बेएहतयातियाँ	34
20.	क़िरात में बेएहतियातियाँ	35
21.	नवाफ़िल में रुकू की कैफ़ियत	36
22.	नमाज़ की अहमियत	36
23.	जमाअते सानिया के वक़्त सुन्नत	37
24.	नमाज़े जनाज़ा की सफ़ें	37
25.	फ़ज्र की सुन्नतें कब पढ़ें	38
26.	सलाम के बाद दायें बायें फिरना	38
27.	आदाबे मस्जिद	38
28.	आजकल का उर्स और औरतों की हाज़री	40

29. उल्टी सूरतों का वज़ीफ़ा 41
30. क़ल्ब और नफ़्स 41
31. महर की अदाएगी 42
32. खाने के आदाब 42
33. खाने के बाद बर्तन चाटना मसनून है 43
34. दाने दाने पे है खाने वाले का नाम 44
35. अह़मद व मुह़म्मद नाम के फ़ज़ाइल 45
36. बरकात नक़्श नअल पाक 48
37. ग़ैर ख़ुदा को सजदए ताज़ीमी हराम है 49
38. क़ब्र का बोसा व तवाफ़ 49
39. क़ब्र पर लोबान बत्ती जलाने का हुक्म 51
40. क़ब्र पर चराग़ जलाना 51
41. मज़ारात पर चादर 52
42. क़ब्रे मुस्लिम का ऐहतराम 53
43. मुहर्रम व ताज़िया 54
44. मुहर्रम के कपड़े 56
45. उर्स और क़व्वाली 56
46. सिमा मय मज़ामीर का शरई हुक्म 59
47. शादी के लिए भीक 65
48. मस्जिद में सवाल 65
49. तन्दरुसत को भीक मांगना 65
50. बादे वफ़ात औलाद पर वालिदैन के हुक़ूक़ 66
51. वालिदैन पर औलाद के हुक़ूक़ 69
52. हुक़ूक़े ज़ौजैन 70
53. दुआ और उसकी मक़बूलियत 71
54. मक़सदे दुआ 73
55. बद्दुआ और कोसना 73
56. अपने किए का कोई इलाज नहीं 74
57. अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर 75
58. चन्द मर्ज़ नेअमत हैं 76
59. स्प्रिट क्या है 76

60. बैअत के मअनी 77
61. तजदीदे बैअत 77
62. बैअत और उसके फ़ायदे 78
63. शजरा ख़्वानी के फ़ायदे 82
64. शरीअत व तरीक़त 83
65. बेइल्म सूफ़ी 87
66. दुरूद शरीफ़ में इख़्तेसार 89
67. निशाने सजदा 91
68. बिदअत क्या है 93
69. जिन्न से ग़ैब दरयाफ़्त करना मना है 95
70. अंगूठी किस तरह की जाएज़ है 96
71. आख़िरी बुध की हक़ीक़त 97
72. नर्मी और सख़्ती 97
73. काला ख़िज़ाब 98
74. जुज़ामी से भागने का मतलब 98
75. तम्बाकू का इस्तेमाल कैसा है 99
76. औरतों का ज़ेवर 100
77. मुसलमानों का कुफ़्फ़ार के मेलों में जाना 102
78. नसब पर फ़ख़्र जाएज़ नहीं 103
79. किसी को पेशे के सबब हक़ीर जनना 104
80. मुसलमान हलालख़ोर का हुक्म 106
81. दीन बेच कर दुनिया ख़रीदने की मज़म्मत 110
82. वाज़ का पेशा 111
83. अय्यामे नफ़ास से मुताल्लिक़ एक ग़लतफ़हमी का इज़ाला 113
84. पर्दे के बाज़ .ज़ुरूरी अहकाम 113
85. बहुत .ज़ुरूरी मसअला 114
86. कफ़न से मुताल्लिक़ .ज़ुरूरी अहकाम 114
87. वुज़ू पर वुज़ू की फ़ज़ीलत 116
88. कुछ मुश्किल अल्फ़ाज़ के मअनी 119

अर्ज़ें हाल

आलाहज़रत मुजद्दिद दीन -ओ- मिल्लत शाह मुहम्मद अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तअ़ला अ़न्हु की अज़ीम शख़सियत अब किसी तअर्रुफ़ की मौहताज नहीं। आप जहाँ एक बहुत बड़े आलिम फ़क़ीह मुहद्दिस व मुफ़स्सिर थे वहाँ बहुत बड़े सूफ़ी मुसल्लाह मुर्शिद और मुरब्बी भी थे। यूँ तो आपके तमाम इल्मी कारनामे इस लाएक़ हैं कि लोगों के सामने पेश किए जायें मगर इस मुख़्तसर किताब में आपकी बहुत सी नादिर नायाब व इल्मी तसानीफ़ से कुछ ऐसे मोती चुनकर पेश किए गए है जो क़ौम की सलाह व तरबियत इरशाद व तबलीग़ में अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, इस तरीक़े से इमाम अहमद रज़ा की तालीमात व नज़रयात को आम फ़हम अन्दाज़ में अहले इल्म व अवाम तक पहुँचाने की ख़िदमत भी अन्जाम दी जा सकती है अगर इस सिलसिले को पसन्द किया गया तो इन्शा अल्लाह तआ़ला आइन्दा मज़ीद ऐसे मुफ़ीद जवाहर पारों को पेश करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।

मुहम्मद अब्दुल मोबीन नौमानी मिस्बाही
8, मुहर्रमुल हराम हिजरी 1398

पेश लफ्ज़

अल्लाह तआ़ला और उसके ह़बीब स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का बहुत बड़ा फ़ज़्ल -ओ- करम और मेरे बुज़ुर्गों बिलख़ुसूस सरकारे ग़ौस पाक, सरकार ख़्वाजा ग़रीब नवाज़, सरकारे आलाहज़रत और मेरी मुर्शिदे कामिल सरकार मुफ़्तीए आज़म का बहुत फ़ैज़ है कि यह किताब "इरशादाते आलाहज़रत" आपके हाथों में है। यह किताब हिन्दी ज़बान में बहुत पहले छपना चाहिए थी जब कि हज़रत मौलाना मुह़म्मद अब्दुल नौमानी साहब ने मुझे इसकी हिन्दी की इजाज़त भी दे दी थी मगर कुछ दूसरे कामों में मसरूफ़ियत और कुछ इल्म की कमी की वजह से इस काम में देर हुई।

इस किताब को जनाब नौमानी साहब ने आलाहज़रत के इरशादात कुछ इस अन्दाज़ में तरतीब दिया है कि इसमें अक़ीदे की तबलीग़ भी है और अमल की दुरुस्तगी का सामान भी। बाज़ उन मसाइल का कलैक्शन है कि अवाम में ग़लत मशहूर हो चुके हैं और अवाम उसे अच्छा या बाज़ वक़्त सवाब समझ कर करते हैं। आलाहज़रत के इरशादात से आपने उन मसाइल का कलैक्शन भी किया है जो सुन्नियों की अफ़सोसनाक बदआमालियाँ हैं और जो बद्मज़हब फ़िरक़ों को मौक़ा दे रहीं हैं सुन्नियों को बदनाम करने का। जनाब नौमानी साहब का इरादा इस सिलसिले को आगे भी जारी रखने का था मगर पता नहीं किन वुजूहात की बिना पर यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ा है और रुका हुआ है। मेरी उनसे गुज़ारिश है कि वह आगे भी इसी अन्दाज़ से तबलीग़ का काम अन्जाम देते रहें और इरशादाते आलाहज़रत के अगले हिस्सों को जल्द छपवायें। इस क़िस्म की किताबों की आज बहुत .ज़ुरूरत है क्यूँकि हम आलाहज़रत के नाम लेवा तो हैं मगर उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने में बहुत

पीछे। हम कम से कम उन बातों को तो बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं जिन में ख़्वाम ख़्वाह की मेहनत करके हम गुनाह मोल लेते हैं और यह समझते हैं कि सवाब पा रहे हैं जबकि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सख़्ती से मना किया है। क्या हम मुहर्रमदारी और ग़ैर शरई क़व्वाली जैसी बातों को छोड़ नहीं सकते और अगर हम छोड़ नहीं रहे तो क्या यह आलाहज़रत के ख़िलाफ़ बात नहीं क्या आलाहज़रत इससे नाराज़ न होंगे।

हमने इस किताब को बहुत आसान करने की कोशिश की मगर लगता यह है कि हम इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, उसकी वजह यह है कि आलाहज़रत उर्दू भी काफ़ी मुश्किल होती है और उसको समझने के लिए बार बार उल्माए किराम की ख़िदमत लेनी पड़ती है। किताब के मुश्किल रह जाने की दूसरी वजह यह है कि जगह जगह आई फ़िक़्ही इस्तेलाहात को हिन्दी में समझाना तक़रीबन नामुमकिन होता है और उन्हें यूँ ही उतारना पड़ता है फिर भी हमारा अस्ल मक़सद हल हो जाता है और मसअले का मफ़हूम तो समझ में आ ही जाता है। इसके बाद भी आपको कहीं कहीं दिक़्क़तें आयेंगी तो ऐसे में किसी आलिम से दरयाफ़्त करें, हमने मुश्किल मसाइल के साथ यह बात लिख भी दी है।

इस किताब को आप तक पहुँचाने में सदरुश शरिया अ़लैहिर्रह़मा के साहबज़ादे मौलाना बहाउल मुस्तफ़ा साहब और मौलाना हाफ़िज़ मुह़म्मद शकील साहब ने मेरी बहुत मदद की अल्लाह तआ़ला उन्हें अपने ह़बीब के सदक़े में दीन और दुनिया की बरकतों से मालामाल फरमाए। आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि मेरे और उनके हक़ में दुआ करें।

मुह़म्मद अह़मद

3, मुहर्रमुल ह़राम 1421

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ईमाने कामिल

मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को हर बात में सच्चा जानना हुज़ूर की हक़्क़ानियत (यानी हुज़ूर का हक़ या सच्चा होना) को सिद्क़ दिल से यानी सच्चे दिल से मानना ईमान है जो इसका मुक़िर (इक़रार करने वाला) हुआ उसे मुसलमान जानेंगे जबकि उसके किसी क़ौल फ़ेल या हाल में अल्लाह व रसूल का इन्कार या तकज़ीब (झुटलाना) या तौहीन न पाई जाए और जिसके दिल में अल्लाह व रसूल जल्ला व आला व स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का तअल्लुक़ तमाम तअल्लुक़ों पर ग़ालिब हो अल्लाह व रसूल के महबूब से महब्बत रखे अगरचे अपने दुश्मन हों और अल्लाह व रसूल के मुख़ालिफ़ों बदगोइयों से अदावत रखे अगरचे अपने जिगर के टुकड़े हों जो कुछ दे अल्लाह के लिए दे जो कुछ रोके अल्लाह के लिए रोके उसका ईमान कामिल रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الايمَانَ ٥

तर्जमा : जिसने अल्लाह के लिए महब्बत की और अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखा और अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए रोके रखा तो वाक़ई उसने ईमान मुकम्मल कर लिया।

ईमान की क़द्र व क़ीमत

जब तक नबीए करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम न हो उम्र भर इबादते इलाही में गुज़ारे सब बेकार व मरदूद है। बहुतेरे जोगी और राहिब तर्के दुनिया करके अपने तौर पर ज़िक्र व इबादते इलाही में उम्र काट देते हैं बल्कि उन में बहुत वह हैं कि लाइलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र सीखते और ज़रबे लगाते हैं मगर वहाँ मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं क्या फ़ायदा? असलन क़ाबिले क़बूल बारगाहे इलाही नहीं। अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ऐसो ही को फ़रमता है :-

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًاo

तर्जमा : जो कुछ अमाल उन्होंने किए हमने सब बरबाद कर दिये। (पारा 19 रुकू 1)

ऐसो ही को फ़रमाता है :

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةًo

तर्जमा : अमल करें मशक़तें भरें और बदला किया होगा ये कि भड़कती आग में बैठेंगे। (पारा 30 रुकू 13)

मुसलमानों कहो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम ईमान का मदार व नजात का ज़रिया व आमाल क़बूल होने का ज़रिया हुई या नहीं? कहो हुई और .जुरूर हुई। ईमान के हक़ीक़ी व वाक़ई होने को दो बातें .जुरूर हैं (1) मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम और (2) आप की महब्बत को तमाम जहान पर तक़दीम (मुक़द्दम रखना) तो इसकी आज़माईश का सही तरीक़ा यह है कि तुम को जिन लोगों से ताज़ीम व अक़ीदत और महब्बत का इलाक़ा हो जैसे

तुम्हारे बाप, उस्ताद, औलाद, भाई पीर और तुम्हारे मौलवी, हाफ़िज़, मुफ़्ती, वाज़ कहने वाले वग़ैरा-वग़ैरा कोई हो वह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की शाने अक़्दस में .गुस्ताख़ी करे असलन तुम्हारे क़ल्ब (दिल) में उनकी अज़मत उनकी महब्बत का नाम निशान न रहे, फ़ौरन उनसे अलग हो जाओ, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। उनकी सूरत उनके नाम से नफ़रत खाओ फिर न तुम अपने रिश्ते, इलाक़े दोस्ती उलफ़त का पास करो न उसकी मौलवीयत, बुज़ुर्गी, फ़ज़ीलत को ख़तरे में लाओ कि आख़िर ये जो कुछ था मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ही की .गुलामी की बिना पर था जब ये शख़्स उन्हीं की शान में .गुस्ताख़ हुआ फिर हमें उस से क्या इलाक़ा रहा यानी अब हमारा उससे को लेना देना नहीं।

और अगर ये नहीं बल्कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के मुक़ाबले तुम ने उसकी बात बनानी चाही उसने हुज़ूर से .गुस्ताख़ी की और तुमने उससे दोस्ती निबाही या उसे हर बुरे से बदतर बुरा न जाना या उसे बुरा कहने पर बुरा माना, या तुम्हारे दिल में उसकी तरफ़ से सख़्त नफ़रत न आई तो वल्लाह अब तुम्हीं इन्साफ़ कर लो कि तुम ईमान के इम्तहान में कहाँ पास हुए।

मुसलमानों क्या जिस के दिल में मुहम्म्दुर्ररसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम होगी वह उनके बदगो की वक़अत कर सकेगा, अगरचे उस का पीर या उस्ताद या पिदर (बाप) ही क्यूँ न हो क्या जिसे मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तमाम जहान से ज़्यादा प्यारे हों वह उनके .गुस्ताख़ से फ़ौरन सख़्त शदीद नफ़रत न करेगा, अगरचे उसका दोस्त या बिरादर या पिसर (बेटा) ही क्यूँ न हो। (तम्हीद ईमान सफ़ा 5,6)

भाईयों! आलिम की इज़्ज़त तो इस बिना पर थी कि वह नबी का वारिस है, नबी का वारिस वह जो हिदायत पर हो और जब गुमराही पर है तो नबी का वारिस है या शैतान का, उस वक़्त उसकी ताज़ीम नबी की ताज़ीम होती, अब उसकी ताज़ीम शैतान की ताज़ीम होगी ये उस सूरत में है कि आलिम कुफ़्र से नीचे किसी गुमराही में हो जैसे बदमज़हबों के उल्मा, फिर उसका क्या पूछना जो कुफ़्र शदीद में हो उसे आलिमे दीन जानना ही कुफ़्र है नाकि आलिम जानकर उसकी ताज़ीम।

भाईयों। करोड़-करोड़ अफ़सोस है इस मुसलमानी दावों पर कि अल्लाह व रसूल (जल्ला व आला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) से ज़्यादा उस्ताद की वक़अत हो, अल्लाह व रसूल से बढ़कर भाई या दोस्त या दुनिया में किसी की महब्बत हो।

ऐ रब! हमें सच्चा ईमान दे, सदक़ा अपने हबीब की सच्ची बात सच्ची रहमत का, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन। (तम्हीदे ईमान सफ़ा 20)

अक़ीदे की पुख़्तगी

नजात मुन्हसिर (□□□□□□) है इस पर कि एक-एक अक़ीदा अहले सुन्नत व जमाअत का ऐसा पुख़्ता हो कि आसमान व ज़मीन टल जायें और वह न टले फिर उसके साथ हर वक़्त ख़ौफ़ लगा हो। उल्माए किराम फ़रमाते हैं जिसे सलबे ईमान का ख़ौफ़ (यानी ईमान छिन जाने का ख़ौफ़) न हो, मरते वक़्त उसका ईमान सलब हो जायेगा यानी जिसे ईमान चले जाने या वापस ले लिए जाने का ख़ौफ़ न हो उसका ईमान चले जाने का ख़तरा है।

सय्यदना उमर फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं अगर आसमान से निदा की जाये कि तमाम रू-ए- ज़मीन के आदमी बख़्श दिये गये मगर एक शख़्स को

नहीं बख़्शा गया तो मैं ख़ौफ़ करूँगा कि वह एक शख़्स मैं ही न हूँ और अगर निदा की जाए रू -ए- ज़मीन के तमाम आदमी दोज़ख़ी हैं सिवाए एक आदमी के तो मैं उम्मीद करूँगा कि वह शख़्स मैं ही न हूँ। ख़ौफ़ व रिजा (उम्मीद) का मरतबा ऐसा मोतदल (दरम्यानी या जिसमें ज़्यादती या कमी न हो) होना चाहिए। (अलमलफ़ूज़)

अहले क़िब्ला की तकफ़ीर मना है

आज मसअलए तकफ़ीर (तकफ़ीर का हुक्म लगाना यानी काफ़िर कहना) पर तरह-तरह की मुँह शिगाफ़ियाँ की जा रही हैं और अहले सुन्नत के मुख़ालिफ़ों ने इस मसअले को इस क़द्र उलझा दिया और ग़लत रूप दिया है कि असल हक़ीक़त हिजाब (पर्दा) दर हिजाब हो गई है। अवाम तो अवाम बहुत से पढ़े लिखे हज़रात इस मसअले की असल हक़ीक़त से नावाक़िफ़ हैं। इसलिए मन्दरजाज़ैल (निम्नलिखित) इरशाद पेश किया जा रहा है ताकि मसअले की सही नौइय्त सामने आये और इमाम अह़मद रज़ा .क़ुद्दिसा सिर्रुहू पर लगाये गये इलज़ामात का जाएज़ा लिया जा सके।

हमारे उलमा ने तसरीह फ़रमाई कि अगर किसी के कलाम में निन्नानवे वजह कुफ़्र की निकलती हों और एक वजह इस्लाम की तो मुफ़्ती पर वाजिब है कि वह इस्लाम की तरफ़ मेल करे (यानी मायल हो) वह इसलिए कि इस्लाम ख़ुद ही बलन्द होता है न कि बलन्द किया जाता है। लिहाज़ा हमारे उलमाए किराम फ़रमाते हैं हम अहले क़िबला से किसी को काफ़िर नहीं कहते।

मगर यहाँ एक शदीद फ़ाहिश मुग़ालता बाज़ गुमराह बद्दीन दिया करते हैं कि उन अक़वाल से इस्तेदलाल करके

मुन्किराने ज़रूरयाते दीन की तकफ़ीर भी बन्द करनी चाहते है (यानी इस बात से वो लोग उन लोगों को भी काफ़िर कहने से मना करना चाहते हैं जो .जुरूरियाते दीन के इन्कार करने वाले हैं) हालाकि यह ख़ुद कुफ़्र है। (कहने का मतलब यह है कि कुछ बद्दीन इस मसअले से यह कह कर बहकाते हैं कि किसी को काफ़िर न कहो चाहे वह ज़ुरूरियाते दीन का इन्कार करता हो जबकि ऐसा करना कुफ़्र है) यही आलिम व उलमा के अक़वाल मज़कूरा लिख चुके, जा-ब-जा तसरीह फ़रमाते हैं जो ज़ुरूरयाते दीन से किसी शय के मुन्किर को काफ़िर न जाने ख़ुद काफ़िर है। शिफ़ा शरीफ़, व वजीज़ इमाम कुरदरी व दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा कुतुबे मोतमादह (ऐतबार के क़ाबिल किताबें) में है --- "जो ऐसे कुफ़्र व अज़ाब में शक करे ख़ुद काफ़िर हो जाये।"

एक और निन्नान्वे वजह के ये मअनी हैं कि इसके कलाम में सौ पहलू निकलते हैं। निन्नावे जानिब कुफ़्र जाते हैं और एक तरफ़ इस्लाम तो मअनी इस्लाम ही पर हमल वाजिब कि बावस्फ़े एहतिमाले इस्लाम हुक्मे कुफ़्र जाएज़ नहीं (यानी सिर्फ़ शक की बिना पर कुफ़्र जाइज़ नहीं) नाकि जो निन्नावे बातें कुफ़्र की करे और सिर्फ़ एक बात इस्लाम की तो उसे मुसलमान कहा जाये हाशा यह किसी मुसलमान का मज़हब नहीं। (कहने का मतलब यह है कि किसी ने कोई बात कही और उसकी बात के मतलब में निन्नानवे बातें कुफ़्र की तरफ़ जातीं हैं और एक बात से इस्लाम की बात निकलती है तो उसे काफ़िर नहीं कहेंगे मगर इसका यह मतलब हर्गिज़ नहीं कि कोई निन्नानवे बातें कुफ़्र की करे और एक इस्लाम की तो उसे मुसलमान कहेंगे) यूँ तो यहूदी भी अल्लाह को एक, मूसा अ़लैहिस्सलातो वस्सलाम तक अम्बिया को नबी, तौरात मुक़द्दस को कलामुल्लाह, क़यामत

व जन्नत व नार (दोज़ख़) को हक़ जानते हैं ये एक क्या सदहा बातें इस्लाम की होयें फिर क्या उन्हें मुस्लिम कहा जायेगा या उन्हें मुसलमान कहने वाला काफ़िर न होगा। हाशा लिल्लाह बल्कि हज़ारहा बातें इस्लाम की करें और एक कुफ़्र की मसलन .कुरआन अज़ीम व नमाज़ पढ़े रोज़ा रखे ज़कात दे, हज करे और साथ ही बुत को भी सजदा करे तो क़तअन काफ़िर होगा। यूहीं आलिमे दीन व उलमा मुअतमदीन ने तसरीह फ़रमा दी है कि अहले क़िबला से मुराद वह हैं जो तमाम ज़रूरयाते दीन पर ईमान रखते हैं उन्हीं की तकफ़ीर जाएज़ नहीं (यानी उन्हें काफ़िर कहना जाइज़ नहीं) और जो ज़रूरयात दीन से एक बात का मुन्किर हो वह अहले क़िबला ही से नहीं उसकी तकफ़ीर में शक भी कुफ़्र है न इन्कार। शरहे मवाक़िफ़, हाशिया चलपी व शरहे फ़िक़्हे अकबर व हवाशी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा में इसकी तहक़ीक है बड़ा हवाला हज़रत इमामे आज़म रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का दिया जाता है कि वह अहले क़िबला की तकफ़ीर नहीं करते बेशक मगर वही जो हक़ीक़तन अहले क़िबला हैं न फ़क़त वह कि कलिमा पढ़े और क़िबला को मुँह करे अगरचे खुले कुफ़्र बके ख़ुद सय्यदना इमामे आज़म रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु अपने अक़ायद की किताब फ़िक़्हे अकबर शरीफ़ में फ़रमाते हैं :-

"अल्लाह तआ़ला की सिफ़तें अज़ली हैं न हादिस न मख़लूक़ तो जो उन्हें मख़लूक़ या हादिस बताये या उनके बारे में तवक़्क़ुफ़ (देर करना) करे या शक लाये वह काफ़िर है"

इमाम अबू यूसुफ़ रह़मतुल्लाह अ़लैह फ़रमाते हैं छः महीने मुनाज़िरे के बाद मेरी और इमाम अबू हनीफ़ा की राय इस पर मुसतक़र हुई कि जो .कुरआन अज़ीम को मख़लूक़ कहे वह काफ़िर है यह फ़वायद ख़ूब याद रखने के हैं कि नेचरी कुफ़्फ़ार और उनके अज़नाब व अनफ़ार (मानने वाले) ऐसी जगह बहुत ग़ुल मचाते और ऐलानिया कुफ़्र करके

मुसलमानों को तकफ़ीर से रोकना चाहते हैं। वल्लाहुल हादी (अल्लाह तआ़ला हिदायत दे) (अहसनुल विआ लि आदाविद्दुआ)

निन्नान्वे बातें कुफ़्र की, एक इस्लाम की

एक मर्तबा आला हज़रत से अर्ज़ किया गया हुज़ूर जिसमें 99 बातें कुफ़्र की हों और एक इस्लाम की उसके लिए क्या हुक्म है। इरशाद फ़रमाया (ऐसा शख़्स) काफ़िर है --- कोई नहीं कह सकता कि एक सजदा करे अल्लाह को और 99 महादेव को तो मुसलमान रहेगा अगर 99 सजदे अल्लाह को और एक भी सजदा महादेव को किया तो काफ़िर हो जायेगा। गुलाब में एक क़तरा पेशाब का डाला जाये वह पाक रहेगा या नापाक?

इत्तेफ़ाक़न एक सफ़र में किसी की ऊँटनी गुम हो गई। उसकी तलाश थी हुज़ूर -ए- अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऊँटनी फ़लाँ जंगल में है उसकी महार पेड़ से अटक गयी है। उस पर एक मुनाफ़िक़ ज़ैद इब्ने नसीब ने कहा मुहम्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कहते हैं कि ऊँटनी फ़लाँ जंगल में है। वह ग़ैब की ख़बरें क्या जानें। इस पर अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने ये आयते करीमा उतारी :-

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۔ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ٥

तर्जमा : और अगर तुम उनसे पूछो तो बेशक ज़ुरूर कहेंगे कि हम तो यूँही हंसी खेल में थे, तुम फ़रमा दो क्या अल्लाह

और उसकी आयतों और उसके रसूल से ठठ्ठा करते थे, बहाने न बनाओ तुम काफ़िर हो चुके अपने ईमान के बाद।

(तफ़सीर इमाम इब्ने जरीर, तफ़सीर दुर्रे मन्सूर इमाम स्यूती)

(यहाँ) अल्लाह ने 99 न गिनीं एक गिनी इरशादे उल्मा यूँ है कि किसी से कोई कलिमा सादिर हो जिस के सौ 100 मअनी हो सकते हों, 99 पर कुफ़्र लाज़िम आता हो और एक पहलू इस्लाम की तरफ़ जाता हो, उसके कुफ़्र का हुक्म न करेंगे जब तक मालूम न हो कि उसने कोई पहलूए कुफ़्र मुराद लिया है। मसअला ये था और बे-दीनों ने क्या से क्या कर लिया। इसका बहुत वाज़ेह और रोशन बयान हमारी किताब "तम्हीदे ईमान बाआयाते .क़ुरआन" (यह किताब हिन्दी में भी छप चुकी है) में है और यहाँ ये भी मालूम हो गया कि जो मुतलक़न ग़ैब का मुन्किर हो वह काफ़िर हो गया। जो लफ़्ज़ उस मुनाफ़िक़ ने कहा जिस पर .क़ुरआन अज़ीम ने फ़रमाया तुम बहाने न बनाओ काफ़िर हो चुके ईमान के बाद यही तो था कि रसूल ग़ैब क्या जाने। ठीक इसी तरह तक़्वीयतुल ईमान (वहाबियों की एक किताब का नाम) में लिखा है कि ग़ैब की बातें अल्लाह जाने रसूल को क्या ख़बर। (तम्हीदे ईमान)

तक़दीर क्या है

तक़दीर ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया। यह समझना महज़ झूट और इबलीस लईन का धोका है कि जैसा लिख दिया हमें वैसा करना पड़ता है --- नहीं-नहीं बल्कि लोग जैसा करने वाले थे वैसा ही हर एक की निसबत लिख लिया है। लिखना इल्म के मुताबिक़ से और इल्म मालूम के मुताबिक़ होता है नाकि मालूम को इल्म के मुताबिक़ होना

पड़े। दुनिया में पैदा होने के बाद ज़ैद ज़िना करने वाला था और अम्र नमाज़ पढ़ने वाला। मौला अज़्ज़ावजल्ला आलिमुल ग़ैब वश्शहादह (यानी तमाम ग़ैबों का जानने वाला और तमाम चीज़ों का देखने वाला) है उसने अपने इल्मे क़दीम से उनकी हालतों को जाना और जो जैसा होने वाला था वैसा लिख लिया अगरचे पैदा होकर इसका अक्स (उल्टा) करने वाले होते कि अम्र ज़िना करता और ज़ैद नमाज़ पढ़ता तो मौला अज़्ज़ावजल्ला उनकी यही हालतें जानता और यूंही लिखता।

फ़र्ज़ कीजिए कुछ न लिखा जाता तो अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला अज़ल में तमाम जहान के तमाम आमाल व अफ़आल, अहवाल व अक़वाल बिला शुबा जानता था और मुमकिन नहीं कि उसके इल्म के ख़िलाफ़ वाक़ेअ हो। अब क्या कोई ज़रा भी दीन व अक़्ल रखने वाला यह कहेगा कि अल्लाह ने जाना था कि ज़ैद ज़िना करेगा, लिहाज़ा चार व नाचार ज़ैद को बमजबूरी ज़िना करना पड़ा हाशा हरगिज़ यह नहीं। ज़ैद ख़ुद देख रहा है कि अपनी ख़्वाहिश से ज़िना किया है, किसी ने हाथ पांव बांधकर मजबूर नहीं किया यही उसका बख़्वाहिश ख़ुद ज़िना करना आलिमुल ग़ैब वश्शहादह (यानी तमाम ग़ैबों का जानने वाला और तमाम चीज़ों का देखने वाला) को अज़ल में मालूम था, जब इस इल्म ने उसे मजबूर न किया, उसे तहरीर में ले आना क्या मजबूर कर सकता है बल्कि अगर मजबूर हो जाये तो मआज़ल्लाह इल्म व नौविश्तह (यानी लौह महफ़ूज़ यानी जहाँ तक़दीरें लिखीं है) ग़लत हो जाये। इल्म में तो था और यही लिखा गया कि यह अपनी ख़्वाहिश से इरतिकाबे ज़िना करेगा। अगर इस लिखने से मजबूर हो जाये तो मजबूराना ज़िना किया कि अपनी ख़्वाहिश से तो इल्म व नौविश्तह के ख़िलाफ़ हो और यह मुहाल है। (फ़तावा अफ़्रीक़या)

बाज़ लोग मसअलए तक़दीर पर इस तरह भी ऐतराज़ करते हैं कि जब अल्लाह को मालूम है कि कौन हिदायत पायेगा और कौन गुमराही तो फिर अम्बिया को भेजकर तबलीग़ का क्यूँ हुक्म दिया। इस सिलसिले में इरशाद है :-

अल्लाह ख़ूब जानता है और आज से नहीं अज़लुल अज़ाल (यानी हमेशा से) से कि इतने बन्दे हिदायत पायेंगे और इतने चाहे दलालत (गुमराही का गढ़ा) में डूबेंगे मगर कभी अपने रसूलों को हिदायत से मना नहीं फ़रमाता ताकि जो हिदायत पाने वाले हैं उनके लिये सबबे हिदायत हो और जो न पायेंगे उन पर हुज्जते इलाहिय्या (अल्लाह तआ़ला की दलील) क़ायम हो।

मौला अज़्ज़ावजल्ला क़ादिर था और है कि बे किसी नबी व किताब के तमाम जहान को एक आन में हिदायत फ़रमा दे।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَo

तर्जमा : और अल्लाह चाहता तो उन्हें हिदायत पर इकट्ठा कर देता तो ऐ सुनने वाले हरगिज़ नादान न बन।

मगर उसने दुनिया को आलमे असबाब बनाया है और हर नेमत में अपनी हिकमते बालिग़ा (इन्तेहाई तदबीर) के मुताबिक़ मुख़्तलिफ़ हिस्सा रखा है वह चाहता तो इन्सान वग़ैरा जानदारों को भूक ही न लगती ---- या भूके होते तो किसी का सिर्फ़ उसके नाम पाक लेने से, किसी का हवा सूंघने से पेट भर जाता --- ज़मीन जोतने से रोटी पकाने तक जो सख़्त मशक़्क़तें पड़ती हैं किसी को न होतीं मगर उसने यूंही चाहा और इसमें बेशुमार इख़्तेलाफ़ रखा ---- किसी को इतना दिया कि लाखों पेट उसके दर से पलते हैं और किसी पर उसके अहल व अयाल के साथ तीन तीन फ़ाक़े गुज़रते हैं। ग़र्ज़ हर चीज़ में اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْo [तर्जमा : क्या

तुम्हारे रब की रहमत वह बांटते हैं हमने उनमें उनकी ज़ीस्त (ज़िन्दगी) का सामान दुनिया की ज़िन्दगी में बांटा। (कंजुल ईमान पारा 25 रुकू 9 सूरए .ज़ुख़रुफ़ आयत 32)] की नेरंगियाँ (यानी करिश्मे, कारनामे, चमत्कार) हैं। अहमक़, बदअक़्ल या अजहल, बद्दीन वह जो उन के नामूस (यानी शरीअत, तदबीर, राज़ अहकामे .ख़ुदावन्दी वग़ैरा) में चूँ व चरा करे कि यूँ क्यूँ किया यूँ क्यूँ न किया। सुनता है उसकी शान है, يَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَآءُ ٥ (तर्जमा : अल्लाह जो चाहता है करता है।) उसकी शान है। اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ ٥ (तर्जमा : अल्लाह जो चाहता है हुक्म फ़रमाता है। उसकी शान है لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ٥ (तर्जमा : वह जो कुछ करे उससे कोई पूछने वाला नहीं) और सब से सवाल होगा।

ज़ैद ने रुपये की हज़ार ईंटे ख़रीदीं, पाँच सौ मस्जिद में लगाईं, पाँच सौ पाख़ाने की ज़मीन और क़दमचों में, क्या उससे कोई उलझ सकता है कि एक हाथ की बनाई हुई, एक मिट्टी से बनी हुई, एक आग से पकी हुयी, एक रुपये की मोल ली हुई हज़ार ईंटें थीं --- उन पाँच सौ में क्या ख़ूबी थी कि मस्जिद में लगाईं और इन में क्या ऐब था कि नजासत की जगह में रखीं ---- अगर कोई अहमक़ उससे पूछे भी तो वह यही कहेगा कि मेरी मिल्क थी मैंने जो चाहा किया ---- जब मिजाज़ी झूटी मिल्क का यह हाल है तो हक़ीक़ी सच्ची मिल्क का क्या पूछना --- हमारा और हमारी जान व माल का वह एक अकेला पाक निराला सच्चा मालिक है ---- उसके काम उसके अहकाम में किसी को मजाल दम ज़दन (दम मारने के) क्या मअनी, क्या कोई उसका हमसर (बराबर) या उस पर अफ़सर है जो उससे क्यूँ और क्या कहे, मालिक अ[illegible] इतलाक़ है, बे इ[illegible] है,

जो चाहा किया और जो चाहेगा करेगा।

ज़लील, फ़क़ीर बे-हैसियत हक़ीर अगर बादशाहे जब्बार से उलझे तो उसका सर खुजाया है यानी दिमाग़ फिरा है, शामत ने घेरा है --- उससे हर आक़िल यही कहेगा कि ओ बदअक़्ल बेअदब अपनी हद पर रह, जब यक़ीनन मालूम है कि बादशाह कमाल आदिल और जमीअ कमाल सिफ़ात में यकता व कामिल है (यानी सबसे ज़्यादा इन्साफ़ करने वाला सारी ख़ूबियों का मालिक अकेला और पूर्ण है) तो तुझे उसके अहकाम में दख़ल देने की क्या मजाल?

अफ़सोस कि दुनयवी मिजाज़ी झूटे बादशाहों की निसबत तो आदमी को यह ख़्याल हो और मलिकुल मुलूक (बादशाहों का बादशाह) बादशाहे हक़ीक़ी जल्लाजलालुहू के अहकाम में राएज़नी करे यानी अपने राय को दख़ल दे। --- सलातीन (बादशाह) तो सलातीन अपने बराबर का कोई बल्कि अपने से भी कम रुतबा शख़्स बल्कि अपना नौकर या .ग़ुलाम जब किसी सिफ़त का उस्ताद या माहिर हो और ख़ुद यह शख़्स उससे आगाह नहीं तो उसके अकसर कामों को हर्गिज़ न समझ सकेगा ----- यह उतनी समझ ही नहीं रखता ----- मगर अक़्ल है तो उस पर ऐतराज़ भी न करेगा ---- जान लेगा कि वह इस काम का उस्ताद है मेरा ख़्याल वहाँ नहीं पहुँच सकता ----- ग़र्ज़ अपने समझ को कम जानेगा नाकि उसकी हिकमत को ----- फिर रब्बुल अरबाब (मालिकों का मालिक) हकीमे हक़ीक़ी आलिमुस्सिर्रे वल ख़फ़ी (हर छुपी हुई बात का जानने वाला) अज़्ज़ा जलालुहू के असरार (भेद) में ग़ौर करना और जो समझ में न आए उस पर ऐतराज़ करना अगर बेदीनी नहीं तो पागलपन है --- अगर पागलपन नहीं तो बेदीनी है। वल अयाज़ु बिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन। (सलजुस्सद्र लिईमानिल क़द्र)

वुज़ू के ज़ुरूरी मसाइल

वुज़ू करने जब बैठे तो पहले यह दुआ पढ़ लें

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ٥

जो वुज़ू बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है तमाम बदन को पाक कर देता है वर्ना जितने पर पानी गुज़रेगा उतना ही पाक होगा फिर दोनों हाथों को पहुँचों तक तीन तीन बार इस तरह धोये कि पहले सीधे हाथ को उल्टे हाथ से पानी डालकर फिर उल्टे हाथ को सीधे हाथ से पानी डालकर तीन बार, और इसका ख़्याल रहे कि उगंलियों की घाईयाँ पानी बहने से न रह जायें, फिर तीन बार कुल्ली ऐसी करे कि मुँह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में पानी पहुँच जाए कि वुज़ू में इस तरह कुल्ली करना सुन्नते मुवक्किदा और ग़ुस्ल में फ़र्ज़ है।

अकसर लोगों को देखा कि उन्होंने जल्दी जल्दी तीन बार पुच-पुच कर लिया नाक की नोक पर तीन मरतबा पानी लगा दिया, ऐसा करने से वुज़ू में सुन्नत अदा नहीं होती, एक आध बार ऐसा करने से तारिके सुन्नत (यानी सुन्नत को छोड़ने वाला) और आदत डालने से गुनाहगार फ़ासिक़ होता है --- और .गुस्ल में फर्ज़ रह जाता है तो .गुस्ल तो होता ही नहीं कि नर्म बांसे तक पानी चढ़ाना वुज़ू में सुन्नते मुवक्किदा और .गुस्ल में फ़र्ज़ है।

दाढ़ी अगर है तो खूब तर कर ले कि एक बाल की जड़ भी ख़ुश्क रही और पानी उस पर न बहा तो वुज़ू न होगा, और मुँह पर पानी लम्बाई में पेशानी के बालों की जड़ों से थोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में कान की एक लौ से दूसरी लौ तक पानी बहायें, फिर दोनों हाथ कोहनियों तक इस तरह धोयें कि पानी की धार कोहनी तक बराबर पड़ती चली

जाये यह न हो कि पहुँचे से तीन बार पानी छोड़ दिया जाए और वह कोहनी तक बहता चला गया। इस तरह कोहनी बल्कि कलाई करवटों पर पानी न बहने का एहतमाल (शक शुबा) है इसका लिहाज़ ज़ुरूरी है कि एक रोगंटा भी ख़ुश्क न रहे अगर पानी किसी बाल की जड़ को तर करता हुआ बह गया और ऊपरी हिस्सा ख़ुश्क रह गया तो वुज़ू न होगा।

फिर सर के बालों का मसह करे, चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का सुन्नत है। दोनों हाथों का अंगूठा और कलिमे की उंगली छोड़ कर तीन-तीन उंगलियों और उन्हीं के मुक़ाबिल हथेली के हिस्सों से पेशानी की जानिब से गुद्दी तक खींचता हुआ ले जाये फिर हथेलियों का बाक़ी हिस्सा गुद्दी से पेशानी तक लाये और कलिमे की उंगलियों के पेट से कानों के पेट का मसह करे और अंगूठों के पेट से कानों की पुश्त का और पुश्ते दस्त (हाथ की पीठ) से गर्दन के पिछले हिस्से का ---- गले पर हाथ न लाए कि बिदअत है ---- फिर दोनों पाँव टख़नों के ऊपर तक धोये और हर अज़ू पहले दायाँ फिर बायाँ धोये।

एक मरतबा गाँव जाने का इत्तेफ़ाक़ हुआ एक आलिम मेरे साथ थे, फ़ज्र की नमाज़ के लिए उन्होंने वुज़ू किया, भवों से चेहरे पर पानी डाला जब उनसे कहा गया तो फ़रमाया जल्दी की वजह से कि वक़्त न जाये, तो मैंने कहा बिला वज़ू ही पढ़िए। मुझे ख़्याल रहा ज़ोहर के वक़्त भी देखा। उन्होंने इस वक़्त भी ऐसा ही किया। मैंने कहा अब तो वक़्त न जाता था। आजकल लोगों की आमतौर से यही आदत है, --- .ग़ुस्ल में जिस जिस क़द्र एहतियात चाहिए आजकल उतनी ही बेएहतियाती है। अल्लाह तआ़ला माफ़ फ़रमाये। (अल मलफ़ूज़)

इस्तिनशाक़ यानी नाक में पानी डालना

नाक के दोनों नथनों में जहाँ तक नरम जगह है यानी सख़्त हड्डी के शुरू तक धुलना और यह यूँ हो सकेगा पानी लेकर सूंघे और ऊपर को चढ़ाये कि वहाँ तक पहुँच जाये। लोग इसका बिल्कुल ख़्याल नहीं करते ऊपर ही ऊपर पानी डालते हैं कि नाक के सिरे तक छूकर गिर जाता है, बांसे में जितनी नर्म जगह है उस सब को धुलना तो बड़ी बात है। ज़ाहिर है कि पानी का बित्तबए मील यानी मीलान नीचे को है यानी पानी तो नीचे की तरफ़ बहता है, ऊपर बे-चढ़ाये न चढ़ेगा --- अफ़सोस अवाम तो अवाम बाज़ पढ़े लिखे भी इस बला में गिरफ़्तार हैं।

वुज़ू में तो ख़ैर इसके तर्क की आदत डालने से सुन्नत छोड़ने ही का गुनाह होगा और .गुस्ल तो हरगिज़ उतरेगा ही नहीं जब तक सारा मुँह हलक़ की हद तक न धुल जाये यहाँ तक कि उल्मा फ़रमाते हैं कि नाक के अन्दर कसाफ़त (यानी मैल) जमी है तो लाज़िम है कि पहले उसे साफ़ करे वर्ना उसके नीचे पानी उबूर न किया तो .गुस्ल न होगा। इस एहतियात से भी रोज़ादार को मफ़र (यानी छुटकारा) नहीं। हाँ उससे ऊपर चढ़ाना उसे न चाहिए कि कहीं पानी दिमाग़ को न चढ़ जाये --- ग़ैर रोज़ादार के लिए यह भी सुन्नत है।

मज़मज़ा यानी कुल्ली

सारे मुँह का मय उसके गोशे पुर्ज़े कुन्ज (कोने) के हलक़ की हद तक धुलना। आजकल बहुत बे-इल्म इस

मज़मज़े के मअनी सिर्फ़ कुल्ली के समझते हैं ---- कुछ पानी मुँह में ले कर उगल देते हैं कि ज़बान की जड़ और हलक़ के किनारे तक नहीं पहुँचता। यूँ .ग़ुस्ल नहीं उतरता न उस .ग़ुस्ल से नमाज़ हो सके, न मस्जिद में जाना जाएज़ हो बल्कि फ़र्ज़ है कि दाढ़ों के पीछे गालों की तह में दांतों की जड़ में, दांतों की खिड़कियों में, हलक़ के किनारे तक हर पुर्ज़े पर पानी बहे, यहाँ तक कि छालिया वग़ैरा अगर कोई सख़्त चीज़ पानी के बहने को रोकेगी दांतों की जड़ या खिड़कियों में हाएल हो तो लाज़िम है कि उसे जुदा करके कुल्ली करे वर्ना .ग़ुस्ल नहीं होगा। हाँ अगर उसके जुदा करने में हर्ज व नुक़सान या तकलीफ़ हो जिस तरह पानों के ज़्यादा खाने से जड़ों में चूना जम कर हो जाता है कि जब तक ज़्यादा होकर आप ही जगह न छोड़ दे छुड़ाने के क़ाबिल नहीं होता, या औरतों के दांतों में मिस्सी की तह जम जाती हैं कि उनके छीलने में दांतों और मसूढ़ों के नुक़सान का अंदेशा है तो जब तक यह हालत रहेगी इस क़द्र की माफ़ी होगी। .ग़ुस्ल में इन एहतियातों से रोज़ादार को भी चारह नहीं, ग़रारा उसे न चाहिए कि कहीं पानी हलक़ से नींचे न उतर जाये, ग़ैर रोज़ादार के लिए ग़रारा सुन्नत है।

इसालतुल माऐ यानी पानी बहाना

इसका मतलब (.ग़ुस्ल में) यह है कि सर के बालों से तलवो के नीचे तक जिस्म के हर पुर्ज़े रोंगटे की बैरूनी (बाहरी) सतह पर पानी का तक़ातुर के साथ बह जाना (क़तरा क़तरा हो कर बह जाना) सिवा इस मौज़ू (जगह) या हालत कि जिस में हर्ज हो जिस का बयान अनक़रीब आता है।

लोग यहाँ दो किस्म की बेएहतियातियाँ करते हैं जिन से .गुस्ल नहीं उतरता और नमाज़ें अकारत जाती हैं।

अव्वलन : .गस्ल बिल्फ़तह (यानी ज़बर के साथ) के मअनी में नाफ़हमी है कि बाज़ जगह तेल की तरह चुपड़ लेते हैं या भीगा हाथ पहुँच जाने पर क़नाअत करते हैं हालांकि ये मसह हुआ .गस्ल में तक़ातुर (क़तरा क़तरा हो कर बह जाना) और पानी का बहना ज़ुरूरी है। जब तक एक एक ज़र्रे पर पानी बहता हुआ न गुज़रेगा ग़ुस्ल हरगिज़ न होगा। नोट :- ग़स्ल के मअनी धुलना और .गुस्ल के मअनी नहाना।

सानियन : पानी ऐसी बेपरवाही से बहाते हैं कि बाज़ मवाज़े बिल्कुल ख़ुश्क रह जाते हैं या उन तक कुछ असर पहुँचता है तो वही भीगे हाथ की तरी उनके ख़्याल में शायद पानी में ऐसी करामत है कि हर कुन्ज (कोना) व गोशे में आप ही दौड़ जाये कुछ एहतियात ख़ास की हाजत नहीं हांला कि जिस्मे ज़ाहिर में बहुत से मवाक़े ऐसे हैं कि वहाँ एक जिस्म की सतह दूसरे जिस्म से छुप गई है या पानी की गुज़रगाह से जुदा वाक़े है कि बे लिहाज़ ख़ास पानी उस पर बहना मज़नून नहीं यानी जब तक ख़ास ध्यान न रखा जाए पानी न बहेगा और हुक्म यह है कि अगर ज़र्रा भर जगह या किसी बाल की नोक भी पानी में बहने से रह गई तो .गुस्ल न होगा और सिर्फ़ .गुस्ल बल्कि वुज़ू में भी ऐसी बेएहतियाती करते हैं, कहीं एड़ियों पर पानी नहीं बहता कहीं कोहनियों पर कहीं माथे के बालायी हिस्से पर कहीं कानों के पास कनपटियों पर हमने इस बारे में मुस्तक़िल तहरीर लिखी है उसमें इन तमाम मवाज़े (जगहों) की तफ़सील एहतियात के तरीक़े की तहक़ीक़ के साथ ऐसे सलीस व रौशन बयान से ज़िक्र किए हैं जिसे बिऔनिही हर जाहिल बच्चा व औरत समझ सके।

सतर देखने से वुज़ू नहीं टूटता

अपना या पराया सतर देखने से असलन वुज़ू में ख़लल नहीं आता। यह मसअला अवाम में ग़लत मशहूर है हाँ पराया सतर जानबूझ कर देखना हराम है और नमाज़ में और ज़्यादा हराम। अगर क़सदन देखेगा नमाज़ मकरूह होगी। (फ़तवा अफ़्रीक़ा)

क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का तरीक़ा

तम्बीह : अज़कार (ज़िक्र) व अशग़ाल (शुग़ल, कामकाज) में मशग़ूली से पहले अगर क़ज़ा नमाज़ें या रोज़े हों उनका अदा कर लेना जिस क़द्र जल्द मुमकिन हो निहायत ज़ुरूरी है जिस पर फ़र्ज़ बाक़ी हों उसके नफ़्ल व आमाले मुस्तहबा काम नहीं देते बल्कि क़बूल नहीं होते जब तक फ़राएज़ अदा न कर ले।

क़ज़ा नमाज़ें जल्दी से जल्दी अदा करना लाज़िम हैं मालूम नहीं कि किस वक़्त मौत आ जाये, क्या मुशकिल है एक दिन की बीस रकअतें होती हैं यानी फ़ज्र के फ़र्ज़ों की दो रकअत और ज़ुहर की चार रकअत और अस्र की चार और मग़रिब की तीन और इशा की सात यानी चार फ़र्ज़ तीन वित्र। इन नमाज़ों को सिवा तुलू व ग़ुरूब व ज़वाल के (कि इस वक़्त सजदा हराम है,) हर वक़्त अदा कर सकता है और इख़्तियार है कि पहले फ़ज्र की सब नमाज़ें अदा कर ले फिर ज़ोहर फिर अस्र फिर मग़रिब फिर इशा की -----

या सब नमाज़ें साथ अदा करता जाये और उनका ऐसा हिसाब लगाये कि तख़्मीना में बाक़ी न रह जायें, ज़्यादा हो जायें तो हर्ज नहीं और वह सब बक़द्रे ताक़त रफ़्ता रफ़्ता जल्दी-जल्दी अदा कर ले काहिली न करे कि जब तक फ़र्ज़ ज़िम्मे बाक़ी रहता है कोई नफ़्ल क़बूल नहीं किया जाता। नियत इन तमाम नमाज़ों की इस तरह हो मसलन सौ बार की फ़ज्र क़ज़ा है तो हर बार यूँ कहे कि सब से पहले जो फ़ज्र मुझ से क़ज़ा हुई, हर दफ़ा यही कहे यानी जब एक अदा हुई तो बाक़ियों में जो सब से पहले है। इसी तरह ज़ोहर वग़ैराह हर नमाज़ में नियत करे --- जिस पर बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों उसके लिए सूरत तख़्फ़ीफ़ (short) और जल्द अदा होने की यह है कि ख़ाली रकअतों में बजाये अलहम्द शरीफ़ के सुब्हानल्लाह कहे अगर एक बार भी कह लेगा तो फ़र्ज़ अदा हो जायेगा। नीज़ तस्बीहात रुकू व सुजूद में सिर्फ़ एक एक बार سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْمْ 'सुब्हाना रब्बि यल अज़ीम' (रुकू में) और سُبْحٰنَ رَبِّیَ الاعْلٰی 'सुब्हाना रब्बि यल अअ़ला' (सजदे में) पढ़ ले काफ़ी है। तशह्हुद (अत्तहीइयात) के बाद दोनों दुरूद शरीफ़ की जगह اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِہٖ "अल्लाहुम्म स़ल्लि अला सइयेदिना मुह़मदियूँ व आलिही" पढ़ ले। वित्र में बजाय दुआए .कुनूत के رَبِّ اغْفِرْ لِی "रब्बिग़फ़िरली" काफ़ी है।

तुलु आफ़ताब के बीस मिनट बाद और ग़ुरूब आफ़ताब से बीस मिनट क़ब्ल नमाज अदा करें। हर ऐसा जिस के ज़िम्मे नमाज़ें बाक़ी हैं छुप कर पढ़े कि गुनाह का ऐलान जाएज़ नहीं।

इसी सिलसिले में इरशाद फ़रमाया अगर किसी शख़्स के ज़िम्मे तीस या चालीस साल की नमाज़ें वाजिबुलअदा हैं

उसने अपने इन ज़ुरूरी कामों के अलावा जिन के बग़ैर गुज़र नहीं कारोबार तर्क करके पढ़ना शुरू किया और पक्का इरादा कर लिया कि कुल नमाज़ें अदा करके आराम लूंगा और फ़र्ज़ कीजिए इसी हालत में एक महीना या एक ही दिन के बाद उसका इन्तेक़ाल हो जाये तो अल्लाह तआला अपनी रहमते कामिल से उसकी सब नमाज़ें अदा कर देगा। अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْ رِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ
وَ قَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ٥ (پ٥ ع ١١)

<u>तर्जमा</u> : जो अपने घर से अल्लाह व रसूल की तरफ़ हिजरत करता हुआ निकले फिर उसे रास्ते में मौत आ जाये तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे करम पर साबित हो चुका।

यहाँ मुतलक़ फ़रमाया घर से अगर एक ही क़दम निकाला और मौत ने आ लिया तो पूरा काम उस के नामए अमाल में लिखा जायेगा और कामिल सवाब पायेगा, वहाँ नीयत देखते हैं सारा दारोमदार हुस्ने नीयत पर है।

नमाज़ के बाज़ ज़ुरूरी अहकाम

जिस वक़्त सोते से उठे ख़्याल जो कि मुजतमआ (बटा न होना) था बिजली की चाल से मुन्तशिर (बिखर जाना, फैलना) हो जाना चाहता है अगर फैल गया तो सिमटना मुश्किल हो जाता है। आँख खुलते ही पहला काम ये करे कि ख़्याल को रोक कर तसव्वुर में तीन मरतबा कलिमए तय्यबा पढ़े। यह इब्तिदा (शुरूआत) उस ख़्याल से की होगी तो दिन भर उसकी बरकत से इस के ख़्याल पर हावी

रहेगी।

नमाज़ में नाफ़ के नीचे हाथ बकुव्वत (ताक़त के साथ) बांधे जायें नफ़्स का मादन (निकलने की जगह) ज़ेरे नाफ़ है और यहाँ से वसवसे (बुरे ख़्यालात) उठते हैं और क़ल्ब (दिल) को जाते हैं इसलिए अइम्मए शाफ़िया (रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम) क़ल्ब के नीचे पेट पर हाथ बांधते हैं कि दुश्मन का रास्ता रुके और हमारे अइम्मा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम अजमईन नाफ़ के नीचे बांधते हैं कि शुरू ही से बन्दिश करें। हाथ वक़तन-फ़-वक़तन ढीले हो जायेंगे उन्हें फिर कस लिया करें।

निगाह के मवाज़े (जगहें) जो शरिअत ने बताये हैं उससे यही मक़सूद है कि ख़्याल परेशान न होने पाये, उसकी पाबन्दी ज़ुरूर है क़याम में निगाह सजदे की जगह पर रहे, रुकू में पाँवों पर, .क़ुऊद में गोदी पर, सलाम में शाने पर।

कान अपनी आवाज़ से भरे रहें (यानी जो कुछ पढ़े इतनी आवाज़ ज़ुरूरी हो कि ख़ुद सुन सके)

पढ़ने में जल्दी चाहिए आहिस्ता ढील के साथ जो पढ़ा जाये उससे ख़्याल को इन्तिशार का मैदान वसीअ मिलता है और जब जल्द जल्द अल्फ़ाज़ अदा किये गये और सेहत का भी लिहाज़ रहे तो ख़्याल को उस तरफ़ से .फ़ुरसत मिलेगी।

एक बड़ी अस्ल ये है कि सर से पाँवों तक हर जोड़, हर रग नर्म और ढीला और तसव्वुर में ज़मीन की तरफ़ मुतावज्जे रहे। हाथ खींचे हुए न हों मोंढे ऊपर को न चढ़े हों और पसलियाँ सख़्त न हों, बदन की यह वज़अ भी वक़तन-फ़-वक़तन बदल जायेगी, लिहाज़ रखें तबदीली पाते ही फ़ौरन ठीक कर लें। इसके यह मअनी नहीं कि क़याम में झुका हुआ खड़ा हो, या रुकू में सर नीचा हो या सुजूद में कलाई या बाज़ू या ज़ानू ख़िलाफ़े वज़अ (यानी अपने तरीक़े से हटे हुए) हों कि यह तो ममनू बल्कि तवज्जे में

हर अज़्व ज़मीन की तरफ़ झुका हुआ हो, पट्ठे खिंचे हुए न हों, नरम हों और यह तजुर्बे से ज़ाहिर हो जायेंगे, जिस तरह बताया गया सीधा खड़ा हो थोड़ी देर में देखेगा कि पट्ठे सख़्त हो गये, शाने और पसलियाँ ऊपर को चढ़ते मालूम हुए और तसव्वुर ठीक करते ही बग़ैर उसके बदन को कोई जुम्बिश दिए महसूस होगा कि सब के सब आज़ा उतर आये और ज़मीन की तरफ़ मुतवज्जे हो गये।

अगर अज़कार नमाज़ के माअनी मालूम हों फ़बेहा वर्ना इतना तसव्वुर जमाये रहे कि अपने रब के रू-ब-रू खड़ा आजिज़ी कर रहा हो और उस पर मुईन (मददगार) होगा गिड़गिड़ाने की सूरत मुँह बनाना, जब यह वज़अ पाये फ़ौरन मुतवज्जे होकर मुँह बना ले फ़ौरन ख़्याल सही हो जायेगा।

वसवसे जो आयें उनके दफ़ा की कोशिश न करे उससे लड़ाई बांधने में भी उसका मतलब हासिल है कि बहरहाल नमाज़ से ग़ाफ़िल होकर दूसरे काम में मशग़ूल हुआ बल्कि फ़ौरन उधर से ख़्याल अपने रब के हुज़ूर में आजज़ी की तरफ़ मुतवज्जे कर दे और वसवसे को यह समझ ले कि कोई दूसरा बक रहा है मुझसे कुछ काम नहीं। अगर ज़्यादा सताये तो उसी आजज़ी में अपने रब से फ़रयाद करे। वासवसे का क़ायदा है कि यादे इलाही करते ही भाग जाता है।

बड़ा गुर यह है कि पेट न ख़ाली हो न भरा। इतना ख़ाली कि भूक परेशान करे यह भी मुज़िर होगा, भरे के ज़रर (नुक़सान) का तो कुछ ठिकाना ही नहीं। अफ़ज़ल व औला एक तिहाई पेट है। (कशकोल फ़क़ीर क़ादरी)

सफ़े अव्वल की फ़ज़ीलत

इरशाद : हदीस में फ़रमाया अगर लोगों को मालूम होता कि सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने का इस क़द्र सवाब है

तो ज़ुरूर इस पर .कुर्रा अन्दाज़ी (लाटरी की तरह नम्बर निकालना) करते यानी हर एक सफ़े अव्वल में खड़ा होना चाहता और जगह की तंगी के सबब .कुर्रा अन्दाज़ी पर फ़ैसला होता। सब से पहले इमाम पर रह़मते इलाही नाज़िल होती है फिर सफ़े अव्वल में जो इस के मुहाज़ी (ठीक पीछे) खड़ा हो उस मुहाज़ी के दाहिनी जानिब फिर बायें। इसी तरह दूसरी सफ़ में पहले मुहाज़ी इमाम दाहिने फिर बायें पर यूँही आख़िर सफ़ तक। (अल मलफ़ूज़)

नमाज़ बाजमाअत की फ़ज़ीलत

शारे (यानी सरकार मुस्तफ़ा) स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जमाअत की इस दर्जा ताकीद फ़रमाई है कि एक नाबीना (अंधे) ख़िदमते अक़दस में हाज़िर हुये कि या रसूलल्लाह मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मुझे हाथ पकड़ कर मस्जिद में ले आया करे, मुझे घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त अता हो। इजाज़त फ़रमाई जब वह चले फिर बुलाया और इरशाद फ़रमाया अज़ान की आवाज़ तुम्हें पहुँचती है। अर्ज़ की हाँ, फरमाया तो हाज़िर हो।

अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कि यह भी आंखो से माज़ूर थे, हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह मदीनए तय्यबा में साँप, बिच्छू, भेड़िए बहुत हैं क्या मुझे इजाज़त है कि घर में (नमाज़) पढ़ लिया करूँ। फ़रमाया क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ पहुँचती है। अर्ज़ की हाँ, फ़रमाया तो हाज़िर हो।

नाबीना कि अटकल न रखता हो न कोई ले जाने वाला ख़ुसूसन जब साँप भेड़ियों का अन्देशा हो तो ज़ुरूर

रुख़सत है मगर हुज़ूर ने उन्हें अफ़ज़ल पर अमल करने की हिदायत फ़रमाई कि और लोग सबक़ लें जो बिला उज़्र घर में पढ़ते और मस्जिद में हाज़िर न होकर दलालत व गुमराही में पड़ते हैं कि अगर तुम लोग अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे, अबू दाऊद में है अलबत्ता तुम कुफ़्र करोगे। वल अयाज़ु बिल्लाहि तआ़ला।(फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल)

जमात को तर्क करने के शरई उज़्र

हमेशा याद रहे कि अहकामे इलाही बजा लाने में क़लील मशक़्क़त कभी उज़्र नहीं हो सकती मशक़्क़ते शदीद उज़्र है। अगर रात इतनी अंधेरी है कि मस्जिद तक रास्ता नज़र नहीं आता या सुबह को स्याह बदली मुहीत होने से या किसी वक़्त सियाह आंधी चल चुकने से ऐसी तारीकी है तो यह जमाअत में हाज़िर न होने का उज़्र है। चराग़ या लालटैन मुहइया हो जिसे मस्जिद तक ले जा सके या मुहइया कराने में दिक़्क़त नहीं मसलन तेल और दियासलाई मौजूद है तो कैसी अंधेरी हो जमाअत तर्क करने के लिए उज़्र नहीं हो सकती।

जिस के पास रोशनी का सामान नहीं या मसलन एक ही चराग़ है और घर में अहल व अयाल हैं कि यह मस्जिद को ले जाये तो वह कामों से मुअत्तल रह जायें या बच्चे अन्धेरे में डरें या औरत अकेली है उसे ख़ौफ़ आये तो ऐसी हालत में वह सख़्त अन्धेरी कि मस्जिद तक रास्ता न सूझे जमाअत को तर्क करने के लिए उज़्र है।

अंधेरे में मस्जिद को जाना बड़ी फ्ज़ीलत रखता है। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं।

जो अंधेरीयों में हाज़िरे मस्जिद के आदी हैं उन्हें बशारत दो रोज़े क़यामत कामिल नूर की। (फ़तावा रज़विया)

जो मस्जिद तक न जा सके जैसे लुन्झा, अपाहिज, या वह मफ़लूज मरीज़, इन्तेहाई कमज़ोर बूढ़ा कि चल नहीं सके, अन्धा कि अटकल नहीं रखता, रात को रतौन्द वाला, दर्दे कमर वग़ैरह की वजह से चलने से माज़ूर, इन लोगों पर जुमा व जमाअत वाजिब नहीं। (फ़तावा रज़विया अव्वल)

वुज़ू, ग़ुस्ल, सजदे में अवाम व ख़वास की बेएहतियातियाँ

वुज़ू में कुहनियाँ, ऐड़ियाँ, कलाईयाँ कि बाज़ बालों की नोके अकसर ख़ुश्क रह जाती हैं और यह तो आम बला है कि मुँह धोने में पानी माथे के निचले हिस्से पर डालते हैं ऊपर भीगा हाथ चढ़ा कर ले जाते हैं कि माथे के बलाई हिस्सा का मसह हुआ न ग़स्ल (धुलना) और फ़र्ज़ ग़स्ल (ध ुलना) है, न वुज़ू हुआ न नमाज़।

ग़ुस्ल में फ़र्ज़ है कि पानी सूंघ कर नाक के नर्म बांसे तक चढ़ाया जाये। दरयाफ़्त कर देखिये कितने ऐसा करते हैं, चुल्लू में पानी लिया और नाक की नोक को लगाया इस्तिनशाक़ (इस्तिनशाक़ यानी नाक में पानी सुड़कना जिसका बयान पीछे गुज़रा) हो गया --- तो हर वक़्त जुनुब (बेगुस्ला) रहते हैं। उन्हें मस्जिद में जाना हराम है नमाज़ दर किनार।

सजदे में फ़र्ज़ है कि कम से कम पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगा हो और पाँव की अकसर उंगलियों का पेट ज़मीन पर जमा होना वाजिब है। यूँही नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना वाजिब है। बहुतेरों की नाक ज़मीन से

लगती ही नहीं और अगर लगी तो वही नाक की नोक यहाँ तो तर्क वाजिब व गुनाह और आदत फ़िस्क़ का सबब ही हुआ। पाँव को देखिये उंगलियों के सिरे ज़मीन पर होते हैं किसी उंगली का पेट बिछा नहीं होता सजदा बातिल नमाज़ बातिल और मुसल्ली (नमाज़ी) साहब पढ़कर घर को चल दिये। (फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल)

क़िराअत में बेएहतियातियाँ

क़िराअत में इतनी तजवीद कि हर हर्फ़ दूसरे से सही मुमताज़ हो फ़र्ज़े ऐन है यानी हर हर्फ़ का फ़र्क़ साफ़ ज़ाहिर होना चाहिए यह फ़र्ज़ है बग़ैर उसके नमाज़ क़तअन बातिल है। अवाम बेचारों को जाने दीजिए ख़वास कहलाने वाले को देखिए कितने इस फ़र्ज़ पर अमल करते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना किन को? उलमा को, मुफ़्तियों को मुदर्रिसों को, मुसन्निफ़ों को कि .कुल हु वल्लाहु अह़द قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ की जगह .कुल हु वल्लाहु अहद قُلْ هُوَاللّٰهُ اَهَدٌ पढ़ते हैं। (यानी अह़द को अहद यानी बड़ी हे की जगह छोटी हे पढ़ते हैं) जुमे में يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ की जगह يَعْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ पढ़ते हैं यानी यह़सबून की जगह यअ़सबून यानी बड़ी हे की जगह ऐन पढ़ते हैं ---- هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ की जगह هُمُ الْعَدُوُّ فَاعْذَرْهُمْ पढ़ते है यानी फ़ह़ज़रहुम की फ़अ़ज़रहुम पढ़ते हैं यानी बड़ी हे की जगह ऐन पढ़ते हैं। وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ की जगह وَهُوَالْعَذِيْزُ الْحَكِيْمُ है यानी अ़ज़ीज़ में ज़े की जगह ज़ाल से पढ़ते हैं। --- बल्कि एक साहब को अल्ह़म्दु शरीफ़ में सिरातॅलज़ीना में ज़ाल की

जगह ज़ोए से पढ़ते देखा। किस किस की शिकायत कीजिए यह हाल अकाबिर का है फिर अवाम बेचारों की क्या गिनती।

क्या शरीअत इन की बे परवाहियों के सबब अपने अहकाम मनसूख़ फ़रमा देगी नहीं-नहीं।

(फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल)

नवाफ़िल में रुकू की कैफ़ियत

अर्ज़ : नवाफ़िल में रुकू किस तरह करना चाहिए अगर बैठ कर पढ़ रहा हो?

इरशाद : इतना झुके कि सर घुटने के मुहाज़ी आ जाए और अगर खड़े होकर पढ़े तो पिन्डलियाँ मकूस (यानी कमान की तरह टेढ़ी) न हों और हाथ की हथेलियाँ घुटनों पर क़ायम करके हाथों की उंगलियाँ एक दूसरे से अ़लैहिदा रहें। एक साहब को मैंने देखा कि हालते रुकू में पुश्त बिल्कुल सीधी और मुँह उठाए थे जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए, पूछा गया यह आप ने कैसा रुकू किया, हुक्म तो यह है कि गरदन न इतनी झुकाओ जैसे भेड़, और न इतनी उठाओ जैसे ऊँट। वह साहब कहने लगे मुँह इस वजह से उठा लिया था कि सम्ते क़िब्ला से न फिर जाये। मैंने कहा तो आप सजदा भी ठोड़ी पर करते होंगे उनकी समझ में बात आ गई और आइन्दा के लिए इस्लाह हो गयी। (अलमलफ़ूज़)

नमाज़ की अहमियत

इरशाद फ़रमाया नमाज़ को लोगों ने आसान समझ लिया है। अवाम बेचारे किस गिनती में बाज़ बड़े-बड़े आलिम जो कहलाते हैं उनकी नमाज़ सही नहीं होती। इबादत महज़ लिवजिल्लाह (सिर्फ़ अल्लाह के लिए) होना चाहिए कभी

अपने आमाल पर नाज़ाँ न हो कि किसी के उम्र भरी के आमाले हसना (नेक आमाल) उसकी किसी एक नेमत का जो उसने अपनी रहमत से अता फ़रमाई है बदला नहीं हो सकते। (अल मलफ़ूज़)

जमाअते सानिया के वक़्त सुन्नत

अर्ज़ : जमाअते सानिया (पहली जमाअत के बाद दूसरी जमाअत) जिस वक़्त शुरू हो सुन्नते ज़ोहर उस वक़्त पढ़ना जाएज़ है या नहीं या फ़ज्र की सुन्नतें जमाते सानिया के क़ादा (अत्तहीइयात में बैठने को क़ादा कहते हैं) न मिलने की वजह से छोड़ दी जायें या क्या?

इरशाद : जमाअते सानिया फ़क़त जाएज़ है उसके लिए सुन्नत न छोड़े असल नमाज़ जमाअत ऊला है यानी जो जमाअत सबसे पहले क़ायम की जाए जिसके लिए हदीस में इरशाद है कि अगर मकानों में बच्चे और औरते न होतीं तो लोग जमाअत में शरीक नहीं होते हैं इन के मकानों को जलवा देता। (अलमलफ़ूज़ जिल्द 3)

नमाज़े जनाज़ा की सफ़ें

अर्ज़ : नमाज़े जनाज़ा में तीन सफ़ करने की फ़ज़ीलत है। इसकी तरकीब दर्रे मुख़्तार व कबीरी में यह लिखी है कि पहली सफ़ में तीन दूसरी में दो और तीसरी में एक आदमी खड़ा हो, इसकी क्या वजह है कि हर सफ़ में दो दो खड़े हो सकते हैं।

इरशाद : कम से कम तीन आदमियो से सफ़ कामिल होती है इस वास्ते सफ़े अव्वल को पूरा कर दिया गया और उसकी दलील यह है कि इमाम के बराबर दो आदमियों का खड़ा होना मुकरूहे तन्ज़ीही है और तीन का मुकरूहे तहरीमी क्यूँकि सफ़ कामिल हो गयी और इस सूरत में इमाम का सफ़ में खड़ा होना हो गया और पन्ज वक़्ता नमाज़ों बाज़ सूरतों में तन्हा सफ़ में खड़ा होना नाजाएज़ नहीं।

(अलमलफ़ूज़ जिल्द 3)

फ़ज्र की सुन्नत कब पढ़ें

अर्ज़ : सुन्नते फ़ज्र अव्वल वक़्त पढ़े या फ़र्ज़ों के मुतसल यानी के साथ मिली हुई यानी फ़ौरन फ़र्ज़ों से पहले।

इरशाद : अव्वल वक़्त पढ़ना औला है। हदीस शरीफ़ में है कि जब इन्सान सोता है शैतान तीन गिरह लगा देता है, जब सुबह उठते ही वह रब अज़्ज़ावजल्ला का नाम लेता है एक गिरह खुल जाती है और वुज़ू के बाद दूसरी, और जब सुन्नतों की नीयत बाधी तीसरी भी खुल जाती है लिहाज़ा अव्वल वक़्त सुन्नतें पढ़ना औला है। (अल मलफ़ूज़)

सलाम के बाद दायें बायें फिरना

सवाल : सलाम के बाद को पन्ज वक़्ता नमाज़ में दायें बायें फिर के दुआ मांगना चाहिए या सिर्फ़ फ़ज्र व अस्र में?

अलजवाब : किसी नमाज़ में इमाम को हरगिज़ न चाहिए कि (सलाम के बाद) रू-ब-क़िबला (यानी क़िबले की तरफ़ मुँह करके) बैठा रहे, इन्सिराफ़ (फिरना) मुतलक़न ज़रूरी है।

(फ़तावा रज़विया जिल्द 3)

आदाबे मस्जिद

(1) बग़ैर ऐतकाफ़ की नियत किए हुए किसी चीज़ के खाने की इजाज़त नहीं, बहुत मस्जिद में दस्तूर है कि माहे रमज़ानुल मुबारक में लोग नमाज़ियों के लिए अफ़तारी भेजते हैं, वह बिला नियत ऐतकाफ़ वहीं बेतकल्लुफ़ खाते पीते हैं और फ़र्श ख़राब करते हैं यह नाजाएज़ है।

(2) मस्जिद के एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दाख़िले के वक़्त सीधा क़दम बढ़ाया जाये हत्ताकि अगर सफ़ बिछी हो उस पर भी पहले सीधा क़दम रखो और जब वहाँ से हटो तो भी सीधा क़दम फ़र्शे मस्जिद पर रखो, या ख़तीब (खुतबा पढ़ने वाला) जब मिम्बर पर जाने का इरादा करे पहले सीधा क़दम रखे और जब उतरे तो सीधा क़दम उतारे।

(3) वुज़ू करने के बाद अज़ाए वुज़ू से एक छींट पानी की मस्जिद के फ़र्श पर न गिरे।

(4) मस्जिद में दौड़ना या ज़ोर से क़दम रखना जिससे धमक पैदा हो मना है।

(5) मस्जिद में दुनिया की कोई बात न की जाये, हाँ अगर कोई दीनी बात किसी से कहना हो तो क़रीब जाकर आहिस्ता से कहना चाहिए नाकि एक साहब मस्जिद में खड़े हुए दूसरे राहगीर से जो सड़क पर खड़ा हुआ है चिल्ला कर बातें कर रहे हैं कोई बाहर से पुकार रहा है और ये जवाब उसका बलन्द आवाज़ से दे रहे हैं।

(6) मस्जिद के फ़र्श पर कोई चीज़ फेंकी न जाए बल्कि आहिस्ता से रख दे। गर्मी के मौसम में लोग पंखा झलते झलते फेंक देते हैं या लकड़ी छतरी रखते वक़्त दूर से छोड़ दिया करते हैं इसकी मुमानअत है ग़र्ज़ मस्जिद का ऐहतराम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।

(7) क़िब्ला की तरफ़ पाँव फैलाना तो हर जगह मना है। मस्जिद में किसी तरफ़ न फ़ैलाये कि ख़िलाफ़े आदाब दरबार है। हज़रते इब्राहीम अदहम .कुद्दिसा सिर्रुहू मस्जिद में तन्हा बैठे थे पाँव फैला लिया। गोशए मस्जिद से हातिफ़ ने आवाज़ दी इब्राहीम बादशाहों के हुज़ूर में यूंही बैठते हैं ----- फ़ौरन पाँव समेटे और ऐसे समेटे कि वक़्ते इन्तेक़ाल ही फैले।

(8) मस्जिद में यहाँ के किसी काफ़िर को आने देना सख़्त नाजाएज़ और मस्जिद की बेहुरमती है। फ़िक़्ह में जवाज़ है तो ज़िम्मी (काफ़िर की एक क़िस्म) के लिए और यहाँ का काफ़िर जिम्मी नहीं। कैसा शदीद ज़ालिम है वह तुम को भंगी की तरह समझें, जिस चीज़ को तुम्हारा हाथ लग जाए उसे नापाक जानें, सौदा दें तो दूर से डालें, पैसा लें तो अलग रखवा लें हालांकि इनकी नजासत पर .कुरआन करीम शाहिद (गवाह) है। .कुरआन में है कि मुश्रिक बड़े नापाक हैं और तुम इन नजिसों को मस्जिद में आने की इजाज़त दो कि अपने नापाक पाँव को तुम्हारे माथे रखने की जगह रखें, अपने गन्दे बदनों से तुम्हारे रब के दरबार में आयें। अल्लाह हिदायत फ़रमाये। (अलमलफ़ूज़)

आज का उर्स और औरतों की हाज़री

अर्ज़ : हुज़ूर बुज़ुर्गाने दीन के उर्सों में जो अफ़आल नाजाएज़ होते हैं उनसे हज़रात को तकलीफ़ होती है?

इरशाद : बिला शुबाह (इन हज़रात को तकलीफ़ होती है) और यही वजह है कि इन हज़रात ने भी तवज्जो कम फ़रमा दी वर्ना पहले जिस क़द्र फ़ैज़ होते थे वह अब कहाँ? ----- इमाम क़ाज़ी से इस्तिफ़ता हुआ कि औरतों का मक़ाबिर को

जाना जाएज़ है या नहीं? फ़रमाया ऐसी जगह जो जवाज़ व अदमे जवाज़ नहीं पूछते (यानी ऐसे मसअलों में जाएज़ व नाजाएज़ नहीं पूछते) यह पूछो कि इस में औरत पर कितनी लानत पड़ती हैं।

1- जब घर से .कुबूर की तरफ़ चलने का इरादा करती है अल्लाह और फ़रिश्तों की लानत में होती है।

2- जब घर से बाहर निकलती है सब तरफ़ों से शैतान उसे घेर लेते हैं।

3- जब क़ब्र तक पहुँचती है मय्यत की रूह उस पर लानत करती है।

4- जब वापस आती है अल्लाह की लानत में होती है।

(फ़तावा रज़विया जिल्द चहारुम)

उलटी सूरतों का वज़ीफ़ा

अर्ज़ : बाज़ वज़ायफ़ में आयात और सूरतों का माअकूस (उल्टा) करके पढ़ना लिखना लिखा है।

इरशाद : हराम और अशद हराम, कबीरा और सख़्त कबीरा क़रीब कुफ़्र है। यह तो दरकिनार सूरतों की सिर्फ़ तरतीब बदल कर पढ़ना उसकी निसबत तो हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं "क्या ऐसा करने वाला डरता नहीं कि अल्लाह उसके क़ल्ब को उलट दें" नाकि आयात को बिल्कुल माकूस करके मुहमल (उल्टा करके बेमअनी बना देना) बना देना। (अलमलफ़ूज़)

क़ल्ब और नफ़्स

क़ल्ब (दिल) हक़ीक़तन इस मज़ग़ए गोश्त (गोश्त के लोथड़े) का नाम नहीं बल्कि वह एक लतीफ़ए ग़ैबिय्या है जिस का मरकज़ (केन्द्र) यह मज़ग़ए गोश्त है --- सीने के

बायें जानिब और नफ़्स का मरकज़ ज़ेरे नाफ़ है यानी नाफ़ के नीचे है। इसी वास्ते शाफ़िया सीने पर हाथ बांधते हैं कि नफ़्स से जो वसवसा उठे वह क़ल्ब तक न पहुँचने पाये और हनफ़िया ज़ेरे नाफ़ बांधते हैं।

سر چشمہ باید گرفتن بہ میل   چو پر شد نشاید گرفتن بہ پیل

बांध का मुँह पहले ही थोड़ी चीज़ से बांध देना चाहिए जब बढ़ जाता है तो हाथी के ज़रिए भी मुमकिन नहीं --- और गिरबा कुशतन रोज़ अव्वल बायद यानी बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए इसलिए लिखा गया है कि अगर हाथ सख़्ती से बान्धे जायें तो वसाविस (वसवसे) न पैदा हों। (अलमलफ़ूज़)

महर की अदायगी

अर्ज़ : जो शख़्स महर क़बूल करते वक़्त यह ख़्याल करके कि कौन अदा करता है इस वक़्त तो क़बूल कर लो फिर देखा जायेगा, ऐसे लोगों का क्या हुक्म है।

इरशाद : हदीस में इरशाद फ़रमाया ऐसे मर्द व औरत क़यामत के रोज़ ज़ानी और ज़ानिया उठेंगे। (अलमलफ़ूज़)

खाने के आदाब

खाना खाते वक़्त इल्तिज़ाम (तय करना) कर लेना न बोलने का यह आदत है मजूस और मुकरूह है और लगू बातें करना यह हर वक़्त मुकरूह और ज़िक्रे ख़ैर करना यह जाएज़ है। (अलमलफ़ूज़)

अर्ज़ : खाने के वक़्त शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है।

इरशाद : हाँ काफ़ी है बग़ैर बिस्मिल्लाह शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है।

अर्ज़ : दस्तरख़्वान पर अगर अशआर वग़ैराह लिखे हों उस पर खाना जाएज़ है।

इरशाद : नाजाएज़ हैं

खाना खाते वक़्त जूता उतार लेना सुन्नत है दारमी, अबू याला, हाकिम बफ़ादए तसहीह हज़रते अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी, रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं। जब खाना खाने बैठो तो जूते उतार दो, इसमें तुम्हारे पाँव के लिए ज़्यादा राहत है और बेशक यह अच्छी सुन्नत है। शिरअतुल इस्लाम में है खाते वक़्त जूते उतार ले।

जूता पहने खाना अगर उस उज़्र से हो कि ज़मीन पर बैठा खा रहा है और फ़र्श नहीं जब तो सिर्फ़ एक सुन्नत मुस्तहब का तर्क है। उसके लिए बेहतर यही था कि जूता उतार ले और अगर मेज़ पर खाना है और ये कुर्सी पर जूता पहने है तो वज़ा ख़ास नस्सारा की है उससे दूर भागे और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का वह इरशाद याद करे "जो किसी क़ौम से मुशाबहत करे वह उन्हीं में से है" (अह़मद, अबू दाऊद, अबू याला, तबरानी)

खाने के बाद बर्तन चाटना मसनून है

(1) सही मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उंगलियाँ और रकाबी चाटने का हुक्म फ़रमाते और इरशाद फ़रमाते तुम्हें क्या मालूम खाने के किस हिस्से में बरकत है यानी शायद इसी हिस्से में हो जो उंगलियों या बर्तन में लगा रह गया है।

(2) मुस्लिम व अह़मद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई

ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हमें खाना खाकर प्याला ख़ूब साफ़ कर देने का हुक्म फ़रमाया कि तुम क्या जानो तुम्हारे कौन से खाने में बरकत है।

(3) अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने नबईशतुल ख़ैर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो किसी प्याले में खाकर ज़बान से उसे साफ़ कर दे वह प्याला उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे।

(4) इमाम हकीम तिर्मिज़ी इसी मज़मून में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाया और वह बर्तन उस पर दुरूद भेजे।

(5) दैलमी की रिवायत में है कि फ़रमाया वह प्याला यूँ कहे इलाही इसे आतिशे दोज़ख़ से बचा जिस तरह इसने मुझे शैतान से बचाया यानी बर्तन सना हुआ छोड़ दे तो शैतान उसे चाटता है।

(6) हाकिम व इब्ने हब्बान व बैहक़ी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया खाना खाकर बर्तन न उठाये जब तक उसे ख़ुद न चाट ले या (मसलन किसी बच्चे या ख़ादिम को) चटा दे कि खाने के पिछले हिस्से में बरकत है।

(7) मुसनद हसन इब्ने सुफ़यान में वालिद राइता रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से है रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया प्याला चाट लेना मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि उस प्याले भर खाना तसद्दुक़ करो यानी चाटने में जो तवाज़ो है उसका सवाब उस तसद्दुक़ के सवाब से ज़्यादा है।

(8) मोजमे कबीर इरबाज़ इब्ने सारिया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो रकाबी और अपनी उंगलियाँ चाटे फ़क्र व फ़ाक़े से बचे। [illegible] की भूक से [illegible] रहे,

दोज़ख़ से पनाह दिया जाय कि दोज़ख़ में किसी का पेट न भरेगा उसमें वह खाना है कि न फ़रबे ही लाये न भूक में कुछ काम आये। (फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल)

दाने दाने पे है खाने वाले का नाम

ज़रक़ानी अलल मवाहिब में रिवायत है कि हर दाने पर क़लमे .कुदरत से इतनी इबारत लिखी होती है :-

بسم اللّٰہ الرحمٰن رحیم ھذا رزق فلان بن فلان

बिस्मिल्लाह शरीफ़ के बाद ये दाना फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का रिज़्क़ है, वह दाना उसके सिवा किसी दूसरे के पेट में नहीं जा सकता।

फ़क़ीर कहता है दाने ऐसे होते होंगे कि आटा पीसकर उसके कुछ अजज़ा एक रोटी में गये कि ज़ैद ने खाई कुछ दूसरी में कि अम्र ने तो ऐसे दाने के इस हिस्से पर ज़ैद का नाम मय वलदियत लिखा होगा और उस हिस्से पर अम्र का ----- यूँही अगर वह दाना चार शख़्सों में तक़सीम हुआ तो चारों हिस्सों पर चारों नाम दर्ज होंगे, और बाज़ दाने यूँही ज़ाय (बरबाद) हो जाते हैं उन पर किसी का नाम न होगा। (फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल)

अह़मद व मुह़म्मद नाम के फ़ज़ाइल

किसी ने अर्ज़ किया मेरे भतीजा पैदा हुआ है उसका कोई तारीख़ी नाम तजवीज़ फ़रमा दें तो आला हज़रत .कुद्दिसा

सिर्रुहू ने इरशाद फ़र्माया।

तारीख़ी नाम से क्या फ़ायदा नाम वह हो जिन के अहादीस में फ़ज़ाएल आये हैं, मेरे और मेरे भाइयों के जितने लड़के पैदा हुए हैं मैंने सब का नाम "मुहम्मद" रखा यह और बात है कि यही नाम तारीख़ी भी हो जाये। (अल मलफ़ूज़)

मुहम्मद और अहमद नामों के फ़ज़ाएल में बहुत सी अहादीस आए हैं।

(1) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं। मेरे नामे पाक पर नाम रखो मेरी कुन्नियत न रखो।

नोट : अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मोजमे कबीर, तबरानी में यह हुक्म कि मेरा नाम रखो कुन्नियत अबुल क़ासिम न रखो सिर्फ़ ज़मानए अक़दस से ख़ास था अब उल्माए किराम ने नाम और कुन्नियत दोनों की इजाज़त दी है बल्कि यह इजाज़त एक हदीस शरीफ़ से साबित भी है जो कि मिश्कात शरीफ़ सफ़ा 407 पर है।

(2) फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसके लड़का पैदा हुआ और वह मेरी महब्बत और मेरे नाम पाक से तबर्रुक के लिए इस का नाम मुहम्मद रखे, वह और उसका लड़का दोनों बहशत में जायेंगे।

(इब्ने असाकिर व हुसैन इब्ने अहमद)

(3) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़े क़यामत वह शख़्स हज़रते इज़्ज़त के हुज़ूर में ख़ड़े किये जायेंगे हुक्म होगा उन्हें जन्नत में ले जाओ। अर्ज़ करेंगे इलाही हम किस अमल पर जन्नत के क़ाबिल हुए। हमने तो कोई ख़ास काम जन्नत का न किया। रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमायेगा जन्नत में जाओ कि मैंने हलफ़ फ़रमाया है कि जिस का नाम अहमद या मुहम्मद हो दोज़ख़ में न जायेगा।

(हाफ़िज़ अबू ताहिर सलफ़ी व इब्ने बुकैर)

यानी जबकि मोमिन हो और मोमिन उर्फ़े .कुरआन व हदीस व सहाबा में उसी को कहते हैं जो सुन्नी सही-उल-अक़ीदा हो। जैसा कि उल्मा ने इस पर दलील दी है तौज़ीह नाम की किताब में वर्ना बदमज़हबियों के लिये तो हदीसें ये इरशाद फ़रमाती हैं कि वह जहन्नम के कुत्ते हैं उनका कोई अमल क़बूल नहीं। बदमज़हब अगर हज्रे असवद व मक़ामे इब्राहीम के दरम्यान मज़लूम क़त्ल किया जाय और अपने उस मारे जाने पर साबिर व तालिबे सवाब रहे जब भी अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला उसकी किसी बात पर नज़र न फ़रमाये और उसे जहन्नम में डाले।

(दारकुतनी, इब्ने माजा, बैहक़ी वग़ैरहम)

(4) रसूलुल्लाहु स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मेरे रब अज़्ज़ावजल्ला ने मुझसे फ़रमाया, अपने इ़ज़्ज़त व जलाल की क़सम जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा उसे दोज़ख़ का अज़ाब न दूंगा। (हिलया, अबू नईम)

(5) अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआ़ला वजहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाहु स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिस दस्तरख़्वान पर लोग बैठकर खाना खायें और उनमें कोई मुह़म्मद या अह़मद नाम का हो वह लोग हर रोज़ दो बार मुक़द्दस किए जायेंगे।

(हाफ़िज़ इब्ने बुकैर दैलमी मुसनद अबू सईद नक़्क़ाश इब्ने अदी कामिल)

हासिल यह कि जिस घर में इन पाक नामों का कोई शख़्स हो दिन में दो बार उस मकान में रह़मते इलाही का नज़ूल हो।

(6) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, तुम में किसी को क्या नुक़सान है अगर उसके घर में एक मुह़म्मद या दो मुह़म्मद या तीन मुह़म्मद हों।(तबक़ाते इब्ने सअद)

लिहाज़ा इस फ़कीर ग़फ़ारल्लाहु तआ़ला लहू (यानी आलाहज़रत) ने अपने सब बेटों भतीजों का अकीके में सिर्फ़ मुह़म्मद नाम रखा फिर नामे अक़दस के हिफ़्ज़ व आदाब और बाहम तमय्युज़ के लिए उर्फ़ जुदा मुक़र्रर किये यानी अक़ीक़ा तो सबका नामे मूह़म्मद पर किया सब में फ़र्क़ करने के लिए नाम अलग अलग किए। बिह़म्दु लिल्लाहि तआ़ला फ़क़ीर के यहाँ पाँच मुह़म्मद अब मौजूद हैं।

(7) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब कोई क़ौम किसी मशवरे के लिए जमा हो और उनमें कोई शख़्स मुह़म्मद नाम का हो और उसे अपने मशवरे में शरीक न करें उनके लिए इस मशवरे में बरकत न रखी जाये। (तराइफ़ी इब्ने जौज़ी)

(8) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिस के तीन बेटे पैदा हों और वह उनमें से किसी का नाम मुह़म्मद न रखे ज़ुरूर जाहिल है। (तबरानी कबीर)

(9) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब लड़के का नाम मुह़म्मद रखो तो उस की इज़्ज़त करो और मजलिस में उसके लिए जगह कुशादा करो और उसे बुराई की तरफ़ निसबत न करो उस पर बुराई की दुआ न करो। (हाकिम मुसनदुल फ़िरदौस, तारीख़ ख़तीब)

(10) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, जब लड़के का नाम मुहम्मद रखो तो उसे न मारो, न महरूम करो। (मुसनदे बज़्ज़ाज़)

बेहतर यह है कि सिर्फ़ मुह़म्मद या अह़मद नाम रखे उसके साथ 'जान' वग़ैरा और कोई लफ़्ज़ न मिलाये कि फ़ज़ाइल तन्हा इन्हीं असमा (नाम की जमा) मुबारक के वारिद हुए हैं। (अन्नूर व ज़ियाय मुलख़्ख़सन व अहकामे शरीअत)

बरकात नक़्शए नअल पाक

उलमाए-किराम फ़रमाते हैं :

(1) जिस के पास यह नक़्शए मुबारिका हो ज़ुल्म ज़ालमीन व शैतान के शर व हास्दीन की बुरी नज़र से महफूज़ रहे।

(2) औरत दर्दे ज़ह (बच्चा पैदा होने का दर्द) के वक़्त अपने दाहिने हाथ में ले आसानी हो।

(3) जो हमेशा पास रखे निगाहे हक़ में मोअज़्ज़िज़ हो।

(4) ज़्यारत रौज़ए मुक़द्दस नसीब हो या ख़्वाब में ज़्यारत हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हो।

(5) जिस लशकर में हो न भागे।

(6) जिस क़ाफ़िले में हो न लुटे।

(7) जिस कश्ती में हो न डूबे।

(8) जिस माल में हो न चुरे।

(9) जिस हाजत में उससे तवस्सुल किया जाये पूरी हो।

(10) जिस मुराद की नियत से पास रखे हासिल हो।

मौज़ा दर्द व मर्ज़ (दर्द व मर्ज़ की जगह) पर रख कर उससे शिफ़ायें मिली हैं। मुहलिक मुसीबतों में इससे तवस्सुल करके यानी इसका वसीला देने से नजात व फ़लाह की राहें खुली हैं। इस बाब में हिकायत सुलहा (नेक लोगों की हिकायात) और उलमा की रिवायात बहुत आईं है।

(बदरुल अनवार फ़ी आदाबिल आसार)

ग़ैर ख़ुदा को सजदए ताज़ीमी हराम है

मुसलमान! ऐ मुसलमान शरीअते मुस्तफ़ा के ताबे फ़रमान जान और यक़ीन जान कि सजदा हज़रते इ़ज़्ज़त

(अल्लाह तआला) अज़्ज़ावजल्ला के सिवा किसी के लिए नहीं। उसके ग़ैर के लिए सजदा यक़ीनन इजमाअन शिर्के मुहीन (यानी सबके नज़दीक खुला हुआ शिर्क) व कुफ़्र मुबीन और सजदए तहिइयत हराम व गुनाह कबीरा, बिलयक़ीन उसके कुफ़्र होने में इख़्तलाफ़ उलमाए दीन पीरों व मज़ार के लिए हरगिज़ हरगिज़ न जाएज़ व मुबाह बल्कि हराम और कबीरा हशा। (अलज़ुबदतुल ज़किइयह)

क़ब्र का बोसा व तवाफ़

बिला शुबा ग़ैर काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ़े ताज़ीमी नाजाएज़ है और ग़ैरे ख़ुदा को सजदा हमारी शरीयत में हराम है (यानी काबे के अलावा किसी और का तवाफ़ नाजाएज़ और अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा हराम और इबादत की नियत से अल्लाह तआला के अलावा किसी को सजदा करना कुफ़्र है) और क़ब्र का बोसा करने में उलमा को इख़्तलाफ़ है और अहवत मना है यानी न करने ही में ज़्यादा ऐहतियात है .ख़ुसूसन मज़ाराते तय्यबा औलियाए किराम कि हमारे उलमा ने तसरीह फ़रमाई कि कम-अज़-कम चार हाथ के फ़ासले से खड़ा हो, यही अदब है, फिर तक़बील (बोसा देना) क्यूँकर मन्ज़ूर है। (अहकामे शरीयत)

मसअला : (1) क़ब्र के बोसा यानी चूमने का क्या हुक्म है। (2) क़ब्र का तवाफ़ करना कैसा है। (3) क़ब्र किस क़द्र बलन्द करनी जाएज़ है।

अलजवाब : (1) बाज़ उलमा, इजाज़त देते हैं, मगर जमहूर (□□□□□□□□□) उलमा मुकरूह जानते है तो उससे एहतराज़ (बचना) ही चाहिए। अशेअतुल लमआत में है :- क़ब्र को हाथ से मसह न करे और न उसको बोसा दे।

मदारिजुन्नुबुव्वत में हैं :- वालिदैन की क़ब्र के बोसा के

सिलसिले में लोग फिक़्ही रिवायत करते हैं और सही यह है कि जाएज़ नहीं।

(2) बाज़ उलमा ने इजाज़त दी मगर राजेह यह कि ममनूअ है मौलाना अली क़ारी मनसिक मुतवस्सित में तहरीर फ़रमाते हैं : तवाफ़ काबा की ख़ुसूसियात से है इसलिए अम्बिया और औलिया के क़ब्रों के गिर्द तवाफ़ करना हराम है।

मगर इसे मुतलक़न शिर्क ठहरा देना जैसा कि ताइफाय वहाबिया का ख़्याल है महज़ बातिल व ग़लत और शरीअत मुत्तहेरा पर इफ़तिरा है।

(3) एक बालिश्त या कुछ ज़्यादा, ज़्यादा फ़ाहिश बलन्दी (ऐसी बलन्दी जो अच्छी न लगे) मुकरूह है।

(फ़तावा रज़विया जिल्द चहारुम)

क़ब्र पर लोबान अगरबत्ती जलाने का हुक्म

ऊद लोबान वग़ैरा (मसलन अगरबत्ती) कोई चीज़ नफ़्से क़ब्र (यानी क़ब्र के ऊपर का हिस्सा) पर रख कर जलाने से एहतराज़ (बचना) चाहिए अगर्चे किसी बरतन में हो, और क़ब्र के क़रीब सुलगाना अगर न किसी ताली (तिलावत करने वाला) या ज़ाकिर (ज़िक्र करने वाला) ज़ायर (ज़्यारत करने वाला) हाज़िर ख़्वाह अनक़रीब आने वाले के वास्ते हो बल्कि यूंकि सिर्फ़ क़ब्र के लिए जलाकर चला आये तो ज़ाहिर मना है कि इसराफ़ (फुज़ूलख़र्ची) व माल को ज़ाय करना है। मय्यत स्वालेह उस ग़ुरफ़े (खिड़की) के सबब जो उसकी क़ब्र में जन्नत से खोला जाता है और बहशती नसीमें बहशती फूलों की ख़ुशबुएं लाती हैं दुनिया के अगरबत्ती व लोबान ग़नी है यानी जन्नत की खुशबुओं के आगे दुनिया की

ख़ुशबुओं की क्या अहमियत और मआज़ल्लाह जो दूसरी हालत में हो (यानी अज़ाब की हालत में) उससे इससे कोई फ़ायदा नहीं। (फ़तावा रज़विया अफ़्रीक़या)

क़ब्र पर चराग़ जलाना

क़ब्र पर चराग़ जलाने से अगर उसके मअनी हक़ीक़ी मुराद है यानी ख़ास क़ब्र पर चराग़ रखना तो मुतलक़न ममनूअ है और औलियाए किराम के मज़ारात में और ज़्यादा नाजाएज़ है कि उसमें बेअदबी व ग़ुस्ताखी और हक़्क़े मय्यत में तसरीफ़ व दस्तअन्दाज़ी है।

और अगर क़ब्र से जुदा रौशन करें और वहाँ न कोई मस्जिद है न कोई शख़्स .क़ुरआन मजीद की तिलावत वग़ैरा के लिए बैठा है न वह क़ब्र सरे राह वाक़े है न किसी मुअज़्ज़म वली अल्लाह या आलिमे दीन का मज़ार है, ग़र्ज़ किसी फ़ायदे व मसलहत की उम्मीद नहीं तो ऐसा चराग़ जलाना ममनूअ है कि जब मुतलक़न फ़ायदे से ख़ाली हो इसराफ़ हो और बहुक्म अस्ल दोम (जो काम दीनी फ़ायदे और दुनयवी नफ़े जाएज़ दोनों से ख़ाली हो अबस (बेकार) है और अबस ख़ुद मुकरूह और उसमें माल सर्फ़ करना इसराफ़ है, नाजाएज़ ठहरा ख़ुसूसन जब कि उसके साथ यह भी जाहिलाना बात सोचता हो कि मय्यत को इस चराग़ से रौशनी पहुँचेगी वर्ना अन्धेरे में रहेगा कि अब इसराफ़ के साथ एतक़ाद भी फ़ासिद हुआ। वल अयाज़ु बिल्लाह तआला।

और अगर वहाँ मस्जिद है या तालियाने .क़ुरआन (तिलावत करने वाले) या अल्लाह तआला का ज़िक्र करने वाले के लिए रौशन करें, या क़ब्र सरे राह हो और नियत यह की जाए कि गुज़रने वाले देखें और सलाम व ईसाले सवाब से ख़ुद भी नफ़े पायें और मय्यत को भी फ़ायदा

पहुँचायें या वह मज़ार वली या आलिमे दीन का हो रोशनी से निगाहे अवाम में उसका अदाब व जलाल पैदा करना मक़्सूद है तो हरगिज़ ममनूअ नहीं बल्कि मुसतहब व मनदूब (अच्छा) है बशर्ते कि हदे इफ़रात पर न हो यानी हद से ज़्यादा न हो।

मज़ारात पर चादर

इन्हीं उसूल से मज़ाराते औलियाए किराम पर चादर डालने का भी जवाज़ साबित (यानी इन्हीं उसूलों से मज़ारात पर चादर डालने का सुबूत मिलता है।) अवाम में आम मुस्लेमीन की क़ब्रों की हुरमत बाक़ी न रही, आँखों देखा है कि बेतकल्लुफ़ नापाक जूते पहने मुसलमानों की क़ब्रों पर दौड़ते फिरते हैं और दिल में ख़्याल भी नहीं आता कि यह किसी अज़ीज़ की ख़ाके अज़ीज़ हमारे पैरों के नीचे है या कभी हमें भी यूँही ख़ाक में सोना है और बारहा देखा कि जहाँ क़ब्रों पर बैठ कर जुआ खेलते, फ़ौहश बकते, क़हक़हे लगाते हैं और बाज़ की यह जुरायत कि मआज़ल्लाह मुसलमानों की क़ब्र पर पेशाब करने में ख़ौफ़ नहीं रखते। इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न।

लिहाज़ा दर्द मन्दान दीन ने इधर मज़ाराते औलियाए किराम को इन जुराअतों से महफ़ूज़ रखने उधर जाहिलों को उनके साथ ग़ुस्ताख़ी की आफ़ते अज़ीम से बचाने के लिए मसलहत व हाजते शरीआ समझी कि मज़ाराते तय्यबा आम क़ब्रों से मुमताज़ (अलग) हों ताकि अवाम की नज़र में हैबत व अज़मत पैदा हो और बेबाकाना बरताव करके हलाकत में पड़ने से बाज़ रहें, इससे कम हाजत के सबब उलमा ने मुसहफ़ शरीफ़ को सोने वग़ैरा से मज़य्यन (सजाना) करना मुसतहसन समझा है कि ज़ाहिर है इसी ज़ाहिरी नियत से झुकते

हैं और ग़ौर कीजिए तो काबा मुअज़्ज़मा पर ग़िलाफ़ डालने में भी एक बड़ी हिकमत यही है --- तो यहाँ कि न फ़कत क़िल्लते ताज़ीम बल्कि मआज़ अल्लाह इन शदीद बेहुरमतियों का अन्देशा था। चादर डालने रौशनी करने, इम्तियाज़ देने, अवाम के दिलों में वक्अत लाने की सख़्त हाजत हुई। कहने का मतलब यह है कि चादर डालने, सजाने या रोशनी वग़ैहर से मज़ारात साफ़ पहचान लिए जायेंगे और अवाम यूँ बेअदबी करने से बचेगें और फ़ैज़ हासिल करने वाले फ़ैज़ हासिल करेंगे।

क़ब्रे मुस्लिम का एहतराम

हदीस में फ़रमाया तलवार की धार पर पाँव रखना मुझे उससे आसान है कि मुसलमान की क़ब्र पर पाँव रखूँ, दूसरी हदीस में फ़रमाया अगर मैं अंगारे पर पाँव रखूँ यहाँ तक कि वह जूते का तला तोड़ कर मेरे तलवे तक पहुँच जाये तो यह मुझे उससे ज़्यादा पसन्द है कि किसी मुसलमान की क़ब्र पर पाँव रखूँ। यह वह फ़रमा रहे हैं कि वल्लाह अगर मुसलमान के सिर और सीने और आँखों पर क़दमे अक़दस रख दें तो उसे दोनों जहान का चैन बख़्श दें। सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम।

फ़तहुलक़दीर और तहतावी और रद्दुल मुहतार में है "क़ब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला हो उसमें चलना हराम है" कि वह .जुरूर क़ब्रों पर होगा बख़िलाफ़ राहे क़दीम के कि क़ब्रें उसे छोड़ कर बनाई जाती हैं। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब क़ब्रस्तान में जूता पहन कर निकले फ़रमाया "ऐ बाल साफ़ किये हुए जूते वाले अपने जूते को फेंक न तू साहिबे क़ब्र को सता न वह तुझे सताए।" (अल मलफ़ूज़)

क़ब्र पर नमाज़ पढ़ना हराम, क़ब्र की तरफ़ नमाज़

पढ़ना हराम, क़ब्र पर क़दम रखना हराम, क़ब्रों पर मस्जिद बनाना या ज़राअत (खेती) करना हराम। (इरफ़ाने शरीअत)

मुहर्रम और ताज़िया

अर्ज़ : ताज़ियादारी में लहू व लइब समझकर जाये तो कैसा है?

इरशाद : नहीं चाहिए, नाजाएज़ काम में जिस तरह जान व माल से मदद करेगा यूँही उनका मजमा बढ़ाकर भी मददगार होगा। नाजाएज़ बात का तमाशा देखना भी नाजाएज़ है। बन्दर नचाना हराम है उसका तमाशा देखना भी हराम है। दुर्रे मुख़्तार और हाशिया तहतावी में इन मसाइल की तसरीह है आजकल लोग इन से ग़ाफ़िल हैं। मुत्तक़ी लोग जिन को शरीअत की एहतियात है नावक़फ़ी से रीछ, बन्दर का तमाशा या मुर्गों की पाली देखते हैं और नहीं जानते कि इससे गुनाहगार होते हैं।

हदीस में इरशाद है कि अगर कोई मजमा ख़ैर का हो और वह न जाने पाया और ख़बर मिलने पर उसने अफ़सोस किया तो इतना ही सवाब मिलेगा जितना हाज़रीन पर --- और अगर मजमा शर का हो उसने अपने न जाने पर अफ़सोस किया तो जो गुनाह उन हाज़रीन पर होगा वह उस पर भी।

अर्ज़ : मुहर्रम की मजालिस में जो मरसिया-ख़्वानी वग़ैरा होती है सुनना चाहिए या नहीं?

इरशाद : मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब "मुहद्दिस देहलवी" की किताब जो अरबी में है वह या हसन मियाँ मरहूम मेरे भाई की किताब "आईनए क़यामत" में सही रिवायात हैं उन्हें सुनना चाहिए, बाक़ी ग़लत रिवायात के पढ़ने से न पढ़ना और न सुनना बहुत बेहतर है।

अर्ज़ : और इन मजालिस में रिक़्क़त आना कैसा?

इरशाद : रिक़्क़त (ग़म में एक अजीब सी हालत होती है)

आने में हर्ज नहीं बाक़ी राफ़जियों (शिओं) की सी हालत बनाना जाएज़ नहीं कि "जो किसी क़ौम से मुशाबहत रखे वह उन्हीं में से है" नीज़ हक़ सुब्हानहू (अल्लाह तआ़ला) ने नेमतों के ऐलान को फ़रमाया और मुसीबत पर सब्र का हुक्म दिया। नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ़ यौमे दोशम्बा को है और इसी में वफ़ात शरीफ़ है तो अइम्मा ने ख़ुशी व मसर्रत का इज़हार किया, ग़मपरवरी का हुक्म शरीअत नहीं देती।(इरफ़ाने शरीअत)

मुहर्रमुलहराम में मरसिया-ख़्वानी की मजलिस में शिरकत जाएज़ है या नहीं इसके जवाब में इरशाद फ़रमाते हैं कि नाजाएज़ है कि वह मनाही व मुन्किरात (ख़िलाफ़ शरा बातों) से भरी हुई होती हैं। वल्लाह तआ़ला आलम। (इरफ़ाने शरीअत)

मुहर्रम के कपड़े

मुहर्रम के दिनों में यानी पहली मुहर्रम से बारहवीं तक तीन क़िस्म के रंग न पहने जायें।

(1) स्याह (काले) कि यह राफ़ज़ियों का तरीक़ा है।

(2) सब्ज़ कि मुबतदईन यानी ताज़ियादारों का तरीक़ा है।

(3) सुर्ख़ कि यह ख़ारजियों का तरीक़ा है कि वह मआज़ अल्लाह इज़हारे मसर्रत के लिए यानी ख़ुशी ज़ाहिर करने के लिए पहनते हैं।(आलाहज़रत क़िब्ला .क़ुद्दिसा सिर्रुहू और बाहरे शरीअत हिस्सा 16)

उर्स और क़व्वाली

ख़ुलासा सवाल : उर्स में ढोल और सारंगी के साथ क़व्वाली का क्या हुक्म है और इसके हाज़रीन गुनाहागार हैं या नहीं?

अलजवाब : ऐसी क़व्वाली हराम है। हाज़रीन सब गुनाहगार

हैं और इन सब का गुनाह ऐसा उर्स करने वालों और क़व्वालों पर है और क़व्वालों का भी गुनाह उस उर्स करने वाले पर बग़ैर उसके कि उर्स करने वाले के माथे क़व्वाल का गुनाह जाने से क़व्वाल के गुनाह में कुछ कमी आये या उसके और क़व्वालों के ज़िम्मे हाज़रीन का वबाल पड़ने से हाज़रीन के गुनाह में कुछ कमी हो, नहीं बल्कि हाज़रीन में हर एक पर अपना पूरा गुनाह और क़व्वालों पर अपना गुनाह अलग और सब हाज़रीन के बराबर जुदा --- और ऐसा उर्स करने वाले पर अपना गुनाह अलग और क़व्वालों के बराबर जुदा, और सब हाज़रीन के बराबर अलाहिदा ---- वजह ये कि हाज़रीन को उर्स करने वाले ने बुलाया या उन्हीं के लिए उस गुनाह का सामान फैलाया और क़व्वालों ने उन्हें सुनाया अगर वह सामान न करता यह ढोल और सारंगी न सुनाते तो हाज़रीन इस गुनाह में क्यूँ पड़ते इसलिए उन सब का गुनाह उन दोनों पर हुआ --- फिर क़व्वालों के इस गुनाह की वजह वह उर्स करने वाला हुआ, वह न करता न बुलाता तो यह क्यूँकर आते बजाते, लिहाज़ा क़व्वालों का भी गुनाह उस बुलाने वाले पर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

"जो किसी अम्रे हिदायत (हिदायत के काम) की तरफ़ बुलाये जितने उसका इत्तेबा करें उस सब के बराबर सवाब पाये और उससे उन के सवाबों में कुछ कमी न आये --- और जो किसी अम्रे दलालत (बुरे काम) की तरफ़ बुलाये जितने उसके बुलाने पर चलें उन सब के बराबर उस पर गुनाह हो और उससे उनके गुनाहों में कुछ तख़फ़ीफ़ (कमी) न पायें"

बाजों की हुरमत में यानी हराम होने के सुबूत में बहुत सी हादीसें वारिद हैं और ये सब हदीसें सही बुख़ारी शरीफ़

से हैं कि हुज़ूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

" ज़ुरूर मेरी उम्मत में वह लोग होने वाले हैं जो हलाल ठहराएगें औरतों की शर्मगाहों यानी ज़िना और रेशमी कपड़ों और शराब और बाजों को। (यह जलील हदीस मुतसल है हुज़ूर तक) और इसकी तख़रीज इमाम अह़मद और अबू दाऊद और इब्ने माजा और इस्माईल और अबू नईम ने सही सनदों के साथ की है जिसमें कोई तअन की जगह नहीं अइम्मा की दूसरी जमात ने भी इसको सही फ़रमाया है जैसा कि हाफ़िज़ इमाम इब्ने हजर ने फ़रमाया अपनी किताब कफ़्फुलरुआ में "

बाज़ जाहिल बदमस्त, बदख़्याल या नीम मुल्ला शहवत परस्त या झूटे सूफ़ी बादबस्त हदीसों के मुक़ाबले ज़ईफ़ (कमज़ोर) मन्गढ़ंत क़िस्से पेश करते हैं, उन्हें इतनी अक़्ल नहीं या क़सदन (जानबूझकर) बे-अक़्ल बनते हैं कि सही के सामने ज़ईफ़ हदीस लाते हैं मगर कहाँ हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का क़ौल और कहाँ गढ़ी हुई बातें हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का क़ौल ही अमल के लाएक़ है मगर नफ़्स-परस्ती का इलाज किसके पास है। ये लोग गुनाह करते इक़रार करते और झगड़ते हैं और अपने लिए हराम को हलाल बनाते हैं फिर इसी पर बस नहीं बल्कि मआज़ अल्लाह उसकी तोहमत महबूबाने ख़ुदा और सिलसिला आलिया चिश्त (कुद्देसत असरारुहुम) के सर धरते हैं न ख़ुदा से ख़ौफ़ न बन्दों से शर्म करते हैं, हालांकि ख़ुद हुज़ूर महबूबे इलाही सय्यदी व मौलाई निज़ामुल हक़ वद्दीने सुल्तान रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु व अ़न्हुम "फ़वायदुल फ़वाद शरीफ़" में फ़रमाते हैं कि मज़ामीर हरामअस्त (मज़ामीर हराम है)

मौलाना फ़ख़रुद्दीन ज़रादी ख़लीफ़ा हुज़ूर सय्यदेना महबूब

इलाही रद्दियल्लाहु तआला अन्हुमा हुज़ूर (महबूबे इलाही) के ज़माने मुबारक में ख़ुद हुज़ूर के हुक्मे अहकम से मसअला सिमा में रिसाला "कशफुलकिना अन उसूलिल सिमा" तहरीर फ़रमाया इसमें साफ़ इरशाद फ़रमाया कि :-

" हमारे मशाइख़ रद्दियल्लाहु तआला अन्हुम का सिमा इस मज़ामीर के बोहतान से बरी है वह सिर्फ़ क़व्वाल की आवाज़ है। उन अशआर के साथ जो कहाँ सनअते इलाही से ख़बर देते हैं "

लिल्लाह इन्साफ़ इस इमाम जलील ख़ानदाने आली चिश्त का यह इरशाद मक़बूल होगा या आज कल के मुद्दीआने ख़ामकार (ख़ामकार दावा करने वाले) की तोहमत बे-बुनियाद और शरीअत से टकराने वाली है।

(अहकामे शरीअत)

सिमा मय मज़ामीर का शरई हुक्म

आला हज़रत .कुद्दिसा सिर्रुहू का दूसरा फ़तवा मुलाहिज़ा हो जिसमें सिमा मय मज़ामीर (यानी क़व्वाली बाजे वग़ैरा के साथ) के जवाज़ की बाज़ नादिर सूरतों का ज़िक्र करते हुए उनसे इस्तिदलाल की तरदीद है (यानी उनकी दलीलें देने का रद्द किया गया है) और बेजा शिद्दत और बदज़नी करने वालों के लिए तम्बीह शदीद।

मसअला : राग या मज़ामीर करना या सुनना गुनाहे कबीरा है या सग़ीरा और उस का करने वाला फ़ासिक है या नहीं?

अलजवाब : मज़ामीर यानी आलाते लहव ओ लइब (खेल कूद व मनोरंजन के लिए गाने बजाने के यंत्र) बिला शुबा हराम हैं जिनका हराम होना औलिया व उलमा दोनों फ़रीक़

बुज़ुर्गों के फ़र्माने आलिया में ज़िक्र किया गया है। इनके सुनने सुनाने के गुनाह होने में शक नहीं बल्कि इसरार करने के बाद गुनाहे कबीरा हो जाता है और हज़राते आलिया सादाते बहिशत कुबराये सिलसिलए आलियए चिश्त रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम की तरफ़ इसकी निसबत से महज़ ग़लत और झूटा इल्ज़ाम है। हज़रत सय्यदी फ़ख़रुद्दीन ज़र्रावी .कुद्दिसा सिर्रुहू (यह हुज़ूर सय्यदिना महबूबे इलाही सुलतानुल औलिया निज़ामुल हक़ वद्दुनिया वद्दीन मुह़म्मद अह़मद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के अजिल्ला ख़ुलफ़ा से हैं) ने ख़ास महबूबे इलाही के ज़माने में बल्कि उन्हीं के हुक्म से सिमा के मसअले में एक किताब "कशफ़ुल क़िनाअ अन उसूलुस्सिमा" लिखी। इस किताब में फ़रमाते हैं :-

" बाज़ मग़लूबुल हाल (यानी जिनकी हालत बदलती रहती है) लोगों ने अपने ग़लबए हाल व शौक़ में सिमा मय मज़ामीर सुना और हमारे पीराने तरीक़त रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम का सुनना इस तोहमत से बरी है वह तो सिर्फ़ क़व्वाल की आवाज़ है उन अशआर के साथ जो अल्लाह तआ़ला के कमाले .कुदरत से ख़बर देते हैं "

बल्कि ख़ुद हुज़ूर ममदूह यानी हज़रत सुल्तानुल औलिया महबूबे इलाही रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने मलफ़ूज़ात शरीफ़ा "फ़वाएदुल फ़वाद" वग़ैरा में जा-ब-जा मज़ामीर का हराम होना साफ़ साफ़ बयान फ़रमाया है बल्कि हुज़ूरे वाला सिर्फ़ ताली बजाने को भी मना फ़रमाते कि मुशाबेह लहव है (यानी ताली बजाना खेल की तरह है) बल्कि ऐसे अफ़आल में ग़लबए हाल के उज़्र को भी पसन्द न फ़रमाते थे कि बातिल दावा करने वालों को राह न मिले। "फ़वाएदुल फ़वाद शरीफ़" में साफ़ साफ़ तसरीह फ़रमाई है कि मज़ामीर हराम अस्त (यानी मज़ामीर हराम है) हुज़ूर ममदूह

के ये इरशादाते आलिया हमारे लिए सनद काफ़ी और सिलसिलए चिश्त के दावेदार हवा व हवस वालों पर मज़बूत दलील है। (यानी जो लोग अपने नफ़्स की ख़्वाहिश की वजह से मज़ामीर के साथ क़व्वाली को जाएज़ कहते हैं उनके लिए हज़रत महबूबे इलाही के ये इरशादात हराम होने पर काफ़ी हैं)

हाँ जिहाद का तबल, सहरी का नक़्क़ारा, हम्माम का बौक़ (सीटी), एलाने निकाह का दफ़ बग़ैर झांझ व घुंघरू जाएज़ है कि यह आलाते लहव ओ लइब नहीं।

यूंही यह भी मुमकिन कि जो बाज़ बन्दगाने ख़ुदा नफ़्स ओ शहवत की बुराईयों से पाक साफ़ होकर फ़ानी फ़िल्लाह बाक़ी बिल्लाह हो गये कि उनमें किसी ने हाल के ग़लबे की हालत में ख़्वाह शरीअते कुबरा तक पहुँचकर तो इस जगह यह हुरमत बेऐनिह नहीं इसलिए कि अमल का दारोमदार नियत पर है और आदमी को उसकी नियत का बदला मिलेगा, पूरे यक़ीन और पूरे इत्मिनान के बाद कभी ऐसा किया हो। इसीलिए अल्लामा शामी शामी में फ़रमाते हैं :-

फ़ख़्र के तौर पर नौबत (शहनाई) का बजाना खेल में शामिल है (जो हराम है) और अगर ऐलान के लिए हो तो हर्ज नहीं।

मैं (यानी आलाहज़रत) कहता हूँ बल्कि यहाँ एक और बारीक वजह है। सही बुख़ारी शरीफ़ में सय्येदिना अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर पुर नूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआ़ला फ़रमाता है :-

لا يَزَالُ عَبْدِی يَتَقَرَّبُ اِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰی اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِیْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرُهُ الَّذِیْ يَبْصُرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِیْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِیْ يَمْشِیْ بِهَا ○

तर्जमा : मेरा बन्दा नवाफ़िल के ज़रिए मेरी नज़दीकी चाहता रहता है यहाँ तक कि मेरा महबूब हो जाता है फिर जब मैं उसे दोस्त रखता हूँ तो मैं ख़ुद उसका वह कान हो जाता हूँ जिससे वह सुनता है और उसकी वह आँख हो जाता हूँ जिससे वह देखता है और उसका वह हाथ जिससे कोई चीज़ पकड़ता है और उसका वह पाँव जिससे चलता है।

अब कहिए कौन कहता और सुनता है, आवाज़ तो तूर पहाड़ के दरख़्त से आती मगर वल्लाह पेड़ ने न कहा اِنِّی اَنَااللّٰہُ رَبُّ العٰلَمِینَo (तर्जमा : बेशक मैं अल्लाह हूँ तमाम आलम का रब)

گفتۂ اوگفتۂ اللہ بود   گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

तर्जमा : उनकी बात अल्लाह की बात होती है। अगर्चे अल्लाह के बन्दे के हलक़ से अदा हो।

यही हाल सुनने का है मगर अल्लाह अल्लाह! ये (यानी ऐसे लोग) अल्लाह के बन्दे ऐसे नायाब है जैसे याक़ूत के पहाड़ और सुर्ख़ गन्धक और ये नादिर अहकाम शरा की बुनयाद नहीं तो उनका हाल मुफ़ीदे जवाज़ या हुक्म तहरीम में क़ैद नहीं हो सकता।

न ये नाक़िस दावा करने वाले उनके मिस्ल हैं और न बग़ैर पहुँचे हुए महफ़ूज़ होने की मन्ज़िल पर कि नफ़्स पर ऐतमाद जाएज़ इसलिए कि वह झूटा है तो कैसे इस बात का दावा करता है

न अटकल पच्चू किसी को ऐसा कहना सही हाँ यह ऐतमाद सिर्फ़ इतना साथ देगा कि जहाँ उसका न होना न मालूम हो अच्छे गुमान को हाथ से जाने न देंगे और बे-हुक्मे शरई करने वाले की ज़ात से बहस करेंगे यही इन्साफ़ है ऐसे मामलों में।

बग़ैर मज़ामीर के क़व्वाली सुनना उसकी चन्द सूरतें हैं

अव्वल : रन्डियों, डोमनियों, महले फ़ितना अमरदों (ख़ूबसूरत लौंडे जो फ़ितना पैदा करें) का गाना।

दोम : जो चीज़ गाई जाए गुनाह पर शामिल हो मसलन बुरी, फ़हश या झूट या किसी मुसलमान की बुराई या शराब और ज़िना वग़ैरा की रग़बत दिलाना या किसी ज़िन्दा औरत या लड़के के हुस्न की तारीफ़े या किसी मुअइयन औरत का अगर्चे मुर्दा हो ऐसा ज़िक्र जिससे उसके अक़ारिब (क़रीबी लोग) को हया व शर्म आये।

सोम : लहव व लइब के तौर सुना जाये अगर्चे उसमें कोई बुरा ज़िक्र न हो ये तीनों सूरतें ममनू हैं।

हक़ीक़तन ऐसा ही गाना खेल की बात है इसके हराम होने में और कुछ न हो तो सिर्फ़ यही हदीस काफ़ी है कि

" इब्ने आदम का हर खेल हराम है सिवाए तीन के तीरन्दाज़ी, घोड़ा सधाना और अपनी बीवी से ख़ुशतबई करना"

इनके अलावा वह गाना जिसमें न मज़ामीर हो न गाने वाले महल्ले फ़ितना न लहव व लइब मक़सूद न कोई नाजाएज़ कलाम गाये बल्कि सारे आशिक़ाना गीत, ग़ज़लें, ज़िक्र बाग़ ओ बहार व ख़त ओ ख़ाल (चेहरे के नक़्शो निगार का ज़िक्र) रुख़ ओ ज़ुल्फ़ व हुस्न व इश्क़ व हिज्र व विसाल व वफ़ाए इश्शाक़ व जफ़ाए माशूक़ वग़ैरा उमूर इश्क़ व ग़ज़ल पर सुने जायें तो फुस्साक़ व फुज्जार व अहले शहवत (बुरी ख़्वाहिशों वाले) को इससे भी रोका जाए। इसी तरफ़ हदीस में इशारा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि "गाना निफ़ाक़ पैदा करता है जैसे पानी सब्ज़ी पैदा करता " यह हदीस शोअबुल ईमान में हज़रते इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है।

और अल्लाह वालों के हक़ में यक़ीनन जाएज़ बल्कि मुस्तहब कहिए तो हर्ज नहीं। गाना कोई नई चीज़ पैदा नहीं करता बल्कि दबी हुई बात को उभारता है जब दिल में बुरी और बेहूदा ख़्वाहिश हो तो बुरी को तरक़्क़ी देगा और जो पाक मुबारक सुथरे दिल शहवात से ख़ाली और महब्बते ख़ुदा व रसूल से भरे हुए हों उनके इस पसन्दीदा शौक़ इश्क़े मसऊद को बढ़ाएगा। इन्साफ़न इन बन्दगाने ख़ुदा के हक़ में उसे एक अज़ीम दीनी काम ठहराना कुछ बेजा नहीं। फ़तावा ख़ैरियह में भी ऐसा ही लिखा है।

यह उस चीज़ का बयान था जिसे उर्फ़ में गाना कहते हैं और अशआर हम्द व नात व मनक़बत व वाज़ व और ज़िक्रे आख़रत बूढ़े या जवान मर्द ख़ुशअलहानी (अच्छी लगने वाली आवाज़) से पढ़े और ब-नियत नेक सुने जायें कि इसे उर्फ़ में गाना नहीं बल्कि पढ़ना कहते हैं तो उसके मना पर तो शरा से कोई दलील नहीं। हुज़ूर पुर नूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का हस्सान इब्ने साबित रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के लिए ख़ास मस्जिदे अक़दस में मिम्बर रखना और उनका इस पर खड़े होकर नाते अक़दस सुनाना और हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम व सहाबाए किराम का सुनना ख़ुद हदीस सही बुख़री शरीफ़ से वाज़े और अरब के रस्मे हुदी (ऊँट भगाते वक़्त गाना गाने को रस्म को हुड़ी कहते हैं) ज़माना व ताबईन बल्कि अहदे अक़दस रिसालत में राइज रहना और मर्दों की ख़ुशअल्हानी के जवाज़ पर रोशन दलील है। अन्जशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु के हुदी पर हुज़ूरे वाला स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस्सलाम ने इन्कार न फ़रमाया बल्कि औरतों का लिहाज़ फ़रमाकर फ़रमाया आहिस्ता कहो शिशियों को तोड़ो नहीं। यह इरशाद उनकी दिलकश व दिलनवाज़ आवाज़

पर थी कि औरतें नरम व नाज़ुक शीशियाँ हैं जिन्हें थोड़ी ठेस बहुत होती है और ऊँटों की तेज़ रफ़्तारी से उन्हें ठेस न पहुँचे।

ग़र्ज़ काम का दारोमदार फ़ितने की रोकथाम की पेशेनज़र है जहाँ फ़ितना साबित वहाँ हुक्म हुरमत जहाँ फ़ितने की उम्मीद वहाँ मना जहाँ न यह न वह, बल्कि अच्छी नियत वहाँ मुस्तहब। (कहने का मतलब यह है कि जहाँ किसी तरह भी फ़ितना पैदा होने का अन्देशा है वहाँ गाना हराम जहाँ ऐसा नहीं वहाँ हराम नहीं सारा दारोमदार नियत पर है और जहाँ न यह न वह वहाँ मुस्तहब है)

अल्हम्दुलिल्लाह यह चन्द सतरों में तहक़ीक़ नफ़ीस है कि इन्शा अल्लाहुल अज़ीज़ हक इससे आगे नहीं।

(फ़तावा रज़विया जिल्द 10)

नोट : क़व्वाली और सिमा से मुताल्लिक़ मसाइल की तफ़सील किसी सुन्नी आलिम से समझें।

शादी के लिए भीक

आज अक्सर लोग बेटी के ब्याह के लिये भीक मांगते हैं और उससे मक़सूद उन रसूमों का पूरा करना होता है जो हिन्दुस्तान में राएज हैं हालांकि वह रस्में असलन हाजते शरइया नहीं तो उनके लिए सवाल हलाल नहीं हो सकता, हाँ मुसलमान को मुनासिब है कि सिर्फ़ हाजतमन्द बेटी वाले की मदद करें। हदीस में उसकी मदद करने से क़र्ज़ देने की तरफ़ इरशाद हुआ है।

बाज़े भीक मांगते हैं हज को जायेंगे यह भी हराम और उन्हें देना भी हराम कि जिसका लेना हराम इसका देना भी हराम। फ़क़ीर का हज हजे नफ़िल है यानी उस पर फ़र्ज़ नहीं लिहाज़ा सवाल हराम। नफ़िल के लिए हराम इख़्तयार करना किसने माना। (अहसनुल विआ)

मस्जिद में सवाल

मस्जिद में सवाल न करे कि हदीस में इससे मुमानअत आई और उसे देना भी नहीं चाहिए कि शनीअ (बुरे) पर मदद है, उलमा फ़रमाते हैं कि मस्जिद के साइल को एक पैसा दे तो सत्तर और दरकार हैं जो इस देने का कफ़्फ़ारा हों।
(हिन्दिया, हक़ीक़यह, नादियह)

और अगर ऐसी बेतमीज़ी से सवाल करता है कि नमाज़ियों के सामने गुज़रता या बैठे हुओं को फांदता जाता है तो उसे देना बिल-इत्तेफ़ाक़ ममनूअ है। दुर्रे मुख़्तार में ऐसा ही है।

तन्दरुस्त का भीक माँगना

क़वी, तन्दरुस्त, क़ाबिल कस्ब (जो कमा सकता है) जो भीक माँगते फिरते हैं उनको देना गुनाह है और उसका भीक मांगना हराम और उनको देने में हराम पर मदद, अगर लोग न दें तो झक मारें और कोई हलाल पेशा इख़्तयार करें। दर्रे मुख़्तार में ऐसा ही लिखा है। और मैं (आलाहज़रत) कहता हूँ कि यह अस्ले कुल्ली याद रखने की है कि बहुत काम देगी यानी यह बात जो ऊपर गुज़री याद रखने वाला सिध्धांत है जो बहुत काम का है।

बादे वफ़ात औलाद पर वालिदैन के हुक़ूक़

दरयाफ़्त किया गया कि वालिदैन के फ़ौत हो जाने के बाद औलाद पर वालिदैन का क्या हक़ रह जाता है इरशाद फ़रमाया :-

(1) सबसे पहला हक़ बादे मौत उनके जनाज़े की तजहीज़ गुस्ल व कफ़न व नमाज़ व दफ़न है और उन कामों में सुन्नतों व मुस्तहबात की रिआयत जिससे उनके लिए हर ख़ूबी व बरकत व रहमत व वुसअत की उम्मीद हो।
(2) उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहना उससे कभी ग़फ़लत न करना।
(3) सदक़ा व ख़ैरात व आमाले स्वालेहात (नेक आमाल) का सवाब उन्हें पहुँचाते रहना, हस्बे ताक़त उसमें कमी न करना, अपनी नामज़ के साथ उनके लिए भी नमाज़ पढ़ना अपने रोज़ों के साथ उनके वास्ते भी रोज़े रखना, बल्कि जो नेक काम करे सब का सवाब उन्हें और सब मुसलमानों को बख़्शा देना कि उन सब को सवाब पहुँच जायेगा और इसके सवाब में कमी न होगी बल्कि बहुत तरक़्क़ीयात पायेगा।
(4) उन पर कोई क़र्ज़ किसी का हो तो उसके अदा करने में हद दर्जे की जल्दी व कोशिश करना और अपने माल से उनका क़र्ज़ अदा होने को दोनों जहाँ की सआदत समझना, आप .कुदरत न हो तो और अज़ीज़ों अक़ारिबों और फ़िर बाक़ी अहले ख़ैर से उसकी अदा में इमदाद लेना।
(5) उन पर कोई क़र्ज़ रह गया तो बक़द्रे .कुदरत उसके अदा में कोशिश करना। हज न किया हो तो ख़ुद उनकी तरफ़ से हज करना या हजे बदल कराना। ज़कात या उश्र का मुतालबा उन पर रहा तो उसे अदा करना। नमाज़ या रोज़ा बाक़ी हो तो उसका कफ़्फ़ारा देना। इसी तरह उनकी ज़िम्मदारी की बराअत में जद्दो-जहद करना।
(6) उन्होंने जो वसीयत जाएज़ शरई की हो हत्तुल इमकान उसके नाफ़िज़ करने में कोशिश करना अगर्चे शरअन अपने ऊपर लाज़िम न हो, अगर्चे अपने नफ़्स पर बार हो मसलन वह आधी जायदाद की वसीयत अपने किसी अज़ीज़ ग़ैर

वारिस या अजनबी महज़ के लिए कर गये तो शरअन तिहाई माल से ज्यादा में बे-इजाज़त वारिसान नाफ़िज़ नहीं मगर औलाद को मुनासिब है कि उनकी वसीयत माने और उनकी ख़ुशी पूरी करने को अपनी ख़्वाहिश पर मुक़द्दम जाने।

(7) उनकी क़सम बाद मरने के भी सच्ची ही रखना, माँ-बाप ने क़सम खाई थी कि मेरा बेटा फ़लाँ जगह न जायेगा या फ़लाँ से न मिलेगा या फ़लाँ काम करेगा तो उनके बाद यह ख़्याल न करना कि अब तो वह नहीं, उनकी क़सम का ख़्याल नहीं, बल्कि उसका वैसा ही पाबन्द रहना जैसा उनकी हयात में रहता, जब तक कोई हर्ज शरई न हो और कुछ क़सम ही पर मौकूफ़ नहीं हर तरह हर जाएज़ काम में बाद मरने पर भी उनकी मर्ज़ी का पाबन्द रहना।

(8) हर जुमे को उनकी ज़्यारते क़ब्र के लिये जाना, वहाँ यासीन शरीफ़ ऐसी आवाज से कि वह सुनें पढ़ना और उस का सवाब उनकी रूह को पहुँचाना। राह में जब कभी उन की क़ब्र आये बे सलाम व फ़ातिहा न गुज़रना।

(9) उनके रिशतेदारों के साथ उम्र भर नेक सलूक किये जाना।

(10) उनके दोस्तों से दोस्ती निबाहना, हमेशा उनका एज़ाज़ व इकराम रखना।

(11) कभी किसी के माँ-बाप को बुरा कहकर उन्हें बुरा न कहलवाना।

(12) सब में सख़्त-तर व आम-तर व मदाम-तर यह हक़ है कि कभी कोई गुनाह करके उन्हें क़ब्र में ईज़ा न पहुँचाना। (मतलब कहने का यह है कि गुनाह न करना सख़्ततर है कि गुनाह से रुकना बहुत मुश्किल और आमतर यानी आसान भी है कि शरीअत पर चलना नामुमकिन नहीं आसानी से चला जा सकता है और मदामतर है यानी अगर ऐसा करना चाहे

तो हमेशा कर सकता है) उसके सब आमाल की ख़बर माँ-बाप को पहुँचती है, नेकियाँ देखते हैं तो ख़ुश होते हैं और उनका चेहरा फ़रहत से चमकता व दमकता रहता है और गुनाह देखते हैं तो रंजीदा होते हैं और उसके क़ल्ब पर सदमा होता है। माँ-बाप का हक़ नहीं कि उन्हें क़ब्र में भी रंज पहुँचाये अल्लाह ग़फ़ूरुर्रहीम, अज़ीज़ करीम जल्ला जलालुहू सदक़े अपने हबीब व रऊफ़ुर्रहीम अ़लैहि व अला अफ़ज़लुल सलातो वत्तसलीम का हम सब मुसलमानों को नेकियों की तौफ़ीक़ दे गुनाहों से बचाये, हमारे अकाबिर की क़ब्रों में हमेशा नूर -ओ- सुरूर पहुँचाये कि वह क़ादिर है और हम आजिज़, वह ग़नी है और हम मौहताज।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۝

तर्जमा : अल्लाह तआ़ला हमारे लिए काफ़ी है और बेहतरीन जज़ा देने वाला।

(शरहुल हुक़ूक़ लितराहिल उक़ूक़, अहकामे शरीअत)

वालिदैन पर औलाद के हुक़ूक़

(1) प्यार में छोटे लक़ब पर बे-क़द्र नाम न रखे कि पड़ा हुआ नाम मुश्किल से छूटता है।

(2) बच्चे को पाक कमाई पाक रोज़ी दे कि नापाक माल नापाक ही आदत लाता है।

(3) बहलाने के लिए झूटा वायदा न करे बल्कि बच्चे से भी वायदा वही जाएज़ है जिसके पूरा करने का क़स्द (इरादा) रखता हो।

(4) ज़बान खुलते ही अल्लाह अल्लाह फिर लाइलाहा इल्लल्लाह फिर पूरा कलिमए तय्यबा सिखाये।

(5) (लड़के को) नेक, स्वालेह, मुत्तक़ी, सहीहुल अक़ीदा व सने रसीदाह उस्ताद (ज़्यादा उम्र वाला) के सुपुर्द करे और दुख़्तर को नेक पारसा औरत से पढ़वाये।
(6) बाद ख़त्मे .क़ुरआन हमेशा तिलावत की ताकीद रखे।
(7) अक़ाइदे इस्लाम व सुन्नत सिखाये।
(8) हुज़ूरे अक़्दस रह़मते आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की महब्बत व ताज़ीम उनके दिल में डाले कि अस्ले ईमान व ऐने ईमान है।
(9) सात बरस की उम्र से नमाज़ की ताकीद शुरू कर दे जब दस बरस का हो मार मार कर पढ़ाए।
(10) इल्मे दीन ख़ुसूसन वुज़ू, ग़ुस्ल, नमाज़ रोज़ा, वग़ैराह के मसाइल पढ़ाए।
(11) पढ़ाने सिखाने में रिफ़्क़ व नर्मी मलहूज़ रखे।
(12) मौक़े पर चश्म नुमाई (आँख दिखाना) तम्बीह तहदीद करे मगर कोसना न दे कि उसका कोसना उसके लिए सबबे इस्लाह न होगा बल्कि और ज़्यादा फ़साद का अंदेशा है।
(13) ज़मानए तालीम में एक वक़्त खेलने का भी दे मगर बच्चों को बुरी सोहबत में न बैठने दे।
(14) लड़के को लिखना, पैरना, सिपहगीरी सिखलाये। सिपहगीरी यानी लड़ाई के वो हुनर जो उसकी अपनी हिफ़ाज़त के काम आयें।
(15) लड़की को लिखना हर्गिज़ न सिखाये कि एहतमाले फ़ितना है। सीना, पिरोना, कातना, खाना पकाना सिखाये और सूरए नूर की तालीम दे।
(16) शादी बरात में जहाँ गाना बजाना नाच हो हर्गिज़ न जाने दे अगर्चे ख़ास अपने भाई के यहाँ हो कि गाना सख़्त संगीन जादू है। (मिशअलतुल इरशाह)

हक़ूक़े ज़ौजैन

बीवियों का हक़ शौहर पर :- मर्द पर औरत का हक़ नान व नफ़क़ा देना, रहने को मकान को देना, महर अदा करना, उसके साथ भलाई का बरताव रखना उसे ख़िलाफ़े शरा बातों से बचाना। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (तर्जमा : और उनसे अच्छा बरताव करो) और अल्लाह तआ़ला

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

तर्जमा : ऐ ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ।

शौहर का हक़ बीवी पर :- औरत पर शौहर का हक़ अल्लाह व रसूल के बाद तमाम हुक़ूक़ हत्ताकि माँ-बाप के हक़ से भी ज़्यादा है। इन कामों में उसके अहकाम (हुक्म की जमा) की इताअत और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त औरत पर फ़र्ज़े अहम है :---- बे उसके इज़्न (इजाज़त) के महारम के सिवा कहीं नहीं जा सकती और महारम के यहाँ भी माँ-बाप के यहाँ हर आठवें दिन वह सुबह से शाम तक के लिए और बहन, भाई चचा, मामू, ख़ाला, फूफी के यहाँ साल भर बाद और शब को कहीं नहीं जा सकती। नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, "अगर मैं किसी को किसी ग़ैर ख़ुदा के सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे।"

और एक हदीस में है अगर शौहर के नथनों से ख़ून और पीप बह कर उसकी ऐड़ियों तक जिस्म भर गया हो और औरत अपनी ज़बान से चाट कर उसे साफ़ करे तो उसका हक़ अदा न होगा। वल्लाह तआ़ला आलम।

(अहकामे शरीअत)

दुआ और उसकी मक़बूलियत

सगाने दुनिया (दुनिया चाहने वाले कुत्ते) के उम्मीदवारों को देखा जाता है कि तीन तीन बरस तक उम्मीदवारी में गुज़ारते हैं, सुबह व शाम उनके दरवाज़े पर दौड़ते हैं और वह हैं कि रुख़ नहीं मिलाते, बार नहीं देते, झिड़कते, दिल तंग होते, नाक भौं चढ़ाते हैं, उम्मीदवारी में लगाया तो बेगार डाली। यह हज़रत गिरह से खाते घर से मंगाते बेकार बेगार की बला उठाते हैं और वहाँ बरसें गुज़री अभी रोज़े अव्वल है मगर यह न उम्मीद तोड़ें न पीछा छोड़ें, और अहकमुल हाकेमीन (तमाम हाकिमों का हाकिम यानी अल्लाह तआ़ला) अकरमुल अकरमीन अज़्ज़ जलालुहू के दरवाज़े पर अव्वल तो आता ही कौन है और आये भी तो उकताते घबराते कल का होता आज हो जाये एक हफ़्ता कुछ पढ़ते गुज़रा और शिकायत होने लगी साहब पढ़ा तो था कुछ असर न हुआ। अहमक़ अपने लिये इजाबत (क़बूलियत) का दरवाज़ा ख़ुद बन्द कर लेते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

" तुम्हारी दुआ क़बूल होती है जब तक जल्दी न करो कि मैंने दुआ की थी क़बूल न हुई "

और फिर बाज़ तो उस पर ऐसे जामे से बाहर हो जाते हैं कि आमाल व दुआओं के असर से बे-एतक़ाद बल्कि अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला के वादे व करम से बे-एतमाद, वलअयाज़ु बिल्लाहिल करीमिल जव्वाद ------ ऐसों से कहा जाये कि ऐ बे हया बे शर्मो! ज़रा अपने गिरेबान में मुँह डालो अगर कोई तुम्हारा बराबर वाला दोस्त तुम से हज़ार बार कुछ काम अपने कहे और तुम उसका एक काम न करो तो अपना काम उससे कहते हुए अव्वल तो आप लजाओगे

कि हमने तो उसका कहना किया ही नहीं अब किस मुँह से उससे काम को कहें और ग़र्ज़ दीवानी होती है कह भी दिया और उसने न किया तो असलन महल्ले शिकायत न जानोगे कि हम ने कब किया था जो वह करता अब जांचो कि तुम मालिक अलल इतलाक़ अज़्ज़वजल्ला के कितने अहकाम बजा लाते हो उसके हुक्म बजा लाना और अपनी दरख़्वास्त का ख़्वाही नख़्वाही ही क़बूल चाहना कैसी बे-हयायी है।

ओ अहमक़ फिर फ़र्क़ देख अपने सर से पाँव तक नज़रे ग़ौर कर एक एक रूएँ में हर वक़्त हर आन कितनी कितनी हज़ार दर हज़ार बेशुमार नेमतें हैं तू सोता है और उसके मासूम बन्दे तेरी हिफ़ाज़त को पहरा दे रहे हैं तू गुनाह कर रहा है और सर से पाँव तक सेहत आफ़ियत बलाओं से मुहाफ़ज़त, खाने का हज़्म, .फुज़लात का दफ़ा, ख़ून की रवानी, आज़ा में ताक़त, आँखों में रोशनी, बे हिसाब करम, बे मांगे बे चाहे तुझ पर उतर रहे हैं फिर अगर तेरी बाज़ ख़्वाहिश अता न हों किस मुँह से शिकायत करता है तू क्या जाने कि तेरे लिए भलाई काहे में है? तू क्या जाने कि कैसी सख़्त बला आने वाली थी कि उस दुआ ने (जिस के बारे में तेरा गुमान है कि क़बूल न हुई) दफ़ा की, तू क्या जाने कि उस दुआ के एवज़ क्या सवाब तेरे लिये ज़ख़ीरा हो रहा है --- उसका वादा सच्चा है और क़बूल की ये तीनों सूरतें हैं जिनमें हर पहली पिछली से आला। हाँ बे-एतक़ादी आई तो यक़ीन जान कि मारा गया और इबलीस लईन ने तुझे अपना सा कर लिया।

मक़सदे दुआ

दुआ में सिर्फ़ मुद्दआ यानी क़बूले मक़सद पर नज़र न रखे बल्कि अल्फ़ाज़े दुआ को असली मक़सूद जाने क्यूँकि

वह ख़ुद इबादत बल्कि मग्ज़े इबादत है, मक़सद का होना न होना एक अलग बात है मुनाजात व दुआ की जो लज़्ज़त है वह नक़्द वसूल है। वल ह़म्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन।

बद्दुआ और कोसना

अपने और अपने अहबाब के नफ़्स (यानी ज़ात) व अहल व माल व बच्चों पर बद्दुआ न करे कि क्या मालूम कि क़बूलियत का वक़्त हो और बला के आ जाने पर फिर निदामत हो। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि :-

अपनी जानों पर बद्दुआ न करो अपनी औलाद पर बद्दुआ न करो और अपने ख़ादिम पर बद्दुआ न करो और अपने अमवाल पर बद्दुआ न करो कहीं इजाबात (क़बूलियत) की घड़ी से मुवाफ़िक़ न हो।(मुस्लिम, अबूदाऊद, इब्ने ख़ुज़ैमा)

तीन दुआयें मक़बूल हैं (1) मज़लूम की दुआ (2) मुसाफ़िर की दुआ (3) माँ-बाप का अपनी औलाद को कोसना। (तिर्मिज़ी शरीफ़, अहसानुल विआ)

अपने किए का कोई इलाज नहीं है

(1) बग़ैर किसी सख़्त मजबूरी के रात को ऐसे वक़्त घर से बाहर न निकले कि लोग सो गये हों, पाँव की पौहचल रास्तों से मौक़ूफ़ हो गई हो। सही हदीस में इससे मुमानअत फ़रमाई कि इस वक़्त बलायें मुन्तशिर होती हैं।

(2) रात को दरवाज़ा खुला न छोड़े और न बग़ैर बिस्मिल्लाह कहे बन्द करे कि शैतान उसे खोल सकता है।

(3) खाने से बे हाथ धोये न सो रहे कि शैतान चाटता है

और बरस का अन्देशा है।

(4) ग़ुसलख़ाने में पेशाब न करे कि उससे वसवसा पैदा होता है।

(5) छज्जे की क़रीब न सोए इस हाल में कि रोक न हो गिर पड़ने का अन्देशा है।

(6) तन्हा सफ़र न करे कि .फ़ुस्साक़ (बुरे) इन्सानों व जिनों से नुक़सान पहुँचता है और हर काम में दिक़्क़त पड़ती है।

(7) जिमा (हम बिस्तरी) के वक़्त औरत की शर्मगाह की तरफ़ निगाह न करे कि मआज़ अल्लाह अपने या बच्चे या दिल के अन्धे होने का वजह है और न उस वक़्त बातें करे कि बच्चे के गूंगे होंने का अन्देशा है।

(8) फ़ाजिरों, फ़ासिक़ों, बदवज़ो (बुरे चाल ढ़ाल या बुरे फ़ैशन वाले), बदमज़हबों के पास न उठै बैठै कि अगर बिल्फ़र्ज़ सोहबते बद के असर से बच भी गया मगर इलज़ाम तो ज़रूर आ ही जायेगा।

अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर

(भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना)

अम्र बिल मारूफ़ व नही मुन्कर न करना यानी किसी जमाअत में कुछ लोग अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला की नाफ़रमानी करते हों दूसरे ख़मोश रहें और हत्तल मक़दूर यानी जहाँ तक हो सके उन्हें बाज़ न रखें, मना न करें कि हर एक के आमाल उसके साथ हैं हमें रोकने मना करने से क्या ग़र्ज़ तो जो बला आयेगी उसमें नेकों की दुआ भी न सुनी जायेगी कि यह ख़ुद अम्र नही छोड़कर फ़राएज़ के छोड़ने वाले थे। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

"या तुम अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर करोगे या अल्लाह तआ़ला तुम पर तुम्हारे बदों को मुसलत कर देगा, फिर तुम्हारे नेक दुआ करेंगे तो क़बूल न होगी।

तम्बीह : किसी सूरत में दुआ क़बूल न होना यक़ीनी क़तई नहीं न इससे यह मुराद कि ऐसी हालतों में दुआ को महज़ व नामक़बूल जानकर बाज़ रहें। हाशा (हरगिज़ नहीं) दुआ असलाहे अहले ईमान है यानी ईमान वालों का हथियार है, दुआ अमन व आमान लाने वाली है, दुआ नूरे ज़मीन व आसमान है, दुआ अल्लाह तआ़ला को राज़ी करने का ज़रिया है, बल्कि मक़सूद उन उमूर से रोकना है कि दुआ इजाबत के लिए रुकावट होते हैं।

तो इन बुरी चीज़ों से बचना लाज़िम है और जो बुरी चीज़ अभी आपके पास मौजूद है तो उसको दे देना .ज़ुरूरी है जैसे माले हराम कि जिससे लिया है वापस दे और अगर वह न रहा उसके वारिस को दे या उनसे माफ़ कराये कोई न मिले तो सदक़ा कर दे और अल्लाह तआ़ला से तौबा व इसितग़फ़ार और आइन्दा न करने का पक्का इरादा करे। इसकी बरकत उनकी नुहूसत को ज़ायल कर देगी और दुआ अल्लाह के हुक्म से अपना असर देगी यानी क़बूल होगी।

चन्द इमराज़ नेमत हैं

जिस्म के हक़ में कभी कभी हल्का बुख़ार, ज़ुकाम, दर्दे सर उनके मिस्ल हल्के इमराज़ (मर्ज़ की जमा) बला नहीं नेमत हैं बल्कि उनका न होना बला है। मर्दाने ख़ुदा (अल्लाह वालों) पर अगर चालीस दिन गुज़रें कि कोई इल्लत (मर्ज़) क़िल्लत (तंगी) न पहुँचे तो इसितग़फ़ार व इनाबत (तवज्जो करना, होशयार हो जाना) फ़रमाते हैं कि कहीं (लगाम) ढीली न कर दी गयी हो।

स्प्रिट क्या है?

इसके मुत्तालिक़ आलाहज़रत .कुद्दिसा सिर्रुहू इरशाद फ़रमाते है :- स्प्रिट यक़ीलन शराब है। इसका पीना सिर्फ़ ज़हीरीले होने की वजह से हराम नहीं, ज़हरीला होना ही ज़्यादतीए नशा और फ़साद को पैदा करता है। बरान्डियाँ (शराबें) जो यूरोप से आती हैं और उनके नशे की ज़्यादती इसके क़तरात से बढ़ाई जाती हैं। फ़लाँ क़िस्म के नब्बे क़तरों में से उसका एक क़तरा मिला देना ही से और फ़लाँ क़िस्म में के सौ क़तरों में इसका एक क़तरा ही कई गुना नशा पैदा कर देता है दूसरी शराबें पीने से नशा लाती हैं और स्प्रिट सिर्फ़ सूंघने से नशा लाता है तो वह हराम भी है और पेशाब की तरह नजासते ग़लीज़ भी।

बैअत के मअनी

बैअत के मअनी पूरे तौर से बिकना। बैअत उस शख़्स से करना चाहिए जिस में यह चार बातें हों वर्ना बैअत जाइज़ नहीं होगी।

(1) सुन्नी सही -उल- अक़ीदा हो।

(2) कम अज़ कम इतना इल्म .ज़ुरूरी है कि बिला किसी की मदद के अपनी ज़ुरूरत के मसाइल किताब से ख़ुद निकाल सके।

(3) उसका सिलसिला हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो कहीं मुनक़ते (टूटा) न हो।

(4) फ़ासिक़ मोलिन न हो। (यानी खुले आम फ़िस्क व गुनाह करने वाला जैसे नमाज़ छोड़ना दाढ़ी मुंडाना वगैरा)

लोग बैअत बतौर रस्म होते हैं। बैअत के मअनी नहीं जानते, बैअत उसे कहते हैं कि हज़रते याहया मुनीरी (रहमतुल्लाह अ़लैह) के एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे,

हज़रते ख़िज़्र अ़लैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और फ़रमाया अपना हाथ मुझे दे कि तुझे निकाल लूँ। उन मुरीद ने अर्ज़ किया की हाथ हज़रत याहया मुनीरी के हाथ में दे चुका हूँ अब दूसरे को न दूंगा। हज़रते ख़िज़्र ग़ायब हो गये और हज़रते याहया मुनीरी ज़ाहिर हुये और उनको निकाल लिया। (रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु)

तजदीदे बैअत

हुज़ूरे अकरम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में भी तजदीदे बैअत होती थी। ख़ुद हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सलमा इब्ने अकवा से एक जलसे में तीन बार बैअत ली। जिहाद को जा रहे थे पहली बार फ़रमाया, सलमा (रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) ने बैअत की। थोड़ी देर बाद हुज़ूर ने फ़रमाया सलमा तुम बैअत न करोगे। अर्ज़ की हुज़ूर कर चुका हूँ। फ़रमाया ऐज़न फिर भी उन्होंने बैअत की। आखिर में जब तमाम हज़रात बैअत से फ़ारिग़ हुए फिर इरशाद फ़रमाया सलमा तुम बैअत न करोगे। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह मैं दो बार बैअत कर चुका हूँ। फ़रमाया ऐज़न फिर भी।

ग़र्ज़ एक जलसे में सलमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से तीन बार बैअत ली। उन पर ताकीद बैअत में राज़ यह था कि वह हमेशा पियादा (पैदल) जिहाद किया करते थे और मजमए कुफ़्फ़ार का तन्हा मुक़ाबला करना उनके नज़दीक कुछ न था। (कशकोल फक़ीर क़ादरी)

बैअत और उसके फ़ायदे

बैअत दो क़िस्म है :-

<u>अव्वल</u> : बैअते बरकत के सिर्फ तबर्रुक के लिए दाख़िले

सिलसिला हो जाना, आजकल आम बैअतें यही हैं वह भी नेक नियतों की वर्ना बहुतों की बैअतें दुनियावी फ़ासिद ग़र्ज़ के लिए होती है वह ख़ारिज अज़ बहस हैं। (यानी जो बैअत किसी दुनयावी लालच की वजह से हों उनसे यहाँ बहस नहीं) इस बैअत के लिए शैख़े इत्तिसाल यानी जिस के हाथ पर बैअत करने से इन्सान का सिलसिला हुज़ूर पुर नूर सय्यदुल मुरसलीन स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तक मुत्तसिल (लगातार जुड़ जाना) हो जाये कि शराएते आरबा (चार शर्तें) का जामेअ हो बस है। (यानी वो चारों शर्तें जो बैअत के लिए हैं वो पाई जायें उन चारों शतों का ख़ुलासा ये है --- 1. शैख़ का सिलसिलए बइत्तेसाल सही हुज़ूरे अक्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तक पहुँचता हो बीच में मुनक्ता न हो। 2. शैख़ सुन्नी सहीउल अक़ीदा हो बदमज़हब गुमराह का सिलसिला शैतान तक पहुँचेगा। 3. आलिम हो यानी अपनी .जुरूरत के मसाइल ख़ुद किताब से निकाल लेता हो। 4. फ़ासिक़ मोलिन न हो यानी किसी ऐसे गुनाह में मुलव्विस न हो जो सब पर ज़हिर हो जैसे बेनमाज़ी होना, दाढ़ी मुंडाना, बिला उज़्र फ़र्ज़ व वाजिबात को छोड़ना।)

मैं (आलाहज़रत) कहता हूँ बेकार यह भी नहीं, मुफ़ीद और बहुत मुफ़ीद और दुनिया व आख़रत में काम आने वाला है। महबूबाने ख़ुदा के ग़ुलामों के दफ़तर में नाम लिख जाना। उनसे सिलसिला मुत्तसिल (जुड़ना) हो जाना फीनफ़्सेही सआदत है।

एक फ़ायदा तो यह कि उन ख़ास ग़ुलामों, सालकाने राह से उस अम्र (काम) में मुशाबहत (यानी अल्लाह वालों ने जो काम किया उस जैसा काम है) और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

"जो जिस क़ौम से मुशाबहत पैदा करे वह उन्हीं में से है"

सय्येदिना शैख़ुल शुयूख़ शहाबुल हक़ वद्दीन सोहरवरदी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु 'अवारफुल मआरिफ शरीफ़' में फरमाते हैं :-

"वाज़ेह हो कि ख़रक़े दो हैं। ख़रक़ए इरादत व ख़रक़ा तबर्रुक। मशाइख़ का मुरीद से असली मतलूब ख़रक़े इरादत है और ख़रक़ए तबर्रुक उससे मुशाबहत है तो हक़ीक़ी मुरीद के लिए ख़रक़ए इरादत है और मुशाबहत चाहने वाले के लिए ख़रक़ए तबर्रुक और जो किसी क़ौम से मुशाबहत चाहे वह उन्हीं में है "

दूसरा फ़ायदा यह कि इन ग़ुलामाने ख़ास के साथ एक सिल्क (लड़ी) में मुन्सलिक होना यानी जुड़ जाना है

بلبل ہمیں کہ قافہ گل شود بس است

तर्जमा : बुलबुल को खिले हुए फूल ही काफ़ी हैं। (कहने का मतलब यह है कि जिस तरह बुलबुल को खिले हुए फूल ही काफ़ी हैं इसी तरह हम जैसों को सिर्फ़ उनका दामन ही काफ़ी है।) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं उनका रब अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है

هُمُ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ۔

तर्जमा : वह वह लोग हैं कि उनके पास बैठने वाला बदबख़्त नहीं रहता।

तीसरा फ़ायदा यह है कि महबूबाने ख़ुदा रहमत की निशानी हैं और वो अपना नाम लेने वाले को अपना कर लेते हैं और उस पर नज़रे रह़मत रखते हैं।

हुज़ूर पुरनूर सय्यदिना ग़ौस-ए-आज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से अर्ज़ की गई अगर कोई शख़्स हुज़ूर का नाम लेवा हो और न उसने हुज़ूर के दस्त मुबारक पर बैअत की हो न हुज़ूर का ख़रक़ा पहना हो क्या वह हुज़ूर के मुरीदों में

शुमार होगा। फ़रमाया :-

" जो अपने आपको मेरी तरफ़ निसबत करे और अपना नाम मेरे दफ़तर में शामिल करे अल्लाह उसे क़बूल फ़रमायेगा और अगर वह किसी नापसन्दीदा राह पर चला हो तो उसे तौबा देगा और वह मेरे मुरीदों के .जुमरे में है और बेशक मेरे रब अज़्ज़ावजल्ला ने मुझसे वायदा फ़रमाया है कि मेरे मुरीदों और हम मज़हबियों और मेरे हर चाहने वाले को जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा। (बहजतुल असरार शरीफ़)

दोम : बैअते इरादत कि अपने इरादे व इख़्तेयार से यकसर बाहर हो कर अपने आपको शेख़ मुर्शिदे हादी बरहक़ वासिल बहक़ के हाथ में बिल्कुल सुपुर्द कर दे उसे मुतलक़न अपना हाकिम व मुतसर्रफ़ (तसर्रुफ़ करने वाला) जाने उसके चलाने पर राहे सलूक चले कोई क़दम बे उसकी मर्ज़ी के न रखे उसके लिए उसके बाज़ अहकाम या अपनी ज़ात में ख़ुद उसके कुछ काम अगर उसके नज़दीक सही न मालूम हो उन्हें ख़िज़्र अ़लैहिस्सलातो वस्सलाम की मिस्ल समझे अपनी अक़्ल का .कुसूर जाने उसकी किसी बात पर दिल में भी एतराज़ न लाये। अपनी हर मुश्किल उस पर पेश करे ग़र्ज़ उसके हाथ में मुर्दा बदस्त ज़िन्दा होकर रहे, यह बैअत सालकीन है और यही मक़सूद मशाइख़ मुर्शिदीन है, यही अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला तक पहुँचाती है। यही हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से ली है जिसे सय्यदिना उबादा इब्ने सामित रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं :-

" हमने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से इस पर बैअत की कि हर आसानी दुशवारी, हर ख़ुशी व नगवारी में हुक्म सुनेंगे और इताअत करेंगे और साहिब हुक्म के किसी काम में चूँ व चरा न करेंगे "

शेख़ हादी का हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्ल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का हुक्म है और रसूल का हुक्म अल्लाह का हुक्म है इसमें शक नहीं। अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :-

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْراً اَن يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلا لاً مُبِيْناً o

तर्जमा : किसी मुसलमान मर्द व औरत को नहीं पहँचता कि जब अल्लाह व रसूल किसी मामले में कुछ फ़रमा दें फिर उन्हें अपने काम का कोई इख़्तेयार रहे और जो अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी करे वह खुला गुमराह हुआ। (पारा 22 रुकू 6)

"अवारिफ़ शरीफ़" में हज़रत शेख़ शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि इरशाद फ़रमाते हैं :-

"शेख़ के ज़ेरे हुक्म होना अल्लाह व रसूल के ज़ेरे हुक्म होना है और उस बैअत की सुन्नत का ज़िन्दा करना, यह नहीं होता मगर उस मुरीद के लिए जिसने अपनी जान को शेख़ की क़ैद में कर दिया और अपने इरादे से बिल्कुल बाहर आया, अपना इख़्तेयार छोड़कर शेख़ में फ़ना हो गया।"

फिर फ़रमाया :- पीरों पर ऐतराज़ से बचे कि यह मुरीदों के लिए ज़हर क़ातिल है। कम कोई मुरीद होगा जो अपने दिल में शेख़ पर कोई ऐतराज़ करे फिर फ़लाह पाये शेख़ के तसर्रुफ़ात से जो कुछ उसे सही न मालूम होते हों उनमें हज़रते ख़िज़्र अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़आत याद करे क्योंकि उनसे वह बातें सादिर होती थीं बज़ाहिर जिन पर सख़्त ऐतराज़ था (मिसकीनों की कशती में सूराख़ कर देना, बेगुनाह बच्चे को क़त्ल कर देना) फिर जब वह उसकी वजह बताते थे ज़ाहिर हो जाता था कि हक़ यही था जो उन्होंने किया।

यूँही मुरीद को यक़ीन रखना चाहिए कि शेख़ का जो फ़ेल मुझे सही नहीं मालूम होता शेख़ के पास उसकी सेहत की दलील क़तई है।

हज़रत इमाम अबुल क़ासिम .क़ुशैरी "रिसाला" में फ़रमाते हैं हज़रते अबू सहल सअलूकी ने फ़रमाया "जो अपने पीर से किसी बात में "क्यूँ" कहेगा कभी फ़लाह न पायेगा।

نَسئَالُ اللّٰهَ الْعَفْوَوَالاَفِيَةَ

तर्जमा : हम अल्लाह तआला से सवाल करते हैं गुनाहों से माफ़ी और आफ़यत का। (फ़तावा अफ़्रीक़या)

शजरा-ख़्वानी के फ़यादे

शजरा-ख़्वानी (यानी शजरा पढ़ना) से बहुत फ़ायदे हैं :-

अव्वल : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक अपने इत्तिसाल (तअल्लुक़) की सनद का हिफ़्ज़।

दोम : स्वालेहीन का जिक्र कि मूजिब नज़ूले रह़मत है यानी स्वालेहीन के ज़िक्र से रह़मत का नुज़ूल होता है।

सोम : नाम बनाम अपने आक़ायाने नेमत को ईसाले सवाब कि उनकी बारगाह से मूजिबे नज़रे इनायत है यानी नाम ले लेकर उनको सवाब नज़्र करने से उनका फ़ैज़ हासिल होगा।

चहारुम : जब यह सलामती के वक़्त में उनका नाम लेवा रहेगा वह बुज़ुर्गाने सिलसिला मुसीबत के वक़्त में उसके दस्तगीर (मददगार) होंगे। (अहकाम शरीअत)

नोट : बैअत व ख़िलाफ़त से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल के लिए आलाहज़रत फ़ाज़िले बरेलवी .क़ुद्दिसी सिर्रुहू अज़ीज़ का रिसाला "नुक़ाउस्सुलाफ़ा फ़ी अहकामिल बैअत वल ख़िलाफ़त" का मुताला करें और किसी आलिम से इस मसअले को समझ लें हिन्दी में इसे समझाना बड़ा दुश्वार है।

शरीअत व तरीक़त

(1) यह बात कि शरीअत चन्द अहकाम .फर्ज़ व वाजिब व हलाल व हराम का नाम है महज़ अन्धापन है। शरीअत तमाम अहकाम जिस्म व जान व रूह व दिल तमाम इल्मे इलाही ग़ैर नामुतानाही (ग़ैरमहदूद यानी जिसकी कोई हद नहीं) को शामिल है जिनमें से एक टुकड़े का नाम तरीक़त व मारफ़त है लिहाज़ा तमाम औलियाए किराम के इजमा से तमाम हक़ीक़तों को शरीअत पर पेश करना फ़र्ज़ है अगर शरीअत के मुताबिक़ हों हक़ व मक़बूल हैं वर्ना मरदूद व बेकार तो यक़ीनन क़तअन शरीअत ही अस्ल है। शरीअत ही नजात का ज़रिया है। शरीअत राह को कहते हैं और शरीअते मुह़म्मदिया (स़ल्लल्लहु अ़लैहि वसल्ल्म) की राह यह क़तअन आम है न कि सिर्फ़ चन्द अहकामे जिस्मानी के साथ ख़ास है यही वह राह है कि पाँचों वक़्त हर नमाज़ बल्कि हर रकअत में इसका मांगना और उस पर सबित क़दम रहने की दुआ करना हर मुसलमान पर वाजिब है फ़रमाया है कि "इहदिनस़्स़िरातॅल मुस्तक़ीम" हम को मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्ल्म की राह पर चला उनकी शरीअत पर साबित क़दम रख।

अब्दुल्लाह इब्ने अब्बस वग़ैरह रदियल्लाहु तअला अ़न्हुम फ़रमाते हैं :-

"सिरातेमुस्तक़ीम मुह़म्मद सल्लल्लाहु ताअला अ़लैहि वसल्ल्म और अबूबक्र सिद्दीक़ व उमर फ़ारूक़ हैं व सहाबा"

(हाकिम इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम, इब्ने अदी, इब्ने असाकिर)

यही वह राह है जिस का मुन्तहा अल्लाह है यानी इसी राह पर चलने से आदमी अल्लाह तआ़ला तक पहुँचता है

और यही वह राह है जिसका मुख़ालिफ़ बद्दीन व गुमराह है। .कुरआन अज़ीम में फ़रमाया है

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْماً فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَo

तर्जमा : (शुरू रुकू से अहकाम शरीअत बयान करके फ़रमाता है) और ऐ महबूब तुम फ़रमा दो कि शरीअत मेरी सीधी राह है तो उसकी पैरवी करो और उसके सवाल और रास्तों के पीछे न जाओ कि वह तुम्हें ख़ुदा की राह से जुदा कर देंगे। अल्लाह तुम्हें उसकी ताकीद फ़रमाता है कि तुम परहेज़गारी करो।

(पारा 8 रुकू 6)

देखो .कुरआन अज़ीम ने साफ़ फ़रमा दिया कि शरीअत ही सिर्फ़ वह राह है जिससे ख़ुदा तक पहुँचना है और उसके सिवा आदमी जो राह चलेगा अल्लाह की राह से दूर पड़ेगा।

(2) किसी का यह क़ौल कि तरीक़त नाम है अल्लाह तक पहुँचने का महज जुनून व जहालत है। हर दो हर्फ़ पढ़ा हुआ जानता है कि तरीक़, तरीक़ा तरीक़त राह को कहते हैं नाकि पहुँच जाने को, तो यक़ीनन तरीक़त भी राह ही का नाम है अब अगर वह शरीअत से जुदा हो तो .कुरआन की शहादत से ख़ुदा तक पहुँचाएगी बल्कि शैतान तक, जन्नत में न ले जायेगी बल्कि जहन्नम में।

(3) तरीक़त में जो कुछ रौशन होता है, शरीअत ही के पैरवी का सदक़ा है वरना बे शरीअत की पैरवी के बड़े-बड़े कश्फ (छुपी बातें ज़ाहिर हो जाने को कश्फ़ कहते हैं) राहिबों, जोगियों, सन्यासियों को होते हैं फिर वह कहाँ ले जाते हैं उसी जहन्नम की आग और दर्दनाक अज़ाब तक पहुँचाते हैं।

(4) शरीअत मम्बा (चश्मा) है और तरीक़त उसमें से निकाला हुआ एक दरिया, बल्कि शरीअत उस मिसाल से भी

मुताला (बलन्द) है। चश्मे से पानी निकलकर दरिया बनकर जिन ज़मीनों पर गुज़रे उन्हें सैराब करने में उसे चश्मे की ज़ुरूरत नहीं न उससे नफ़ा लेने वालों को अस्ल चश्मे की उस वक़्त हाजत, मगर शरीअत वह चश्मा है कि उससे निकले हुए दरिया यानी तरीक़त को हर आन उसकी .ज़ुरूरत है। चश्मे से उसका तअल्लुक़ टूटे तो यही नहीं कि सिर्फ़ आइन्दा के लिए मदद रुक जाये उस वक़्त तक जितना पानी आ चुका है, चन्द रोज़ तक पीने नहाने खेतियाँ, बाग़ात सींचने का काम दे --- नहीं नहीं चश्मे से तअल्लुक़ टूटते ही यह दरया फ़ौरन फ़ना हो जाये। बूंद तो बूंद नमी का नाम नज़र न आयेगा। नहीं नहीं मैंने ग़लती की काश इतना ही होता कि दरया सूख गया, पानी ख़त्म हुआ बाग़ सूखे खेत मुरझाये, आदमी प्यासे तड़प रहे हैं। हरगिज़ नहीं बल्कि यहाँ उस मुबारक चश्मे से ताल्लुक़ टूटते ही यह तमाम दरया दहकती आग हो जाता है जिसके शोलों से कहीं पनाह नहीं फिर काश वह शोले ज़ाहिरी आँखों से सूझते तो जो तअल्लुक़ तोड़ने वाले जले ख़ाक स्याह हुए थे इतने ही जल कर बाक़ी बच जाते कि उनका यह बुरा अन्न्जाम देखकर इबरत पाते मगर नहीं वह तो نَارُ اللّٰهِ الموْ قَدَةُالَّتِیoتَطَّلِعُ عَلَی الا فْئِدَۃِo (तर्जमा : अल्लाह की भड़काई हुई आग कि दिलों पर चढ़ती है) है, अन्दर से दिल जल गये, ईमान ख़ाके स्याह हुआ और ज़ाहिर में वही पानी नज़र आ रहा है देखने में दरया बातिन में आग का तूफ़ान। आह-आह-आह कि उस पर्दे ने लाखों को हलाक किया। लिहाज़ा शरीअत चश्मा व दरया की मिसाल से भी निहायत बलन्द है और अल्लाह ही के लिए आला मिसालें।

(5) शरीअत की हाजत हर मुसलमान को एक-एक सांस, एक-एक पल, एक-एक लम्हा पर, मरते दम तक है और तरीक़त में क़दम रखने वालों को और ज़्यादा कि राह जिस

क़द्र बारीक उसी क़द्र हादी (हिदायत देने वाला) की ज़्यादा हाजत लिहाज़ हदीस में आया हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-

" बग़ैर फिक़्ह के इबादत में पड़ने वाला ऐसा है जैसा चक्की खींचने वाला गधा कि मशक़्क़त झेले और नफ़ा कुछ नहीं " (अबू नुऐम फ़िल हिलया)

हज़रत मौला अली करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम फ़रमाते हैं :-

"वह शख़्सों ने मेरी पीठ तोड़ दी, यानी वह बलाऐ बैदरमा (ऐसी बला जिसका इलाज नहीं) हैं। जाहिल आबिद और आलिम ऐलानिया बेबाकाना गुनाहाओं का इरतकाब करें" (मक़ालुल उरफ़ा)

शरीअत व तरीक़त दो राहें मुख़्तलिफ़ नहीं बल्कि बे इत्तेबाए शरीअत ख़ुदा तक पहुँचना मुहाल, न बन्दा किसी वक़्त कैसी ही रियाज़यात (बहुत ज़्यादा इबादत) व मुजाहिदात (नफ़्स को मारना) करे उस मरतबे तक पहुँचे कि शरई पाबन्दियाँ उससे ख़त्म हो जायें और उसे बेलगाम घोड़ा बे नकेल का ऊँट करके छोड़ दिया जाये।

सूफ़ी वह है कि अपने हवा (ख़्वाहिश नफ़सानी) को शरा के ताबे करे न वह कि हवा की ख़ातिर शरा से अलग हो। शरीअत ग़िज़ा है और तरीक़त .कुव्वत, जब ग़िजा तर्क की जायेगी .कुव्वत आप ही ख़त्म होगी। शरीअत आइना और तरीक़त नज़र आँख फोड़कर नज़र रहना नहीं हो सकता। अल्लाह तक पहुँचने के बाद अगर शरीअत की पैरवी से बे-परवाई होती तो सय्यदुल आलामीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इमामुल वासलीन अली करमुल्लाह तआला वजहु उसके साथ ज़्यादा हक़दार होते (यानी शरीअत छोड़ने के) नहीं बल्कि जिस क़द्र .कुर्ब ज़्यादा होता है

शरीअत लगाम और सख़्त होती जाती है। अबरार की नेकियाँ मुक़र्रेबीन के सय्यात हैं।

नोट : इन मसाइल को समझने के लिए आलाहज़रत का रिसाला 'शरीअत व तरीक़त' देखें और किसी आलिम से भी इन मसाइल को समझें।

बे इल्म सूफ़ी

औलियाए किराम फ़रमाते हैं "बे इल्म सूफ़ी जाहिल शैतान का मसख़रा है" इसीलिए हदीस में आया हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-
"एक फ़क़ीह शैतान पर हज़ार आबिदों से ज़्यादा भारी है"
(तिर्मिज़ी इब्ने माजा)

बे-इल्म मुजाहिदे वालों को शैतान उन्गलियों पर नचाता है, मुँह में लगाम नाक में नकेल डाल कर जिधर चाहे खींचे फिरता है। وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعاًo (तर्जमा : अपने जी में समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं।)

हज़रत सय्यद जुनैद बग़दादी रदियल्लाहु तआला अ़न्हु फ़रमाते हैं मेरे पीर हज़रत सिर्री सक़ती रदियल्लाहु तआला अ़न्हु ने मुझे दुआ दी :-

"अल्लाह तुम्हें हदीसदाँ (हदीस जानने वाला) करके सूफ़ी बनाये और हदीसदाँ होने से पहले तुम्हें सूफ़ी न करे"

हज़रत इमाम ग़िज़ाली इसकी शरह में फ़रमाते हैं :-

"हज़रत सिर्री सक़ती ने इस तरफ़ इशारा फ़रमाया कि जिसने पहले हदीस व इल्म हासिल करके तसव्वुफ़ में क़दम रखा वह फ़लाह को पहुँचा और जिसने इल्म हासिल करने से पहले सूफ़ी बनना चाहा उसने अपने को हलाकत में डाला। (वलअयाज़ुबिल्लाह)"

हज़रत सय्यदी अबुल क़ासिम जुनैद बग़दादी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं :-

" जिसने न .कुरआन याद किया न हदीस लिखी यानी जो इल्मे शरीअत से आगाह नहीं दरबारए तरीक़त उसकी इक़्तिदा न करे उसे अपना पीर न बनायें कि हमारा यह इल्मे तरीक़त बिल्कुल किताब व सुन्नत का पाबन्द है "

हज़रत सय्येदिना सिर्री सक़ती रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं :-

"तसव्वुफ़ तीन वस्फ़ो का नाम है, अव्वल यह कि उसका नूर मारफ़त उसके नूरे वरआ (परहेज़गारी) को न बुझाये, दूसरे यह कि बातिन से किसी ऐसे इल्म में बात न करे कि ज़ाहिर .कुरआन या ज़ाहिर हदीस के ख़िलाफ़ हो, तीसरे यह कि करामतें उसे उन चीज़ों की परदादरी पर न लायें जो अल्लाह तआ़ला ने हराम फ़रमाई।" (रिसाला कशीरियह)

हज़रत शैख़ शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदियल्लाहु तआ़ला अन्ह फ़रमाते हैं :-

" जिस हक़ीक़त को शरीअत रद्द फ़रमाये वह हक़ीक़त नहीं बे-दीनी है " (मक़ालुल अरफ़ा)

नोट : बुज़ुर्गों के ये अक़वाल समझने के लिए आलिम के समझने की .जुरूरत है।

दुरूद शरीफ़ में इख़्तेसार

(दुरूद शरीफ़ में इख़्तेसार यानी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की जगह 'सलअम' लिखना सख़्त नाजाएज़ है) यह बला अवाम तो अवाम चौधवीं सदी के बड़े अकाबिर व फ़हूल कहलाने वालों में फैली हुई है कोई सलअम लिखता है, कोई सल्लम, कोई फ़क़त 'स्वाद' कोई अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले "ऐन मीम या ऐन।" एक ज़र्रा स्याही एक

उंगल काग़ज़ या एक सैकन्ड वक़्त बचाने के लिये कैसी कैसी अज़ीम बरकात से दूर पड़ते और महरूमी व बेनसीबी का डांडा पकड़ते हैं।

इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमत्तुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं :-

"पहला वह शख़्स जिसने दुरूद शरीफ़ का ऐसा इख़्तेसार किया (यानी इस हराम तरीक़े पर लिखा) उसका हाथ काटा गया "

अल्लामा सय्यद ताहतावी हाशिया दुर्रे मुख़्तार में फ़रमाते हैं फ़तावा तातार ख़ानिया से मनकूल है :-

" किसी नबी के नामे पाक के साथ दुरूद सलाम का ऐसा इख़्तेसार लिखने वाला काफ़िर हो जाता है कि यह हल्का करना हुआ और मामला शाने अम्बिया से मुताल्लिक़ है और अम्बिया अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का हल्का करना ज़ुरूर कुफ़्र है "

शक नहीं कि अगर मआज़ अल्लाह क़सदन इस्तिख़फ़ाफ़े शान हो यानी जानबूझ कर शान घटाना हो तो क़तअन कुफ़्र है। जो हुक्म ज़िक्र हुआ इसी सूरत के लिए है, यह लोग सिर्फ़ कसल, काहिली, नादानी, जाहिली से ऐसा करते हैं तो उस हुक्म के मुसतहक़ नहीं मगर बे-बरकती, कमबख़्ती ज़बूँ क़िस्मती में शक नहीं। **अकूल** (मैं यानी आलाहज़रत कहता हूँ) :- ज़ाहिर है कि क़लम भी एक ज़बान है, सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की जगह मोहमल बे-मअनी 'सलअम' लिखना ऐसा है कि नामे अक़दस के साथ दुरूद शरीफ़ के बदले यूँही कुछ अल्लम-ग़ल्लम बकना। अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :-

فَبَدَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَیْرَ الَّذِیْ قِیْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَی الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ٥

तर्जमा : जिस बात का हुक्म हुआ था ज़ालिमों ने उसे बदलकर और कुछ कर लिया तो हमने आसमान से उन पर अज़ाब उतारा बदला उनके फ़िस्क़ का। (पारा 1 रुकू 6)

वहाँ बनी इसराईल को फ़रमाया गया था قولواحِطّۃٌ (तर्जमा : यूँ कहो कि हमारे गुनाह उतरें) उन्होंने कहा حِنْطَۃٌ (तर्जमा : हमें गेहूँ मिले) यह लफ़्ज़ बामअनी तो था और अब भी एक नेमते इलाहिया का ज़िक्र था (मगर महज़ उस तबदीली की वजह से नुज़ूले अज़ाब हुआ) यहाँ हुक्म यह हुआ :-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًاo (اللّٰهُمَّ صلّ وَسَلِّم وبَارِك عَلَيه وعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِه ابَدًاo)

तर्जमा : ऐ ईमान वालों अपने नबी पर दुरूद और ख़ूब सलाम भेजो। (पारा 22 रुकू 4)

(अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम व बारिक अ़लैहि व अला आलिही व सह़बिहि अ-ब-दा)

और यह हुक्म वाजिब है या मुस्तहब हर बार नामे अक़दस सुनने या ज़बान से लेने या क़लम से लिखने पर है। तहरीर में उसकी बजाआवरी नामे अक़दस के साथ स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम लिखने में थी उसे बदल कर सलअम, सल्लम, स्वाद, ऐन, या ऐन मीम कर लिया जो कुछ मअनी नहीं रखता क्या इस पर नुज़ूले अज़ाब का ख़ौफ़ नहीं करते। वल अयाज़ु बिल्लाहि रब्बुल आ़लामीन।

यह तो महल्ले दुरूद है (यानी दुरूद की जगह है) जिसकी अज़मत उस हद पर है कि उसकी तख़फ़ीफ़ (छोटा करना) में पहलूए कुफ़्र मौजूद है कहने का मतलब यह है कि दुरूद को छोटा करने में अज़मत नहीं है लिहाज़ा इसमें

कुफ़्र का पहलू छुपा है। ---- उससे उतरकर सहाबा व औलिया, रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से असमाये तय्यबा के साथ यानी पाक नामों के साथ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की जगह 'रे द्वाद' लिखने को उलमाए किराम ने मुकरूह व बाअस महरूमी बताया। सय्यद अल्लामा ताहतावी फ़रमाते हैं :-

" लिखने में रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का इख़्तसार करना मुकरूह है बल्कि पूरा-पूरा लिखे "

इमाम नौवीं शरह मुस्लिम शरीफ़ में फ़रमाते हैं :-

"जो उससे ग़ाफ़िल हुआ ख़ैरे अज़ीम से महरूम रहा और बड़ा फ़ज़्ल उससे फ़ौत (ख़त्म) हुआ।(वल अयाज़ु बिल्लाह)"

यूँही .कुद्दिसा सिर्रुहू या रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि की जगह "क़ाफ़" या "रे हे" लिखना हिमाक़त व बरकत से महरूमी है ऐसी बातों से बचना चाहिए। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़े ख़ैर अता फ़रमाये, आमीन। (फ़तावा अफ़्रीक़ा)

निशाने सजदा

इस बारे में तहक़ीक़ यह है कि दिखावे के लिए क़सदन (जानबूझ कर) यह निशान पैदा करना हराम क़तई व गुनाहे कबीरा है और वह निशान मआज़ अल्लाह उसके इस्तहक़ाक़े जहन्नम का निशान है जब तक तौबा न करे (यानी ऐसा करने से जहन्नम का मुस्तहिक़ या लाइक़े जहन्नम है जब तक तौबा न करे) ----- और अगर यह निशान कसरते सजूद से यानी ज़्यादा सजदे करने से पड़ गया तो वह सजदे अगर रियाई थे यानी दिखावे के तौर पर थे तो फ़ाएल (सजदा करने वाला) जहन्नमी और यह निशान अगर्चे ख़ुद जुर्म नहीं मगर जुर्म से पैदा हुआ लिहाज़ा नारियत (जहन्नमी होना) की निशानी और अगर वह सजदे ख़ास अल्लाह के

लिए थे मगर यह उस निशान पड़ने से ख़ुश हुआ कि लोग मुझे आबिद साजिद जानेंगे तो अब रिया आ गया और यह निशान उसके हक़ में मज़मूम (बुरा) हो गया ---- और अगर उसे इस की तरफ़ कुछ इल्तिफ़ात नहीं तो यह निशान निशाने महमूद (पसंदीदा निशान) है और एक जमाअत के नज़दीक आयते करीमा سِيْمَا هُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۝ (तर्जमा : उनके चेहरों में सजदों के निशानात ज़ाहिर होंगे) में उसकी तारीफ़ मौजूद है। उम्मीद है कि क़ब्र में मलाइका के लिए उसके ईमान व नमाज़ की निशानी हों और रोज़े क़यामत यह निशान आफ़ताब से ज़्यादा नूरानी हो जब कि अक़ीदा मुताबिक़ अहले सुन्नत वल जमाअत सही व हक़्क़ानी हो वर्ना बद्‌दीन गुमराह की किसी इबादत पर नज़र नहीं होती जैसा कि इब्ने माजा वग़ैरा की अहादीस में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है। यही वह धब्बा है जिसे ख़ारिजयों की अलामत कहा गया है।

बिल जुमला बदमज़हब का धब्बा मज़मूम (बुरा) और सुन्नी में दोनों एहतमाल हैं रिया हो तो मुज़मूम वर्ना महमूद और किसी सुन्नी पर रिया की तोहमत तराश लेना उससे ज़्यादा मुज़मूम व मरदूद कि बदगुमानी से बढ़कर कोई बात झूटी नहीं। रसूल्लुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यही फ़रमान है। वल्लाह तआला आलम।(फ़तावा अफ़्रीक़या)

बिदअत क्या है

मुसलमान यह फ़ायदए जलीला ख़ूब याद रखें कि बात बात पर वहाबिया मख़ज़ूलीन के उल्टे मुतालबों से बचें, उन ख़ुबसा की बड़ी दौड़ यही है कि फ़लाँ काम बिदअत है, हादिस (नया) है, अगलों से साबित नहीं उसका सबूत लाओ। सबका जवाब यही है कि तुम अन्धे हो और औंधे हो दो

बातों में से एक का सबूत तुम्हारे ज़िम्मे है।

या तो यह कि फ़ी नफ़्सेही इस काम में शर (बुराई) है (यानी ख़ुद ही इसमें बुराई है) या यह कि शरा मुत्तहेरा ने उसे मना फ़रमाया है।

जब न शरा से मना न काम में शर तो रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बल्कि .कुरआन अज़ीम के इरशाद से जाइज़। दार .कुतनी (मुहद्दिस) ने अबू सालबा ख़शनी रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्ह से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

"बेशक अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने कुछ बातें फ़र्ज़ की हैं उन्हें न छोड़ो और कुछ हराम फ़रमाईं उन पर जुराअत न करो, और कुछ हदें बांधी उनसे न बढ़ो और कुछ चीज़ों का कोई हुक्म क़सदन ज़िक्र न फ़रमाया उनकी तफ़तीश न करो"

बुख़ारी व मुस्लिम में सअद इब्ने अबी वक़्क़ास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

"मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमानों के हक़ में मुजरिम वह है जिसने कोई बात पूछी उसके पूछने पर हराम फ़रमा दी गई"

यानी न पूछता तो उस बिना पर कि शरीअत में उसका ज़िक्र न आया जाइज़ रहती उसने पूछ कर नाजाइज़ करा ली और मुसलमानों पर तंगी की।

तिर्मिज़ी व इब्ने माजा सलमान फ़ारसी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी

"जो कुछ अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने अपनी किताब में हलाल फ़रमाया वह हलाल है और जो कुछ हराम फ़रमाया वह हराम है और जिस का ज़िक्र न फ़रमाया वह माफ़ है"

अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :-

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ
لَكُمْ تَسُؤكُمْ وَاِنْ تَسْئَلُو اعَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ
تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌo

तर्जमा : ऐ ईमान वालों न पूछो वह बातें कि उनका हुक्म तुम पर खोल दिया जाए तो तुम्हें बुरा लगे और अगर इस ज़माने में पूछोगे जब तक .कुरआन उतर रहा है तो तुम पर खोल दिया जायेगा। अल्लाह उन्हें माफ़ कर चुका है और अल्लाह बख़शने वाला इल्म वाला है। (पारा 7 रुकू 4)

यह आयते करीमा उन तमाम हदीसों की तसदीक़ और साफ़ इरशाद है कि शरीअत ने जिस बात का ज़िक्र न फ़रमाया वह माफ़ी में है जब तक कलाम मजीद उतर रहा था एहतमाल था कि माफ़ी पर शाकिर न होकर कोई पूछता उसके सवाल की शामत से मना फ़रमा दी जाती अब कि .कुरआन करीम उतर चुका, दीन कामिल हो लिया, अब कोई हुक्म नया आने को न रहा जितनी बातों का शरीअत ने हुक्म दिया न मना किया उनकी माफ़ी मुक़र्रर हो चुकी जिसमें अब तबदीली न होगी। (फ़तावा अफ़्रीक़या)

नोट : तफ़सील के लिए दूसरी बड़ी किताबें देखें या किसी सुन्नी आलिम से दरयाफ़्त करें।

जिन्न से ग़ैब दरयाफ़्त करना मना है

हज़रत शैख़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु "फ़ुतूहात" में फ़रमाते है जिन्न की सोहबत से आदमी मुताकब्बिर (घमंड करने वाला) होता है और मुताकब्बिर का ठिकाना जहन्नम।

अल अयाज़ु बिल्लाहि तआ़ला।

(जिन्न से) अगर ऐसा हाल दरयाफ़्त करना है जो उनसे तअल्लुक़ रखता है या हाल का वाक़िआ है जिसे वह जाकर मालूम कर सकते हैं, ग़र्ज़ ऐसी बात कि उनके हक़ में ग़ैब नहीं तो जाइज़ ---- और अगर ग़ैब की वह बात उनसे दरयाफ़्त करनी हो जिसे बहुत लोग हाज़रात करके मुवक्किल जिन्न से पूछते हैं, फ़लाँ मुक़दमें में क्या होगा, फ़लाँ काम का अन्जाम क्या होगा। यह हराम और कहानत (ज्योतिष) का शोबा बल्कि इससे बदतर।

ज़मानए कहानत में जिन्न असमानों तक जाते और मलाइका की बातें सुना करते उन को जो काम पहुँचे होते और वह आपस में तज़करा करते यह (जिन्न) चोरी से सुन आते और सच में दिल से झूट मिलाकर काहिनों से कह देते जितनी बात सच्ची थी वाक़ेअ होती। ज़मानए अक़दस हुज़ूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से उसका दरवाज़ा बन्द हो गया। आसमानों पर पहरे बैठ गये अब जिन्न की ताक़त नहीं कि सुनने जायें ---- जो जाता है मलाइका उस पर शहाब (चिंगारी) मारते हैं। जिन्न का बयान सूरए जिन्न शरीफ़ में है तो अब जिन्न ग़ैब से निरे जाहिल हैं उनसे आइन्दा की बात पूछनी अक़्लन हिमाक़त और शरअन हराम और उनकी ग़ैबदानी का एतक़ाद हो तो कुफ़्र है, मसनदे अह़मद और सुनने अरबअ में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है :-

"जो किसी काहिन के पास जाये और उसकी बात सच्ची समझे या हालते हैज़ में औरत से .क़ुरबत करे या दूसरी तरफ़ दख़ूल करे वह बेज़ार हुआ उस चीज़ से कि मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर उतारी गयी"

मसनदे अह़मद व सही मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन

हज़रते हफ़्सा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा से है रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

"जो किसी ग़ैब-गो के पास जाकर उससे ग़ैब की कोई बात पूछे चालीस दिन उसकी नमाज़ क़बूल न हो"

और मसनदे बज़्ज़ाज़ में हज़रते उमर इब्ने हसीन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है :-

" जो किसी ग़ैब-गो या काहिन (ज्यातिषी) के पास जाये और उसकी बात को सच एतक़ाद करे वह काफ़िर हुआ उस चीज़ से जो उतारी गई मुहम्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर "

मोजमे कबीर तबरानी में वासिला इब्ने असक़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-

" जो किसी काहिन के पास जाकर उससे कुछ पूछे उसे चालीस दिन तौबा नसीब न हो और अगर उसकी बात पर यक़ीन रखे तो काफ़िर है "

जिन्न से सवाल ग़ैब भी इसमें शामिल है।(फ़तावा अफ़्रीक़या)

अंगूठी किस तरह की जाएज़ है

चाँदी की एक अंगूठी एक नग की साढ़े चार माशा से कम वज़न की मर्द को पहनना जाएज़ है --- और दो अंगूठियाँ या कई नग की एक अंगूठी या साढ़े चार माशा ख़्वाह ज़ायद चाँदी की और सोने, कांसे, पीतल, लोहे, ताँबे की मुतलक़न नाजाएज़ है। घड़ी की ज़न्जीर सोने चाँदी की मर्द को हराम और धातू की ममनूअ है और जो चीज़ें मना की गयी हैं उनको पहन कर नमाज़ और इमामत मुकरूहे

तहरीमी है। (अहकाम शरीअत)

आख़िरी चहार शम्बे की हक़ीक़त

आख़िरी चहार शम्बे की कोई अस्ल नहीं, न उस दिन सेहतयाबी हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई सबूत, बल्कि मर्ज़े अक़दस जिसमें वफ़ात मुबारक हुई उसकी इब्तिदता (शुरूआत) उसी दिन से बताई जाती है और एक हदीस मरफ़ूअ में आया है कि महीने का आख़री बुद्ध नहस का दिन है और मरवी हुआ कि हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबत व शुरूआत इसी दिन से थी। उसे नहस समझकर यानी बुरा दिन समझ कर मिट्टी के बर्तन तोड़ देना गुनाह व इज़ाअत माल यानी माल की बर्बादी है बहरहाल ये सब बातें बेअस्ल व बे-मअनी हैं।

(अहकामे शरीअत)

नर्मी और सख़्ती

देखो नर्मी के जो फ़वाएद हैं वह सख़्ती में हर्गिज़ हासिल नहीं हो सकते --- जिन लोगों के अक़ाएद मुज़बज़ब हों उनसे नर्मी बरती जाये कि वह ठीक हो जायें। जो वहाबिया में बड़े बड़े हैं उनसे भी इब्तेदाअन (शुरू में) बहुत नर्मी की गयी, मगर चूंकि उनके दिलों में वहाबियत रासिख़ (बैठ जाना) हो गयी थी और मिसदाक़ ثُمَّ لا يَعُوْدُوْنَ (फिर नहीं लौटेंगे) हो चुके थे इसलिए उस वक़्त सख़्ती की गई कि रब अज़्ज़वजल्ला फ़रमाता है-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۝

तर्जमा : ऐ नबी जिहाद करो काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से और उन पर सख़्ती करो। (पारा 10 रुकू 16)

और मुसलमानों को इरशाद फ़रमाया है :-

وَلْيَجِدُوْا فِيكُمْ غِلْظَةً

तर्जमा : लाज़िम है कि वह तुममें सख़्ती पायेंगे।

(अल मलफ़ूज़)

काला ख़िज़ाब

अर्ज़ : ख़िज़ाब स्याह अगर वस्मा (वस्मा एक क़िस्म का पत्ता है जिससे ख़िज़ाब करते है) से हो तो (जाएज़ है या नहीं) ?

इरशाद : वसमा से हो या तसमा से स्याह ख़िज़ाब हराम है।

अर्ज़ : अगर जवान औरत से ज़ईफ़ मर्द निकाह करना चाहे तो ख़िज़ाब स्याह कर सकता है या नहीं?

इरशाद : बूढ़ा बैल सींग काटने से बछड़ा नहीं हो सकता।

(अल मलफ़ूज़)

जुज़ामी से भागने का मतलब

यह झूट है कि एक की बीमारी दूसरे को उड़कर लगती है रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "लाअदवी" यानी बीमारी उड़कर नहीं लगती और फ़रमाते हैं -- फ़मन आदल अव्वला -- यानी उस दूसरे को तो पहले की उड़कर लगी उस पहले को किसकी लगी।

जिस मरीज़ के बदन से नजासत निकलती और कपड़ों को लगती हो जैसे तर ख़ारिश या मआज़ अल्लाह जुज़ाम, उसका कपड़ा न पहना जाये --- न उस ख़्याल से कि बीमारी लग जायेगी बल्कि नजासत से एहतियात के लिए

---- और जहाँ यह न हो कपड़ा पहनने में हर्ज नहीं --- यूँही साथ खाने में जब कि ईमान क़वी हो कि मआज़ अल्लाह बतक़दीरे इलाही उसे वही मर्ज़ हो जाए तो यह न समझे कि साथ खाने या उसका कपड़ा पहनने से हो गया ऐसा न करता तो न होता --- और अगर ज़ईफुल ईमान है तो वह उन मर्ज़ वालों से बचने की निसबत मुताअद्दी (छूत) होना अवाम के ज़हन में जमा हुआ है जैसे जुज़ाम। वल अयाज़ु बिल्लाहि तआ़ाला। यह बचना इस ख़्याल से न हो कि बीमारी लग जायेगी कि यह तो मरदूद व बातिल है बल्कि इस ख़्याल से कि अयाज़ु बिल्लाह अगर बतक़दीरे इलाही कुछ हुआ तो ईमान ऐसा क़वी नहीं कि शैतानी वसवसे की मुदाफ़ेअत (दफ़ा करना) करे और जब मुदाफ़ेअत न हो सकी तो फ़ासिद अक़ीदे में मुबतिला होना होगा। लिहाज़ा एहतराज़ (बचना) करे, ऐसों को हदीस में इरशाद हुआ है मुजज़ूम (जुज़ाम वाला) से भाग जैसा कि शेर से भागता है। वल्लाह तआ़ाला आलम। (अहकाम शरीअत)

तम्बाकू का इस्तेमाल कैसा है

तम्बाकू का बक़द्रे ज़रर व इख़्तेलाले हवास खाना हराम है (यानी इस मिक़दार कि खाने से नुक़सान और हवास में ख़राबी पैदा हो खाना हराम है) और इस तरह कि मुँह में बू आने लगे मकरूह और अगर थोड़ी ख़ुसूसन मुश्क वग़ैरा से ख़ुशबू करके पान में खाये और हर बार खाकर कुल्लियों से ख़ूब मुँह साफ़ कर दे कि बू न आने पाये तो ख़ालिस मुबाह है। बू की हालत में कोई वज़ीफ़ा न चाहिए। मुँह अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हो और .क़ुरआन अ़ज़ीम तो हालते बदबू में पढ़ना सख़्त मना है, हाँ जब बदबू हो तो दुरूद शरीफ़ व दीगर वज़ाएफ़ उस हालत में भी पढ़ सकते

हैं कि मुह में पान या तम्बाकू हो, अगर्चे बेहतर साफ़ कर लेना है लेकिन .कुरआन मजीद की तिलावत के वक़्त ज़ुरूर बिल्कुल साफ़ कर ले। फ़रिश्तों को .कुरआन अ़ज़ीम का बहुत शौक़ है और आम मलाइक को तिलावत की .कुदरत न दी गई जब मुसलमान .कुरआन शरीफ़ पढ़ता है फ़रिश्ता उसके मुँह पर अपना मुँह रखकर तिलावत की लज़्ज़त लेता है। उस वक़्त अगर मुँह में खाने की चीज़ का लगाव होता है फ़रिश्ते को ईज़ा (तकलीफ़) होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

"अपने मुँह मिसवाक से सुथरे करो कि तुम्हारे मुँह .कुरआन का रास्ता हैं"

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़ारमाते हैं :-

"जब तुममें कोई तहज्जुद को उठे मिसवाक करे कि जो नमाज़ में तिलावत करता है फ़रिश्ता उसके मुँह पर अपना मुँह रखता है जो उसके मुँह से निकलता है फ़रिश्ते के मुँह में दाख़िल होता है"

दूसरी हदीस में है :-

"फ़रिश्ते पर कोई चीज़ खाने की बू से ज़्यादा सख़्त नहीं जब कभी मुसलमान नमाज़ को ख़ड़ा होता है फ़रिश्ता उसका मुँह अपने मुँह में ले लेता है जो आयत उसके मुँह से निकलती है फ़रिशते के मुँह में दाख़िल होती है। वल्लाह तआ़ला आलम" (अहकाम शरीयत)

औरतों का ज़ेवर

औरतों को सोने चाँदी के ज़ेवर पहनना जाएज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़ारमाते हैं :-

"सोना रेशम मेरी उम्मत की औरतों को हलाल और

मर्दों पर हराम हैं"

बल्कि औरत का अपने शौहर के लिए गहना पहनना, बनाव सिंगार करना बाइसे अज्रे अज़ीम और उनके हक़ में नमाज़े नफ़्ल से अफ़ज़ल है।

बाज़ स्वालेहात (नेक औरतें) कि ख़ुद और उनके शौहर दोनों साहब औलियाए किराम से थे। हर शब बाद नमाज़े इशा, पूरा सिंगार करके दुल्हन बन कर अपने शौहर के पास आतीं। अगर उन्हें अपनी तरफ़ हाजत पातीं हाज़िर रहतीं वर्ना ज़ेवर व लिबास उतार कर मुसल्ला बिछातीं और नमाज़ में मशग़ूल हो जातीं।

बल्कि औरत का बावस्फ़े .कुदरत बिल्कुल बे-ज़ेवर रहना मकरूह है कि मर्दों से तशब्बो है। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौला अली कर्रमुल्लाह वजहु से फ़रमाया ऐ अली अपनी मुहज़्ज़रात (औरतों) को हुक्म दो कि बे-गैहने नमाज़ न पढ़ें।

उम्मुल मोमेनीन हज़रत सिद्दीक़ा रद़ियल्लाहु तआला अन्हा औरत का बे-ज़ेवर नमाज़ पढ़ना मकरूह जानतीं। और फ़रमातीं और कुछ न पाये तो एक डोरा ही गले में बांध ले।

बजने वाला ज़ेवर औरतों के लिए उस हालत में जाएज़ है कि नामहरम मसलन ख़ाला, मामू, चचा, फूफी के बेटों, जेठ, देवर, बहनोई के सामने न आती हों न उसके ज़ेवर की झंकार नामहरम तक पहुँचे, अल्लाह अज़्ज़वजल्ला फ़रमाता है :-

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ o

तर्जमा : अपना सिंगार शौहर या महरम के सिवा किसी पर ज़ाहिर न करें" (पारा 18 रुकू 10)

और फ़रमाता है :-

ولا یضر بن بار جلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن

तर्जमा : औरतें पाव धमक कर न रखें कि उनका छिपा हुआ सिंगार ज़ाहिर हो। (इरफ़ाने शरीअत)

मुसलमानों का कुफ़्फ़ार के मेलों में जाना

अर्ज़ : अहले हुनूद के मेलों मिस्ल दशहरा वग़ैराह में मुसलमानों को जाना कैसा है?

इरशाद : उनका मेले देखने के लिए जाना मुतलक़न नाजाएज़ है अगर उनका मज़हबी मेला है जिसमें वह अपना कुफ़्र व शिर्क करेंगे। कुफ़्र की आवाजों से चिल्लायेंगे जब तो ज़ाहिर है और यह सूरत सख़्त हराम मिनजुमला कबाइर (यानी कबीरा गुनाह) फिर भी कुफ़्र नहीं अगर कुफ़्र की बातों से नाफ़िर (नफ़रत करने वाला) है। हाँ मआज़ अल्लाह उनमें से किसी बात को पसन्द करे या हल्का जाने तो आप ही काफ़िर है। हदीस में है जो किसी क़ौम का जत्था बढ़ाये वह उनमें से है और जो कोई किसी क़ौम का कोई काम पसन्द करे वह उस काम करने वालों का शरीक है। (अबू याला मसनद अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक किताबुल ज़ुहद वग़ैराह)

अगर मज़हबी मेला नहीं लहू व लइब का है जब भी नामुमकिन कि मुनकिरात व क़बाएह (बुरी होना) से ख़ाली हो और मुन्किरात का तमाशा बनाना जाएज़ नहीं। (रद्दुल मुहतार)

अगर तिजारत के लिए जाये तो अगर मेला उनके कुफ़्र व शिर्क का है जाना नाजाएज़ व ममनूअ है कि अब वह जगह माबद (पूजा की जगह) है और माबद कुफ़्फ़ार में जाना गुनाह। (तातारख़ानिया बल हिंदिया वग़ैरहुमा)

अगर लहू व लइब का है तो ख़ुद उससे बचे न उसमें शरीक हो न उसे देखे न वह चीज़ें जो उनके लहू व लइब ममनूअ की हों तो जाएज़ है फिर भी मुनासिब नहीं कि उनका मजमा हर वक़्त महल्ले लानत है तो उससे दूर ही में ख़ैर लिहाज़ा उलमा ने फ़रमाया कि उनके महल्ले में होकर निकले तो जल्द लपकता हुआ गुज़र जाये। (.गुनिया, फ़तहुल मुईन तहवावी)

और अगर ख़ुद शरीक हो तमाशा देखे या उनके लहु ममनूअ की चीज़ें बेचे तो आप ही गुनाह व नाजाएज़ है।

हाँ एक सूरत जवाज़ मुतलक़ की वह यह है कि आलिम उन्हें हिदायत और इस्लाम की तरफ़ दावत के लिए जाये जबकि उस पर क़ादिर हो। यह जाना हसन व महमूद है। अगर्चे उनका मज़हबी मेला हो। ऐसा तशरीफ़ ले जाना ख़ुद हुज़ूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से बारहा साबित है। (इरफ़ाने शरीअत)

नसब पर फ़ख़्र जाएज़ नहीं

(1) नसब पर फ़ख़्र जाएज़ नहीं।

(2) नसब के सबब अपने आप को बड़ा जानना, तकब्बुर करना जाएज़ नहीं।

(3) दूसरों के नसब पर तअन जाएज़ नहीं।

(4) उन्हें कम नसबी के सबब हक़ीर जानना जाएज़ नहीं।

(5) नसब को किसी के हक़ में आर या गाली समझना जाएज़ नहीं यानी नसब को कोई शर्म की चीज़ या गाली जैसा समझना जाएज़ नहीं।

(6) उसके सबब किसी मुसलमान का दिल दुखाना जाएज़ नहीं।

(7) अहादीस जो इस बाब में उन्हीं मअनी की तरफ़ नाज़िर हैं किसी मुसलमान बल्कि काफ़िर ज़िम्मी को भी बिला हाजत

शरिआ ऐसे लफ़्ज़ से पुकारना या ताबीर करना जिससे उसकी दिलशिकनी हो, ईज़ा (तकलीफ़) पहुँचे शरअन नाजाएज़ व हराम है अगर्चे बात फ़ी नफ़ेसही सच्ची हो यानी वह बात ख़ुद सच्ची हो। (इरातुल अदब लिफ़ाज़िले नसब)

अगर कोई चमार भी मुसलमान हो तो मुसलमानों के दीन में उसे हिक़ारत की निगाह से देखना हराम और सख़्त हराम है वह हमारा दीनी भाई हो गया। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :- انّما المومنون اخوة (तर्जमा : तमाम मोमिन भाई हैं) (फ़तावा रज़विया जिल्द 5)

शरा शरीफ़ में शराफ़त क़ौम पर मुन्हसिर नहीं अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :-

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ۝

तर्जमा : तुम में ज़्यादा मरतबे वाला अल्लाह के नज़दीक एक वह है जो ज़्यादा तक़वा रखता है।

हाँ दरबारए निकाह उसका .ज़ुरूर एतबार रखा है। बाप दादा के सिवा किसी वली को इख़्तेयार नहीं कि नाबालिग़ लड़की का निकाह किसी ग़ैर कुफ़ू से कर दे जिससे उसकी शादी उर्फ़ में बाइस नंग व आर हो अगर करेगा निकाह न होगा। आक़ला बालिग़ा औरत को इज़ाज़त नहीं कि बे-रज़ामन्दी सरीह औलिया अपना निकाह किसी ग़ैर कुफ़ू से करे अगर करेगी निकाह न होगा। (फ़तावा रज़विया) (दलायल असल किताब में मुलाहिज़ा हों।)

किसी को पेशे के सबब हक़ीर जानना

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा .क़ुद्दिसा सिर्रुहू से अंसारी ब्रादरी के मोमिन कहने के बारे में सवाल किया गया

और यह कि जो लोग उनको ताने के तौर पर मोमिन कहें उनका क्या हुक्म है? तो आप ने उसका जवाब दिया है वह मुलाहिज़े के क़ाबिल है पूरा सवाल मय जवाब के हदिया नाज़रीन है।

सवाल : क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि मोमिन कहना तख़सीस रखता है क़ौमे नूर बाफ़ या आम उम्मते मुहम्मदी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से, दूसरे यह कि अगर कोई शख़्स बराहे ताना क़ौम मज़कूर (यानी जिस क़ौम का ज़िक्र हुआ) के निसबत मोमिन कहे तो उसकी निसबत क्या हुक्म है?

अलजवाब : अलहम्दु लिल्लाह हर मुसलमान मोमिन है और हिन्दुस्तान में बाज़ जगहों पर उर्फ़ में उस क़ौम को मोमिन कहना शायद इस बिना पर हो कि ये लोग अक्सर सलीमुल क़ल्ब, हलीमल तबा होते हैं यानी सलामत दिल और बर्दाश्त मिज़ाज वाले होते है जिनसे और मुसलमानों को आज़ार (दुख) कम पहुँचता है और हदीस में फ़रमाया कि मोमिन वह है जिसके हमसाये (पड़ोसी) उसकी ईज़ाओं से अमान में हों। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मोमिन वह है कि जिससे उसका पड़ोसी अमान में रहे। फिर यह लफ़्ज़ बतौर ताना उन्हें कहना दूसरी शनाअत (बुराई) है एक तो मुसलमान को उसकी निसबत या पेशे के सबब हक़ीर जानना दूसरे ऐसे अज़ीम जलील लफ़्ज़ को महल्ले तअन में इस्तेमाल करना। ऐसे शख़्स को चाहिए कि अल्लाह से डरे और अपनी ज़बान की निगहदाश्त करे।

اللّٰهم اهدنی والمسلمين انك انك انت ارحم الراحمينOآمِیْنO

तर्जमा : ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे और मुसलमानों को बेशक तू रह़म फ़रमाने वाला है।

(फ़तावा रज़विया)

मुसलमान हलालख़ोर का हुक्म

मसअला : मुसलमान हलालख़ोर जो पंज वक़्त नमाज़ पढ़ता हो इस तरह पर कि अपने पेशे से फ़ारिग़ होकर ग़ुस्ल करके ताहिर कपड़े पहन कर मस्जिद में जाये तो वह शरीके जमाअत हो सकता है या नहीं? और अगर जमाअत में शरीक हो तो क्या पिछली सफ़ में खड़ा हो या जहाँ जगह मिले यानी अगली सफ़ में भी खड़ा हो सकता है और बादे नमाज़ मुसलमानों से मुसाफ़ा कर सकता है या नहीं? और मस्जिद के लोटों से वज़ू कर सकता है या नहीं और जो हलालख़ोर सिर्फ़ बाज़ार में जारूबकशी (झाड़ू लगाने का काम) करता हो उसका क्या हुक्म है।

अलजवाब : बेशक शरीके जमाअत हो सकता है और बेशक सबसे मिलकर खड़ा होगा और बेशक पहली या दूसरी सफ़ में जहाँ जगह पाए खड़ा होगा कोई शख़्स बिला वजह शरई किसी को मस्जिद में आने या जमाअत में मिलने या पहली सफ़ में शामिल होने से हरगिज़ नहीं रोक सकता। अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है اِنَّ الْمَسٰجِدَلِلّٰہِ (तर्जमा : बेशक मस्जिदें ख़ास अल्लाह के लिए हैं।) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं اَلْعِبَادُعِبَادُاللّٰہِ (तर्जमा : बन्दे सब अल्लाह के बन्दे हैं। जब बन्दे सब अल्लाह के, मस्जिदें सब अल्लाह की तो फिर कोई किसी बन्दे को मस्जिद की किसी जगह से बे-हुक्मे इलाही क्यूँकर रोक सकता है। अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने इरशाद फ़रमाया

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰہِ اَنْ یُّذْکَرَ فِیْھَا اسْمُہٗ (तर्जमा : उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके) उनमें ख़ुदा का नाम लेने से । इसमें कोई तख़सीस नहीं है कि बादशाहे

हक़ीक़ी यानी अल्लाह तआला का यह आम दरबार ख़ाँ साहब, शेख़ साहब मुग़ल साहब या तुज्जार (व्यापारी), ज़मीदार या माफ़ीदार (दी हुई ज़मीन का मालिक) ही के लिए है, कम क़ौम या ज़लील पेशे वाले न आने पायें। उलमा जो सफ़ों की तरतीब लिखते हैं उसमें कहीं क़ौम या पेशे की भी ख़ुसूसियत है? हरगिज़ नहीं, वह मुतलक़न फ़रमाते हैं सफ़ बांधे मर्द फिर लड़के फिर ख़ुन्सा फिर औरतें।

बेशक ज़ब्बाल यानी पाख़ाना कमाने वाला या कुन्नास यानी जारूब कशी (झाडू लगाने वाल) मुसलमान पाक बदन, पाक लिबास जबकि मर्द बालिग़ हो तो अगली सफ़ में खड़ा किया जायेगा और ख़ान साहब और शेख़ साहब मुग़ल साहब के लड़के पिछली सफ़ में जो इसके ख़िलाफ़ करेगा हुक्मे शरअ का अक्स (उल्टा) करेगा। शख़्स मज़कूर (यानी जिन शख़्सों का ऊपर ज़िक्र हुआ) जिस सफ़ में खड़ा हो अगर कोई साहब उसे ज़लील समझकर उससे बचकर खड़े होंगे बीच में फ़ासला रहेगा वह गुनाहगार होंगे और उस वईद शदीद के मुसतहक़ कि हुज़ूरे अक़दस सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो किसी सफ़ को क़ता करे अल्लाह उसे काट देगा" और जो मुतवाज़ा (मुनकसिर मिज़ाज) मुसलमान सादिकुल ईमान अपने रब्बे अकरम व नबी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म बजा लाने को उससे शाना -ब- शाना ख़ूब मिलकर खड़ा होगा अल्लाह अज़्ज़वजल्ला उसका रुतबा बलन्द करेगा और वह उस वईदे जमीला का मुस्तहक़ होगा कि हुज़ूरे अनवर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-

"जो किसी सफ़ को वसल करे यानी मिलाए अल्लाह उसे वस्ल फ़रमायेगा"

हमारे नबी करीम अ़लैहि व आला आले अफ़्ज़लुस्सलातु वत्तसलीम फ़रमाते हैं " लोग सब आदम के बेटे हैं और आदम अ़लैहिस्सलाम मिट्टी से " दूसरी हदीस में है हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

" ऐ लोगों बेशक तुम सब का रब एक और बेशक तुम सब का बाप एक सुन लो कुछ बुज़ुर्गी नहीं अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर मगर परहेज़गारी से, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में बड़ा रुतबे वाला वह है जो तुममें ज़्यादा परहेज़गार है"

हाँ इसमें शक नहीं कि ज़ब्बाली शरअन वह पेशा है जबकि ज़ुरूरत उस पर बाइस न हो मसलन जहाँ काफ़िर भंगी पाये जाते हैं जो इस पेशे के वाक़ई क़ाबिल हैं न वहाँ ज़मीन मिस्ल ज़मीन अरब हो कि रुतूबात जज़्ब करे ऐसी जगह अगर बाज़ मुस्लेमीन, मुसलमानों पर से अज़ियत के दफ़ा करने और सेहत की हिफ़ाज़त की नियत से यह पेशा इख़्तेयार करें तो मजबूरी और जहाँ ऐसा न हो बेशक कराहत है --- वह भी हर्गिज़ फ़िस्क़ की हद तक नहीं यानी ऐसा मकरूह पेशा करने वाला हर्गिज़ फ़ासिक़ नहीं।

मगर उन क़ौमदार हज़रात का तनफ़्फ़ुर (नफ़रत) हरगिज़ इस बिना पर नहीं कि यह एक मकरूह काम करता है, वह तनफ़्फ़ुर करने वाले हज़रात ख़ुद सदहा गुनाह कबीरा मना किए गए काम करते हैं तो अगर इस वजह से नफ़रत हों तो वह ज़्यादा तनफ़्फ़ुर के लाएक़ हैं, उन साहिबों की सफ़ों में कोई नशे बाज़ .कुमारबाज़ (जुआरी) या सूदख़ोर शेख़ साहब, तुज्जार या रिशवतख़ोर मिर्ज़ा साहब ओहदेदार आकर खड़े हों तो हर्गिज़ नफ़रत न करेंगे और अगर कोई कपतान या कलेक्टर साहब या मैजिस्ट्रेट साहब या असिस्टेंट कमिश्नर

साहब या जज मातहत साहब आकर शामिल हों तो उनके बराबर खड़े होने को तो फ़ख़्र समझेंगे हालांकि अल्लाह व रसूल के नज़दीक यह अफ़आल और पेशे किसी फ़ेल मुकरूह से बदर्जा बदत्तर हैं तो साबित हुआ कि उनकी नफ़रत ख़ुदा के लिए नहीं बल्कि महज़ नफ़सानी आन बान और रस्मी तकब्बुर की शान है। तकब्बुर हर नजासत से बदतर नजासत है और दिल हर अज़्व (अंग) से शरीफ़ तर अज़्व। अफ़सोस कि हमारे दिल में तो यह नजासत भरी हो और हम उस मुसलमान से नफ़रत करें जो इस वक़्त पाक साफ़ बदन धोए, पाक कपड़े पहने है। ग़र्ज़ जो हज़रात इस बेहूदा वजह से उस मुसलमान को मस्जिद से रोकें वह इस बलाए अज़ीम में गिरफ़्तार होंगे जो आयते करीमा में गुज़री कि उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है और जो हज़रात ख़ुद इस वजह से मस्जिद व जमाअत तर्क करेंगे वह इन सख़्त-सख़्त हौलनाक वईदों के मुस्तहक़ होंगे जो इनके तर्क पर वारिद हैं यहाँ तक कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया :-

"ज़ुल्म पूरा ज़ुल्म और कुफ़्र और निफ़ाक़ है कि आदमी मोअज़्ज़िन को सुने कि नमाज़ के लिए बुलाता है और हाज़िर न हो"

और जो बन्दा ख़ुदा अज़्ज़वजल्ला के अहकाम पर गर्दन रखकर अपने नफ़्स को दबायेगा और उस मुज़ाहमत (टकराव) व नफ़रत से बचेगा, मुजाहिदे नफ़्स और तवाज़ो का सवाबे जलील पायेगा। भला फ़र्ज़ कीजिए कि इन मसाजिद से तो उन मुसलमानों को रोक दिया वह मज़लूम बेचारे घरों पर पढ़ लेंगे, सब में अफ़ज़ल व आला मस्जिद, मस्जिदे हराम शरीफ़ से उन्हें कौन रोकेगा। इस मुसलमान पर अगर हज फ़र्ज़ हो तो क्या उसे हज से रोकेंगे और ख़ुदा के फ़र्ज़ से बाज़ रखेंगे या मस्जिदे हराम से बाहर कोई नया काबा उसे बना

देंगे कि उसका तवाफ़ करे। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को हिदायत बख़्शे। आमीन।

इस तक़रीर से साबित हो गया कि मस्जिद के लोटे जो आम मुसलमानों पर वक़्फ़ हैं उन से वुज़ू को भी कोई मना नहीं कर सकता जब कि उसके हाथ पाक हैं, रहा मुसाफ़ा ख़ुद इब्तिदा (शुरुआत) करने को इख़्तेयार है कीजिए न कीजिए मगर जब वह मुसलमान मुसाफ़े के लिए हाथ बढ़ाए और आप अपने इस ख़्याल बेमअनी से हाथ खींच लीजिए तो बेशक बिला वजह शरई उसकी दिलशिकनी और बेशक बिला वजह शरई मुसलमान की दिलशिकनी हराम क़तई। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने किसी मुसलमान को ईज़ा (तकलीफ़) दी उसने मुझे ईज़ा दी और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने बेशक अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला को ईज़ा दी। (फ़तावा रज़विया जिल्द सोम)

दीन बेचकर दुनिया ख़रीदने की मज़म्मत

किसी सच्चे अमल दीनी के ज़रिए से भी दुनिया न मांगे कि मआज़ अल्लाह दीन-फ़रोशी है जैसे मआज़ अल्लाह बाज़ फ़क़ीर लोग कि हज कर आते हैं जगह जगह अपने हज बेचते फिरते हैं फिर कभी बिक नहीं चुकता। हदीस में आया कि जो आख़रत के अमल से दुनिया तलब करे उसका चेहरा मस्ख़ कर दिया जाए यानी बिगाड़ दिया जाए और उसका ज़िक्र मिटा दिया जाए और उसका नाम दोज़ख़ियों में लिखा जाए।

इमाम हुज्जतुल इस्लाम फ़रमाते हैं एक .गुलाम व आक़ा हज करके पलटे। राह में नमक न रहा कुछ पास न था कि मोल लेते। एक मन्ज़िल पर आक़ा ने कहा सब्ज़ी

बेचने वाले से यह कह कर थोड़ा नमक ले आ कि हम हज से आते हैं। वह गया और कहा कि हम हज से आते हैं थोड़ा नमक दे और नमक ले आया। दूसरी मन्ज़िल में आक़ा ने फिर भेजा इस बार यूँ कहा कि मेरा आक़ा हज से आता है थोड़ा नमक दे और ले आया। तीसरी मन्ज़िल मे आक़ा ने फिर भेजना चाहा। .गुलाम ने जो हक़ीक़तन आक़ा बनने के क़ाबिल था जवाब दिया परसों नमक के चन्द दानों पर अपना हज बेचा, कल आपका बेचा आज किस का बेच कर लाऊँ।

इमाम सुफ़यान सूरी एक शख़्स के यहाँ दावत में तशरीफ़ ले गए। मेज़बान ने .गुलाम से कहा इन बर्तनों में खाना लाओ जो मैं दोबारा के हज में लाया हूँ। इमाम ने फ़रमाया मिस्कीन तू ने एक कलिमे में दो हज बरबाद किए। जब सिर्फ़ इज़हार पर यह हाल है तो उसे दुनिया तलब करने का ज़रिया बनाना किस दर्जा बदतर होगा। वल अयाज़ु बिल्लाही तआ़ला।

वाज़ का पेशा

आजकल न कमइल्म बल्कि निरे जाहिलों ने कुछ उल्टी सीधी उर्दू देख भाल कर हाफ़ज़े की .कुव्वत दिमाग़ की ताक़त, ज़बान की ताक़त को शिकारे मुर्दम का जाल बनाया है। अक़ाएद से ग़फ़िल मसाइल से जाहिल और वाज़-गोई के लिए आंधी हर जामेअ, हर मजमे, हर मेले में ग़लत हदीसें झूटी रिवायतें उल्टे मसअले बयान करने को खड़े हो जायेंगे और तरह तरह के हीलों से जो मिल सका कमायेंगे। अव्वल तो उन्हें वाज़ कहना हराम (वह तो ख़ुद ही गुमराह है दूसरों को क्या राह दिखायेंगे) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

" जो बे-इल्म .कुरआन के मअनी में कुछ कहे वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले "

दूसरे उनका वाज़ सुनना हराम कि झूट का सुनना है तो सारे जलसे का वबाल ऐसे वाज़ कहने वाले की गर्दन पर है क्यूँ कि वह उस ऐब को ख़ुद नहीं पहचानता जो कह रहा है।

तीसरे वाज़ नसीहत को या मख़लूक़ में मक़बूलियत हासिल करने का ज़रिया बनाना गुमराही है और शरीअत को सख़्त नापसन्द है और यहूद व नस्सारा की सुन्नत व तरीक़ा है।

इमाम फ़क़ीह अबुल लैस समरक़न्दी ने अगर ज़माना की हालत देखकर कि हुकूमतों ने उल्मा की .जुरूरत पूरी करना छोड़ दी और बैतुलमाल (ख़ज़ाना) में उनका हक़ हमेशा उनके और उनके मुताल्लेक़ीन की तमाम .जुरूरियात पूरी की जाए, उन्हें नहीं पहुँचता। उल्मा कस्बे मआश में मसरूफ़ हों यानी रोज़ी रोटी की तलाश में मसरूफ़ हों तो अवाम को हिदायत का दरवाज़ा बन्द होता है, अज़ान व अक़ामत व तालीम उजरत पर देने का फ़तवा मुताख़्ख़रीन उल्मा (बाद के उल्मा) की तरह जमहूर (आम उल्मा की आम राय) और ख़ुद अपने हुक्म से रुजू किया (यानी हुक्म वापस लिया) फ़रमा कर आलिम को इजाज़त दी कि वाज़ व नसीहत के लिए गांव में जायें और नज़र लें तो वह मजबूरी की इजाज़त बहालते हाजते ख़ास आलिमे दीन के लिए है जो अहले वाज़ और नसीहत हैं यानी जो आलिम वाक़ई वाज़ और नसीहत के क़ाबिल हैं नाकि जाहिलों या नाक़िस (कम समझ) के वास्ते कि उन्हें वाज़ कहना ही कब जाइज़ है जो इसकी .जुरूरत के लिए इस मना काम की इजाज़त हुई फिर उसके लिए भी बजुरूरत या ख़ज़ाना भरने के लिए फिर आगे नियत के ऐतबार पर है कि अल्लाह तआला दिलों की बात तो जानता है कि अस्ल मक़सूद हिदायत है नाकि माल का जमा करना जब तो हम मजबूरी के फ़तवे से नफ़ा पा सकते हैं। खुली छुपी जानने वाले के

हुज़ूर झूटा बहाना न चलेगा वह दुनिया का ख़रीदने वाला और दीन का बेचने वाला ही नाम उसको मिलेगा। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।

नोट : इस मसअले को किसी सुन्नी आलिम से समझें।

अय्यामे नफ़ास से मुताल्लिक़ ग़लतफ़हमी

यह जो अवाम जाहिलों औरतों में मशहूर है कि जब तक चिल्ला न हो जाए ज़च्चा पाक नहीं होती महज़ ग़लत है। ख़ून बन्द हो जाने के बाद नाहक़ नापाक रह कर नमाज़ रोज़ा छोड़ कर सख़्त कबीरा गुनाह में गिरफ़्तार होती है। मर्दो पर फ़र्ज़ है कि उन्हें उससे बाज़ रखें। नफ़ास की ज़्यादा हद के लिए चालीस दिन रखे गए हैं न यह कि चालीस दिन से कम होता ही नहीं, इससे कम के लिए कोई हद नहीं अगर्चे जनने के बाद सिर्फ़ एक मिनट ख़ून आया और बन्द हो गया औरत उसी वक़्त पाक हो गई। नहाए और नमाज़ पढ़े और रोज़े रखे अगर चालीस दिन के अन्दर ख़ून औद न करेगा यानी दोबारा न लौटेगा तो नमाज़ रोज़े सब सही रहेंगे। नफ़ास के दिनों के चूड़ियाँ, चारपाई, मकान सब पाक हैं, फ़क़त वही चीज़ नापाक होगी जिसे ख़ून लग जाए बग़ैर इसके उन चीज़ों को नापाक समझ लेना हिन्दुओं का मसअला है। (इरफ़ाने शरीअत)

पर्दे के बाज़ .जरूरी अहकाम

शरा मुत्तहेरा में फुफा और ख़ालू और बहनोई और जेठ और देवर और चचाज़ाद फुफी, ख़ाला, मामू, के बेटों और राह चलते अजनबी सब का एक हुक्म है बल्कि उनसे

ज़्यादा एहतियात लाज़िम है कि निरे अजनबी से तबई हिजाब होता है यानी अजनबी से तो तबीयतन हिजाब होता है, न उसे जल्द हिम्मत पड़ सकती है न वह बेतकल्लुफ़ घर में आ सकता है बिख़लाफ़ उनके। हदीस में है हुज़ूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह जेठ देवर का हुक्म इरशाद हो। फ़रमाया यह तो मौत है। वल अयाजु बिल्लाही तआ़ाला। (फ़तावा रज़विया)

बहुत .जुरूरी मसअला

आज़ाद औरत को हराम है कि किसी नामहरम मर्द के बदन को हाथ लगाए अगर्चे हाथ पांव को ---- और मर्द पर हराम है कि उसे इसकी इजाज़त दे।

यहाँ से आजकल के पीर लोग सबक़ लें कि अजनबी जवान मुरीद औरतें और पीर ख़ुद भी ज़ईफ़ नहीं कि उनके क़दम लेतीं उनके हाथों को बोसा देतीं आंखों से लगाती हैं। उन पर फ़र्ज़ है कि उन्हें इन हरकात से शिद्दत के साथ रोकें। यूँही बाज़ लोग नहाने में नाएन या ख़दिमा से हाथ पांव या पीठ मलवाते हैं यह भी हराम है और बचना फ़र्ज़। व लाहौला वला .कुव्वता इल्ला बिल्ला हिल अ़लिइयिल अ़ज़ीम।

(फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल)

कफ़न से मुताल्लिक़ .जुरूरी अहकाम

मर्द औरत और बच्चों के कफ़न के कपड़ों के बारे में सवाल हुआ तो इरशाद फ़रमाया।

सुन्नत मर्द के लिए तीन कपड़े हैं एक तहबन्द कि सर से पांव तक हो और कफ़नी गर्दन की जड़ से पांव तक

और चादर कि उसके क़द से सर और पांव दोनों तरफ़ इतनी ज़्यादा हो जिसे लेट कर बांध सकें।

पहले चादर बिछाए उस पर तहबन्द फिर मय्यत मग़सूल (गुस्ल दी हुई मय्यत) का बदन एक कपड़े से साफ़ करें फिर उस पर रख कर कफ़नी पहना कर तहबन्द लपेटें पहले बाईं तरफ़ फिर दाहिनी तरफ़ लपेटें ताकि दाहिना हिस्सा बायें के ऊपर रहे फिर उसी तरह चादर लपेट कर ऊपर नीचे दोनों जानिब से बांध दें।

औरत के लिए पाँच कपड़े सुन्नत हैं। तीन यही मगर मर्द औरत के लिए कफ़नी में इतना फ़र्क़ है कि मर्द की क़मीस अर्ज़ में यानी चौड़ाई में मोंढों की तरफ़ चीरना चाहिए और औरत का तूल में यानी लम्बाई में सीने की जानिब। चौथे ओढ़नी जिसका तूल डेढ़ गज़ यानी तीन हाथ हो। पांचवाँ सीना बन्द कि पिस्तान से नाफ़ बल्कि अफ़ज़ल यह है कि रानों तक हो। पहले चादर और उस पर तहबन्द बदस्तूर बिछाकर कफ़नी पहना कर तहबन्द पर लिटायें और उसके बाल दो हिस्से करके सीने के ऊपर कफ़नी के ऊपर लाकर रखें उसके ऊपर ओढ़नी सर के ऊपर उढ़ाकर बग़ैर लपेटे मुँह पर डाल दें फिर तहबन्द और उस पर चादर बदस्तूर लपेटें और चादर इसी तरह दोनों तरफ़ बांध दें। उन सब के ऊपर सीनेबन्द सीने के ऊपर से नाफ़ या रान तक बांधें यह कफ़न सुन्नत है। ---- और काफ़ी इस क़द्र है कि मर्द के लिए दो कपड़े हों तहबन्द और चादर और औरत के लिए तीन कफ़नी व चादर या तहबन्द व चादर और तीसरे ओढ़नी। इसे कफ़ने किफ़ायत कहते हैं।

अगर मय्यत का माल ज़ाएद और वारिस कम हों तो कफ़न सुन्नत अफ़ज़ल है और इसका अक्स (उल्टा) हो तो कफ़ने किफ़ायत औला और इससे कमी बहालते इख्तेयार

जाएज़ नहीं, हाँ वक़्त .जुरूरत जो मयस्सर आए सिर्फ़ एक ही कपड़ा कि सर से पांव तक हो मर्द औरत दोनों के लिए बस है। जाहिल मौहताज जब उनका मूरिस मौहताज मरता है लोगों से पूरे कफ़न का सवाल करते हैं यह हिमाक़त है, जुरूरत से ज़्यादा सवाल हराम है और .जुरूरत के वक़्त कफ़न में एक कपड़ा काफ़ी बस इसी क़द्र मांगे इससे ज़्यादा मांगना जाएज़ नहीं। हाँ उनके बेमांगे जो मुसलमान बनियते सवाब पूरा कफ़न मौहताज के लिए देगा अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला से पूरा सवाब पाएगा।

नाबालिग़ अगर हदे शहवत को पहुँच गया है जब तो उसका कफ़न जवान मर्द और जवान औरत की मिस्ल है और यह हुक्म यानी हदे शहवत को पहुँचना लड़के में बारह और लड़की में नौ बरस की उम्र के बाद नहीं रुकता और मुमकिन कि कभी उससे पहले भी हासिल हो जाए जबकि जिस्म निहायत क़वी और मिज़ाज गर्म और हरारत व जोश पर हो। लड़कों में यह कि उसका दिल औरतों की तरफ़ रग़बत करने लगे और लड़कियों में यह कि उसे देखकर मर्दों को उसकी तरफ़ देखकर खिचाव पैदा हो --- जो बच्चे इस हालत को न पहुँचें उनमें अगर लड़के को एक और लड़की को दो कपड़ों में कफ़न दे दें तो कोई हर्ज नहीं और लड़के को दो लड़की को तीन दें तो अच्छा है और दोनों को पूरा कफ़न मर्द औरत का दें तो सबसे बेहतर।

और जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ या कच्चा गिर गया उसे एक ही कपड़े में लपेट कर दफ़न कर देना चाहिए, कफ़न न दें। (फ़तावा रज़विया जिल्द 4)

वुज़ू पर वुज़ू की फ़ज़ीलत

नुर अला नूर

बाज़ ने फ़रमाया वुज़ू पर वुज़ू उसी वक़्त मुस्तहब है कि पहले वुज़ू से कोई नमाज़ या सजदए तिलावत वग़ैरा कोई फ़ेल जिसके लिए बावुज़ू होने का हुक्म है अदा कर चुका हो बग़ैर इसके तजदीदे वुज़ू मकरूह है।

बाज़ ने फ़रमाया एक बार तजदीद तो बग़ैर इसके भी मुसतहब है हाँ एक से ज़्यादा बे इसके मकरूह है और मुसन्निफ़ की तहक़ीक़ कि हमारे अइम्मा का कलाम नीज़ अहादीस ख़ैरुल अनाम अ़लैहि अफ़ज़लुस्सलातु वससलाम मुतलक़न तजदीदे वुज़ू को मुस्तहब फ़रमाती हैं और इन क़ैदों का कोई सुबूत ज़ाहिर नहीं।

इजमा है यानी तमाम उल्मा का इस पर इत्तेफ़क़ा है कि हर वक़्त बावुज़ू रहना हर हदस के बाद वुज़ू करना मुसतहब है। फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ व ख़ज़ानतुल मुफ़्तीईन व फ़तावा हिन्दया वग़ैरा वुज़ूए मुस्तहब के शुमार में है

"(मुस्तहब है) वुज़ू पर मुहाफ़ज़त (यानी हमेशा वुज़ू से रहना) और इसका मतलब यह है कि जब हदस हो फ़ौरन वुज़ू कर ले ताकि हर वक़्त बावुज़ू रहे"

बल्कि इमाम रुक्नुल इस्लाम मुहम्मद इब्ने अबू बक्र ने शिरतुल इस्लाम में इसे इस्लाम की सुन्नतों से फ़रमाते हैं हमेशा वुज़ू की हिफ़ाज़त में रहना इस्लाम की सुन्नत है। इसकी शरहे मफ़ातिहुल जिनान, मसाबिहुल जिनान, बुस्तानुल आरफ़ीन इमाम फ़क़ीह अबुल्लैस से है :-

"हम को हदीस पहुँची कि अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने मूसा अ़लैहिस्सलाम से फ़रमाया ऐ मूसा अगर बेवुज़ू होने की हालत में तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो ख़ुद अपने को मलामत करना"

उसी में किताबुल हक़ाएक़ अबुल क़ासिम महमूद इब्ने अहमद फ़ारूक़ी से है कि बाज़ आरफ़ीन ने फ़रमाया जो हमेशा बावुज़ू रहे अल्लाह तआला उसे सात फ़ज़ीलतों से मुशर्रफ़ फ़रमाए :-

1. फ़रिश्ते उसी की सोहबत में रग़बत करें।
2. क़लम उसकी नेकियाँ लिखता रहे।
3. उसके आज़ा (शरीर के अंग) तस्बीह करें।
4. उससे तकबीरे ऊला फ़ौत (नमाज़ की सबसे पहली तकबीर यानी उससे सना न छूटे) न हो।
5. जब सोए अल्लाह तआला कुछ फ़रिश्ते भेजे कि जिन्न व इन्सान के शर से उसकी हिफ़ाज़त करें।
6. सुकराते मौत उस पर आसान हो।
7. जब तक बावुज़ू हो अमाने इलाही में रहे।

रुज़ीन की हदीस में है रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

" वुज़ू पर वुज़ू नूर पर नूर है "

अबू दाऊद तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हुमा से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

"जो बावुज़ू वुज़ू करे उसके लिए दस नेकियाँ लिखी जायेंगी"

मनादी ने तैसीर में कहा :-

"दस बार वुज़ू करने का सवाब लिखा जाए"

ज़ाहिर है कि हदीसों में नमाज़ के बीच में होने न होने की क़ैद नहीं तो मशाइख़े किराम का इत्तेफ़ाक़ और हदीस करीम का इतलाक़ दोनों मुतावाफ़िक़ हैं यानी बराबर हैं यानी एक हुक्म है। (फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल)

कुछ मुश्किल अल्फ़ाज़ के मअनी

शब्द	अर्थ
अहकाम	हुक्म की जमा
अवाम	जनता
अक़वाल	क़ौल (बात) की जमा
अयाल	औलाद
आक़िल	अक़्ल वाला
अकाबिर	बड़े लोग यानी बुज़ुर्ग
अक़ाबिर	क़रीबी लोग
अफ़आल	जमा फ़ेल (काम) की
अशआर	शेर की जमा
असमा	नाम की जमा
अमवाल	माल की जमा
असलाह	हथियार
अबरार	नेक लोग
आबिद	इबादत करने वाला
अयाज़ु बिल्लाह	अल्लाह की पनाह चाहता हूँ
आफ़ताब	सूरज
आर	शर्म
अहादीस	हदीस की जमा
इस्तिदलाल	मसअले को खोज कर निकालना
इरतिकाब	इख़्तयार करना
इस्तिफ़ता	मुफ़्ती से सवाल पूछना
इसराफ़	.फ़ुज़ूलख़र्ची
इत्तेबा	ताबेअ होना, पैरवी करना
इस्तिग़फ़ार	तौबा
इमदाद	मदद
ऐतराज़	कोई क़बाहत पेश आना
ऐहतराज़	बचना
ऐहतमाल	शक
उलफ़त	महब्बत

उमूर	कार्य की जमा
उल्मा	आलिम की जमा
उज़्र	मजबूरी
उश्र	हर साल फ़सल में से कुछ अल्लाह राह में निकालना
कफ़्फ़ारा	गुनाह के एवज़ कुछ अल्लाह राह में ख़र्च करना
क़याम	नमाज़ में खड़े होने की हालत
.क़ुऊद	नमाज़ में बैठने की हालत
क़लील	थोड़ा या कम
क़तअन	बिल्कुल
.क़ुबूर	क़ब्र की जमा
क़दीम	बहुत पुराना
.क़ुव्वत	ताक़त
क़वी	ताक़तवर, मज़बूत
काहिन	ज्योतिषी
कहानत	ज्योतिष
ख़वास	ख़ास लोग
ख़ारजी	एक बद्मज़हब फ़िरक़े का नाम
ख़ुबसा	ख़बीस की जमा
चहार शम्बा	बुध का दिन
ज़ईफ़ुल ईमान	जिसका ईमान कमज़ोर हो
ज़रर	नुक़सान
जवाज़	जाएज़ होना
ज़िम्मी	काफ़िर की एक क़िस्म
जमा	बहुवचन
ज़च्चा	बच्चा जनने वाली औरत
जुज़ामी	कोढ़ी
तख़्मीना	अन्दाज़ा
तजवीद	मख़रज से .क़ुरआन पढ़ना
तसद्दुक़	सदक़ा
तवस्सुल	वसीला

तवाफ़	चक्कर लगाना
तारीख़ी नाम	ऐतेहासिक नाम
तरदीद	रद्द
तनफ़्फ़ुर	नफ़रत
दुख़्तर	बेटी
दोशम्बा	पीर का दिन
नीज़	और
नस्सारा	ईसाई
नअल	जूती
नफ़्सपरस्ती	ख़्वाहिशों के ताबेअ होना
निफ़ाक़	दिल में कुछ ज़ाहिर कुछ
नात	हुज़ूर की शान में पढ़ी ग़ज़ल
निगाहदाश्त	हिफ़ाज़त, होशयारी, ख़बरदारी
नफ़ास	बच्चा होने के बाद जो ख़ून आए उसे नफ़ास कहते हैं
पुश्त	पीठ
फ़ासिक़	बदकार मर्द
फ़ासिक़ मोलिन	वह फ़ासिख़ जो खुले आम गुनाह करे
फ़ाहिश	गंदी
.फुस्साक़	फ़ासिख़ की जमा
फेल	कार्य
बहश्त	जन्नत
बराअत	छुटकारा
बद्बख़्त	बद्क़िस्मत
बातिल	झूटा
बातिन	छुपा हुआ
मुशाबहत	आपस में एक सा नज़र आना
मज़कूरा	जो ज़िक्र हुआ
मुख़ालिफ़	विराधी
मज़लूम	जिस पर .जुल्म हुआ
मुज़िर	नुक़सानदे

मुग़ालता	ग़लतफ़हमी
मुक़र्रेबीन	क़रीब वाले
मुहीत	घेरे हुए
मफ़लूज	अपाहिज
मुदर्रिस	दर्स देने या पढ़ाने वाला
मुसन्निफ़	लेखक
मुरत्तबा	संकलन किया गया
मुफ़्ती	फ़तवा देने वाला
मनसूख़	मिटाया गया
मलाइका	फ़रिश्ते
मक़ाबिर	क़ब्र की जमा
मोहलिक	हलाक करने वाला
मुफ़ीद	फ़ायदेमन्द
मुन्किर	इन्कार करने वाला
मुसतहबात	मुसतहब की जमा
मुनाफ़िक़	जो मुसलमान न हो और अपने आपको मुसलमान ज़ाहिर करे
मशक़्क़त	मेहनत
मशाइख़	शैख़ की जमा
मनक़बत	किसी वली का शान में पढ़ी गई ग़ज़ल
मुत्तक़ी	तक़्वे वाला, परहेज़गार
मज़म्मत	भर्तसना
शदीद	सख़्त
शाना	कंधा
राहिब	दुनिया तर्क करने वाला
रतौन्ध	एक बीमारी जिसमें शाम से दिखाई देना बन्द हो जाता है
सतर	बदन का वह हिस्सा जिसका ढकना फ़र्ज़ है
स्वालेह	नेक

सहीउल अक़ीदा — जो अहले सुन्नत के मज़हब पर हो

साजिद — सजदा करने वाला

सय्यात — गुनाह

सम्त — दिशा

वसवसा — बुरे ख़्यालात

वज़ा — तरीक़ा

वल्लाह तआला आलम — अल्लाह तआला बेहतर जानने वाला है

वईद — गुनाहों पर अज़ाब की ख़बर

हज्रे असवद — काबा शरीफ़ में एक पत्थर लगा है जिसे लोग चूमते हैं

हासदीन — हसद करने वाले

हम्द — अल्लाह तआला की शान में पढ़ी जाने वाली ग़ज़ल

हुरमत — हराम होना

हुक्मे हुरमत — हराम होने का हुक्म

हादी — हिदायत देने वाला